सत्यमेव जयते

दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु
योजनाओं का सार-संग्रह
2020

स्वावलम्बन
Swavlamban

भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रीगण
भारत सरकार

डॉ. थावरचन्द गेहलोत
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

श्री रामदास आठवले
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
राज्य मंत्री

श्री कृष्णपाल गुर्जर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
राज्य मंत्री

श्री रतनलाल कटारिया
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

सत्यमेव जयते

दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु
योजनाओं का सार–संग्रह
2020

भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110003
www.disabilityaffairs.gov.in

दिव्य कला शक्ति ''दिव्यांगता में क्षमता का दर्शन''

विषय सूची

1.	प्रस्तावना विभाग का विजन और मिशन तथा सिंहावलोकन	5-8
2.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016	9-12
3.	विभाग के अधीन सांविधिक निकाय, संस्थान तथा संगठन	13-18
	3.1. सांविधिक निकाय	15-17
	3.1.1. भारतीय पुनर्वास परिषद	15-16
	3.1.2 मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन	16
	3.1.3 ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात,, मानसिक मंदता तथा बहु–दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास	16-17
	3.2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई):	17
	3.2.1 भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)	17
	3.2.2 नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवल्पमेंट कार्पोरेशन	17
	3.3. राष्ट्रीय संस्थान/समेकित क्षेत्रीय केंद्र	17-18
4.	विभाग की योजनाए	19-70
	4.1. दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)/जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी)	21-27
	4.2. सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों का/ सहायता (एडिप)	28-33
	4.3. दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)	33
	4.3.1. कोशल विकास का घटक	36-43
	4.3.2. सुगम्य भारत अभियान	43-47
	4.3.3. जागरूकता सृजन और प्रचार योजना	47-52
	4.3.4. दिव्यांगता से संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पादों तथा मामलों पर अनुसंधान	52

4.3.5. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र 53

4.3.6. निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन योजना 53

4.3.7. केंद्रीय तथा राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदात्ताओं के प्रमुख पदाधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं जागरूकता 54

4.3.8. ''ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन हेतु सहायता'' की योजना 54-55

4.3.9. राज्य स्पाइनल इंजुरी सेंटर 55

4.3.10. देश के पांच क्षेत्रों में बधिर छात्रों के लिए कॉलेज 55-56

4.4. छात्रवृत्ति/योजना 56-68

4.5. दिव्यांगजन हेतु राष्ट्रीय कोष (फंड) 68-69

4.6. भारतीय स्पाइनल इंजुरी सेंटर 70

5. विभाग के रिपोर्टिंग कार्यालयों की योजनाए 71

5.1. ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता तथा बहु–दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास 73-78

5.2. नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवल्पमेंट कार्पोरेशन) 78-83

6. दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 84-90

7. विभाग की टेलीफोन डायरेक्टरी 91-98

8. संकेतक शब्दावली 99

अध्याय- 1

प्रस्तावना

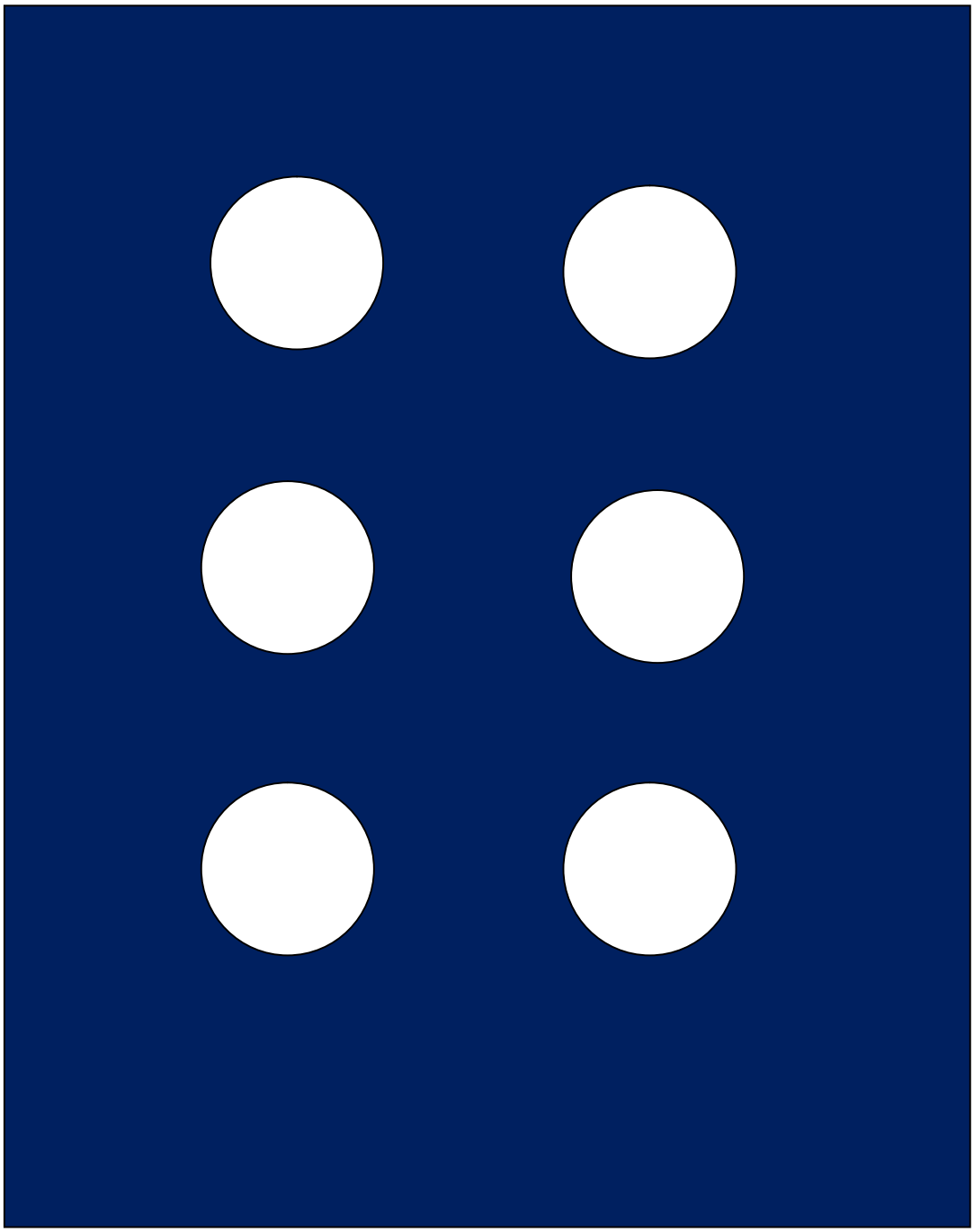

ब्रेल

अध्याय
1

प्रस्तावना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को दिव्यांगता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से देखने हेतु नीतिगत मामलों पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने हेतु और स्टेकहोल्डरों, संगठनों, राज्य सरकारो और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयो और विभागों के बीच और अधिक समन्वय करने हेतु एक नोडल विभाग के तौर पर कार्य करने हेतु 12.05.2012 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से बनाया गया था। तत्पश्चात दिसम्बर 2014 में दिव्यांगजनों के समस्त सशक्तिकरण पर विभाग के केंद्र–बिन्दु को स्पष्टतया व्यक्त करने के लिए निःशक्तजन सशक्तिकरण विभाग नाम से विभाग का पुनः नामकरण किया गया। बाद में, दिनांक 14.05. 2016 को नाम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नाम से विभाग का पुनः नामकरण किया गया।

1.1 विभाग का विजन तथा मिशन

विजन: एक ऐसा समावेशी समाज का निर्माण करना जिसमें उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने हेतु दिव्यांगजनों को उन्नति और विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध हो।

मिशन: दिव्यांगजनों के सशक्तिरण और विकास हेतु विधायन/नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से अपने दिव्यांगजन नामक लक्षित समूह को सशक्त बनाना।

दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण:

- **शारीरिक पुनर्वास:** शीघ्र पहचान और उपाय, काउंसलिंग और चिकित्सा पुनर्वासन जैसी सेवाएं दिव्यांगजनों की प्रौद्योगिकीय प्रगति हेतु अनुसंधान और विकास। यंत्रों और सहायक उपकरणों की आपूर्ति के तहत सुगम्यता बढ़ाना।
- **शैक्षणिक सशक्तिकरण**
- कोशल विकास और वित्तीय सहायता के माध्यम से **आर्थिक विकास**
- **सामाजिक सशक्तिकरण**
- **पुनर्वास व्यावसायिकों/कार्मिकों का विकास**
- **समर्थन एवं जागरूकता पैदा करना**

दिव्यांगता की परिभाषा:

''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) के अनुसार, **'दिव्यांगजन'** का अर्थ दीर्घावधि से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदना से बाधित व्यक्ति से है जो समाज में समान रूप से अन्य लोगों के साथ उसकी पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी में बाधाएं एवं रूकावटें उत्पन्न करती हैं {आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016, अध्याय I, खंड 2, उपखंड (ग) के साथ–साथ उपखंड (ध) का अवलोकन करें}।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार **''बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति''** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी विनिर्दिष्ट दिव्यांगता चालीस प्रतिशत से कम नहीं है जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता मापन–योग्य के विषय में परिभाशित नहीं की गई है और दिव्यांगता वाले एक ऐसे व्यक्ति को शामिल करती है जिसकी विर्निदिष्ट दिव्यांगता प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किए अनुसार मापन–योग्य संदर्भ में परिभाशित की गई है {आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016, अध्याय I, खंड 2, उपखंड(द) का अवलोकन करें}।

1.2 सिंहावलोकन

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड दिव्यांग व्यक्ति हैं (जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत हैं)। दिव्यांग व्यक्तियों की कुल संख्या में 1.50 करोड पुरूष हैं और 1.18 करोड महिलायें हैं। इसके अतिरिक्त, इनमें से 0.82 करोड़ शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और 1.86 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है।

दिव्यांगजनों के लिये राष्ट्रीय नीति (2006) में यह स्वीकार किया गया है कि दिव्यांगजन देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन हैं और इसमें एक ऐसा वातावरण सृजित करने के लिए प्रयास किया जाता है जिसमें उन्हें समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और समाज में पूर्ण सहभागिता उपलब्ध हो। राष्ट्रीय नीति में इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि यदि उनको समान अवसरों और पुनर्वासन उपायों तक प्रभावी पहुंच उपलब्ध हो, तो वे एक गुणवत्तापरक जीवन जी सकते हैं।

अध्याय- 2

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन

अध्याय

2

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

2.1 मुख्य विशेषताएं

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 **दिनांक 28.12.2016 को अधिसूचित** किया गया था।
- केंद्रीय सरकार ने दिनांक 19.04.2017 से उपरोक्त अधिनियम को लागू करने के लिए दिनांक 19.04. 2017 के कानूनी आदेश 1215 द्वारा एक अधिसूचना जारी की।
- केंद्रीय सरकार ने अधिनियम के तहत 15.06.2017 को नियमावली अधिसूचित की।
- दिनांक 30.06.2020 तक, 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य नियमावली अधिसूचित की हैं। वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची जिन्होंने राज्य नियमावली अधिसूचित की है :			
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	अरूणाचल प्रदेश	2	टसम
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	थ्बहार
5	चडीगढ़	6	गेवा
7	हरियाणा	8	हिमाचल प्रदेश
9	झारखंड	10	केरल
11	मध्य प्रदेश	12	मणिपुर
13	मेघालय	14	थ्मजोरम
15	नागालैंड	16	दिल्ली
17	उडिशा	18	पुदुच्चेरी
19	पंजाब	20	राजस्थान
21	सिक्किम	22	तमिलनाडु
23	तेलंगाना	24	त्रिपुरा
25	उत्तर प्रदेश	26	लक्षद्वीप
27	छत्तीसगढ़		

- विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्रीय सरकार ने 04.01.2018 को किसी व्यक्ति में विभिन्न निर्दिष्ट दिव्यांगताओं (स्वपरायणता को छोड़कर) के आकलन के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया। स्वपरायणता के आकलन के संबंध में, 25.04.2016 को अधिसूचित दिशानिर्देश लागू होंगे।

- बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए 29.08.2018 को संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए गए थे।

- केंद्रीय सरकार ने मूल्यांकन बोर्ड की संरचना और बेंचमार्क दिव्यांगजनों की उच्च सहायता आवश्यकताओं के मूल्यांकन के तरीके को निर्दिष्ट करते हुए 08.03.2019 को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2019 अधिसूचित की।

- माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता के अधीन दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन 08.11.2017 को किया गया। इन बैठकों की अध्यक्षता का संचालन माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा किया गया। अब तक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड तीन बार बैठकें कर चुका है।

अध्याय- 3

विभाग के अधीन सांविधिक निकाय, संस्थान तथा संगठन

बौद्धिक दिव्यांगताओ के लिए सुगमयता

अध्याय

3

विभाग के अधीन सांविधिक निकाय, संस्थान तथा संगठन

विभाग की गतिविधियों का कार्यान्वयन सरल बनाने के विषय में तीन सांविधिक निकाय हैं, इनकी सीधी मॉनीटरिंग के तहत कार्यारत दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और आठ राष्ट्रीय संस्थान हैं।

3.1 सांविधिक निकाय

3.1.1 भारतीय पुनर्वास परिषद

भारतीय पुनर्वास परिषद, संसद के अधिनियम–भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 1992 को अधिनियमित किया गया एक सांविधिक निकाय है, जिसे दिव्यांगजनों के पुनर्वास क्षेत्र में प्रशिक्षण विनियमन और कार्यक्रमों के नियंत्रण और मॉनीटरिंग, दिव्यांगजनों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के व्यावसायिकों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानकों के निर्धारण और नियंत्रण, मान्यता प्राप्त पुनर्वास अर्हता वाले व्यक्तियों की केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) के रखरखाव, पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने और पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा में अनुसंधान का प्रचार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

अपने शुरूआत के समय से ही, परिषद अपने उद्देश्यों को पाने में सहायक रही है। आरसीआई की गतिविधियों की एक झलक निम्नानुसार है:

- आरसीआई ने पुनर्वास व्यावसायिकों / कार्मिकों का एक व्यावसायिक संघ तैयार करने के लिए विशेष शिक्षा तथा दिव्यांग पुनर्वास के क्षेत्र में प्रमाण पत्र से स्नातकोत्तर और उच्च स्तर तक 60 से भी अधिक पाठ्यक्रमों का विकास किया है।

- देशभर में लगभग 30375 की वार्षिक भर्ती सहित विशेष शिक्षा और दिव्यांग पुनर्वास के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों के 1215 बैच आयोजित करने के लिए 637 संस्थानों / विश्वविद्यालयों के विभागों को अनुमोदित किया गया है।

- परिषद द्वारा पोषित केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) में 1.5 लाख (लगभग) व्यावसायिकों / कार्मिकों को पंजीकृत किया गया है।

- परिषद की वित्तीय सहायता से अथवा उसी वित्तीय सहायता के बिना विभिन्न विषयों पर 1400 सीआरई कार्यक्रम (लगभग) अर्थात् कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, परिचर्चाओं , 1,2,3 एवं 5 दिवसीय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन आरसीआई अनुमोदित संस्थानों द्वारा किया गया जिसके माध्यम से दिव्यांग क्षेत्र में लगभग 65000 व्यावसायिकों / कार्मिकों ने अपने ज्ञान और

कोशल को अद्यतन किया।

- अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं में मातृभाषा– हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और गुजराती में मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली के माध्यम से शिक्षा स्नातक, विशेष शिक्षा आयोजित करने के लिए 15 विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। परिषद ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में 500 छात्रों की वार्षिक भर्ती का आंकड़ा दिया है।

- इस परिषद द्वारा अनुमोदित प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम की परीक्षा के आयोजन के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड (आरसीआई का अनुलग्न निकाय) स्थापित किया गया।

- क्षेत्रीय स्तर पर आरसीआई की गतिविधियों के प्रचार के लिए 14 श्रेत्रीय समन्वय समितियों (जैडसीसी) को स्थापित किया गया।

- प्रति वर्ष पाठ्यक्रम समन्वयकर्ताओं की बैठकें / अतिथि विशेषज्ञों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम, कार्यशालाएं तथा संगोष्ठियां आयोजित करता है।

- वर्ष 2015 से डीईपीडब्ल्यूडी की केंद्रीय क्षेत्रक कार्य योजना अर्थात् ''केंद्र और राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के मुख्य कार्यकर्ताओं का सेवाकालीन प्रशिक्षण और जागरूकता'' का कार्यान्वयन किया जाता है। योजना में उल्लेख किए गए अनुसार विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए सामान्य दिशा–निर्देश और प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया। विगत 04 वर्षों के दौरान, योजना के तहत केंद्र / राज्य सरकार ने विभिन्न विभाग से 11569 लाभार्थियों को सफलतापूर्वक जागरूक किया।

- डीईपीडब्ल्यूडी की ओर से मेलबोर्न विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया के साथ सहकार्यता में ''समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी)'' कार्यक्रम का सह–डिजाइन किया।

(आरसीआई की गतिविधियां जैसे पाठ्यक्रम, पाठ्यविवरण, अवधि, मान्यता, पंजीकरण आदि के बारे में विस्तृत सूचना के लिए कृपया आरसीआई की वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in को देखें)

3.1.2 मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त को अपना कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए दिव्यांगजन के कल्याण तथा अधिकारों के संरक्षण हेतु बनाये गये कानूनों, नियमावली आदि को लागू न करने और दिव्यांगजन के अधिकारों को मना करने से संबंधित शिकायतों को देखने के लिए एक सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान करता है। मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन की सहायता के लिए आयुक्त दिव्यांगजन के दो पदों का सृजन किया गया है।

3.1.3 ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणर्थ राष्ट्रीय न्यास

(i) आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत वर्ष2000 में राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की गई थी। यह स्वैच्छिक संगठनों, दिव्यांग व्यक्तियों की एसोसिएशनों और उनके अभिभावकों की एसोसिएशन के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। इसके अंतर्गत देश भर में, जहां कही

आवश्यक हो, दिव्यांग व्यक्तियों हेतु कानूनी संरक्षक नियुक्त करने हेतु 3 सदस्यीय स्थानीय स्तरीय समितियां स्थापित करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय न्यास 10 वर्षकी आयु तक के बच्चों के लिये प्रारंभिक उपाय से लेकर गंभीर दिव्यांगता से ग्रस्त व्यस्कों हेतु आवासीय केन्द्रों के लिए अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन करता है।

(ii) राष्ट्रीय न्यास को बजट सहायता : स्कीम वर्ष2015–16 में प्रारंभ की गई थी। 12 वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद आगे मई, 2017 में स्कीम 3 वर्षकी अवधि अर्थात 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिए स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा अनुमोदित की गई।

3.2 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

3.2.1 भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को

एलिम्को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत बनाई गई विभाग के अधीन एक नोट फॉर प्राफिट (गैर–लाभ) मिनी रत्न कंपनी है। निगम बड़े स्तर पर अत्यधिक किफायती भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अनुमोदित सहायक उपकरणों सहित विभिन्न प्रकार के अत्यधिक लागत प्रभावी यंत्र और सहायक उपकरणों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा एलिम्को सारे देश में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और उनके आत्मसम्मान को वापस लौटाने करने के लिये अस्थि बाधिता, श्रवण बाधिता, दृष्टि बाधिता और विलंबित बौद्धिक विकास एवं अन्य दिव्यांगताओ की आवश्यकता को पूरा करने के लिये इन सहायक उपकरणों का वितरण करता रहा है।

3.2.2 नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवल्पमेंट कार्पोरेशन (एनएचएफडीसी)

दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ हेतु आर्थिक विकास कार्यकलापों और स्व–रोजगार के संवर्धन हेतु 24 जनवरी, 1997 को नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवल्पमेंट कार्पोरेशन (एनएचएफडीसी) की स्थापना की गई थी। यह दिव्यांग व्यक्तियों को स्व–रोजगार उद्यमों और व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण प्रदान करता है। यह दिव्यांगता से ग्रस्त स्व–रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को उनके उत्पादों और वस्तुओं के विपणन में सहायता भी करता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एनएचएफडीसी ने दिव्यांगजन उद्यमियों की क्षमता के साथ–साथ उनके लिए मुख्य विपणन अवसरों को प्रदान करने के संबंध में समाज के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एकम उत्सव का आयोजन किया है इस उत्सव में 18 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से लगभग 80 दिव्यांग उद्यमियों/कलाकारों और संगठनों ने भाग लिया है जिससे एकम अर्थात् अनेकता में एकता के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करता है। एनएचएफडीसी स्वावलम्बन केंद्र (एनएसके) एक सुवाह्य सूक्ष्म कोशल प्रशिक्षण केंद्र है, जो विभिन्न व्यापार में दिव्यांगजनों के लिए सभी कोशल प्रशिक्षण सुविधाओं के अनुरूप बनाया जाएगा। गुणता कोशल प्रशिक्षण संरचना को मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ गुणता समर्थन सुविधाओं (शौचालयों, आदि) से एनएसके को समरूप से डिजाइन और सुगम्य बनाया है। एनएसके को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सुविधा, बायोमैट्रिक उपस्थिति, किसी भी समय वीडियो मॉनिटरिंग के लिए मुख्यालय से लिंक आदि सहित सुगम्य बनाया गया है।

3.3 राष्ट्रीय संस्थान/ समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी)

इस मंत्रालय के अधीन दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में नौ राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं। राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित किए गए स्वायत निकाय हैं। ये संस्थान दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में लगे हुए हैं, दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं और अनुसंधान और विकास के लिए प्रयास करते हैं।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने राष्ट्रीय संस्थान के एक विस्तृत भाग के रूप में दिव्यांगजनों के कोशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए 21 समेकित क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए अनुमोदन दिया है। सीआरसी का आधारभूत उद्देश्य सभी श्रेणियों के दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, पुनर्वास व्यावसायिकों, कामगारों और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षित करना, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और कोशल विकास का कार्यक्रम आयोजित करना तथा दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के संबंध में अभिभावकों और समुदाय के बीच जागरूकता उत्पन्न करना है।

9 राष्ट्रीय संस्थानों और 21 सीआरसी, जिन्हें राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रशासित किया जाता है, का विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	राष्ट्रीय संस्थान	स्थापना वर्ष	राष्ट्रीय संस्थान के अधीन समेकित क्षेत्रीय केन्द्र
1.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली	1960	1. सीआरसी, लखनऊ 2. सीआरसी, श्रीनगर
2.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक	1975	1. सीआरसी, गुवाहटी 2. सीआरसी, रांची 3. सीआरसी, इम्फाल 4. सीआरसी, बालनगीर
3.	राष्ट्रीय गतिविषयक दिव्यांगजन संस्थान, (एनआईएलडी), कोलकाता	1978	1. सीआरसी, पटना 2.सीआरसी, नाहारलागून 3. सीआरसी, त्रिपुरा
4.	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून	1979	1. सीआरसी, सुन्दरनगर (हिमाचल प्रदेश) 2. सीआरसी, गोरखपुर 3. सीआरसी, सिक्किम
5.	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई	1983	1. सीआरसी, भोपाल 2. सीआरसी, अहमदाबाद 3. सीआरसी, नागपुर
6.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकन्दराबाद	1984	1. सीआरसी, नेल्लोर 2. सीआरसी, देवानगेरे 3. सीआरसी, राजनंदगांव
7.	राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई	2005	1. सीआरसी, कोझीकोड, 2. सीआरसी, शिलांग 3. सीआरसी, पोर्टब्लेयर
8.	भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली	2015	–
9.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पूनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सिहोर, मध्य प्रदेश	2019	–

अध्याय - 4

विभाग की योजनायें

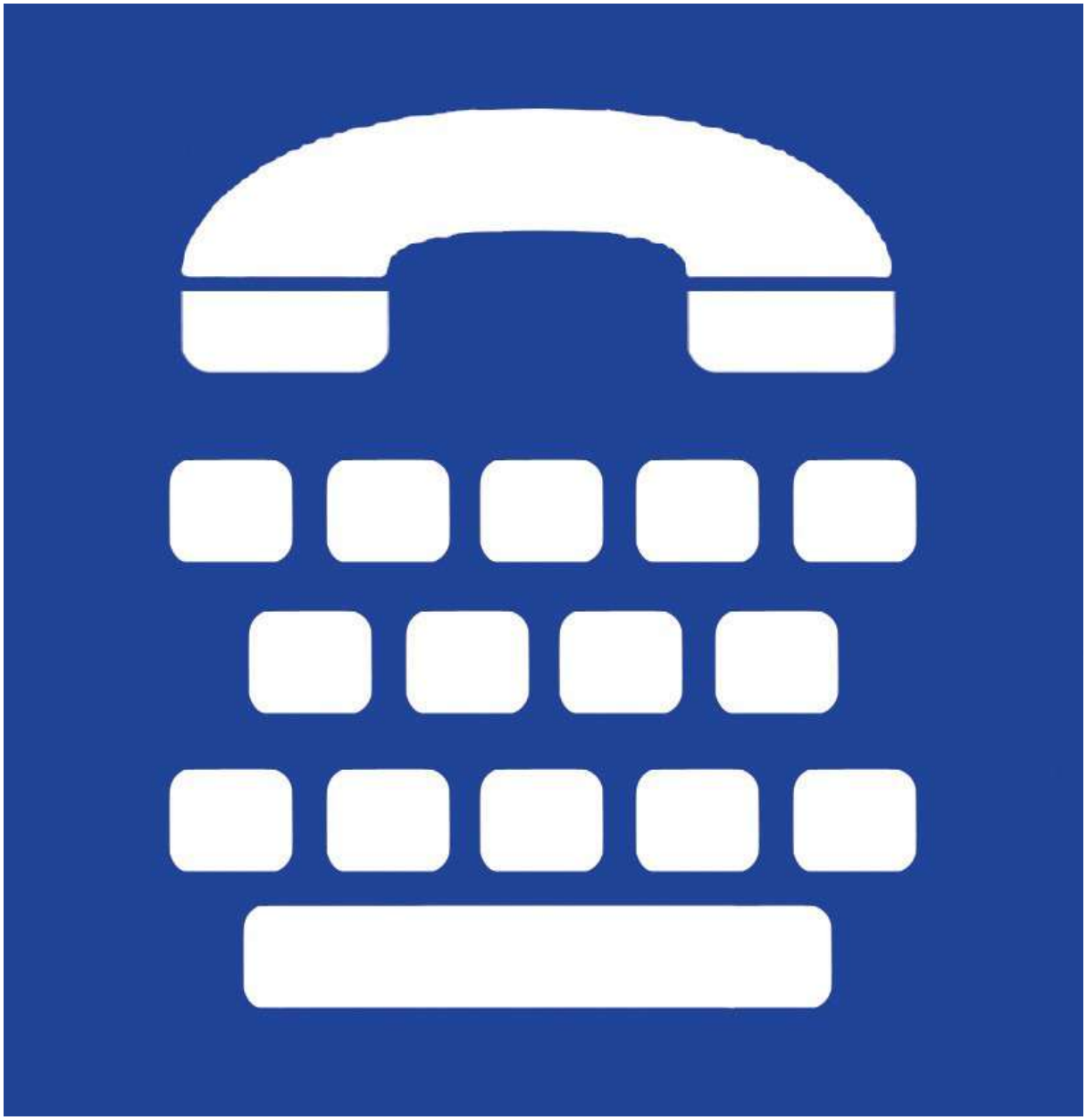

टेलीफोन टाइपराईटर (टीटीवाई)

अध्याय
4

विभाग की योजनायें

4.1 दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)

4.1.1 दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

4.1.1.1 योजना का सारांश और उद्देश्य

(i) डीडीआरएस (दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना) दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को उनके इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनो–सामाजिक या सामाजिक–कार्यात्मक स्तर तक पहुँचने और उन्हें बनाए रखने में समर्थ बनाना है।

(ii) समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिये सुगम वातावरण सृजित करना।

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।

(iv) डीडीआरएस के तहत **09 मॉडल परियोजनाएं** शामिल हैं जिनमें बौद्धिक दिव्यांगता, दृष्टि दिव्यांगता, वाक और श्रवण दिव्यांगता के लिए विशेष विद्यालय, हाफ–वे–होम, समुदाय आधारित पुनर्वास आदि शामिल हैं।

4.1.1.2 डीडीआरएस के तहत अनुदान के लिए स्वीकार्य गतिविधियाँ/घटक

- स्टाफ को मानदेय
- गैर–छात्रावासी लाभार्थियों को आने–जाने के लिए परिवहन और स्टाइपेंड
- छात्रावासी लाभार्थियों के लिए छात्रावास रखरखाव भत्ता
- कच्चे माल की लागत (प्रशिक्षण केंद्रों के लिए मात्र)
- कार्यालय व्यय, बिजली और पानी प्रभार को पूरा करने हेतु आकस्मिक व्यय
- यदि परिसर किराए पर लिया गया है तो बिल्डिंग के लिए किराया

4.1.1.3 एक अप्रैल 2018 से संशोधित दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के कार्यान्वयन के मुख्य बिंदु:

(i) संशोधित योजना के तहत मॉडल परियोजनाओं की सूची को कम करके 18 से 9 कर दिया गया। योजना में निम्नलिखित नौ मॉडल परियोजनाएं शामिल की गई हैं :

(क) प्री–स्कूल और शीघ्र उपाय और प्रशिक्षण के लिए परियोजना (6 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए)

(ख) दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल (6 से 18 वर्ष के आयु समूह के बीच के बच्चों के लिए)

- इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी
- हियरिंग एवं स्पीच डिसेबिलिटी
- विसुअल डिसेबिलिटी

(ग) प्रमस्तिष्क घात ग्रस्त बच्चों के लिए परियोजना

(घ) कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों (एलसीपी) के पुनर्वास के लिए परियोजना

(ङ) उपचारित और नियंत्रित मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक–सामाजिक पुनर्वास हेतु हाफ वे होम

(च) गृह आधारित पुनर्वास कार्यक्रम/गृह प्रबंधन कार्यक्रम

(छ) समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए परियोजना

(ज) कम दृष्टि केन्द्रों के लिए परियोजना

(झ) मानव संसाधन विकास के लिए परियोजनाएं (भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पुनर्वास पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने के लिए) योजना के लागत मानदंडों को 2.5 गुणा बढ़ा दिया गया है।

(ii) पात्र परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (एनजीओ), सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी परियोजनाएं अनुमोदित किए जाने के बाद, इस संशोधित योजना के तहत निर्धारित लागत–मानदंडों के आधार पर परिकलित की गई राशि के 90 प्रतिशत की हकदार होगी। यदि परियोजनाएं विशेष क्षेत्रों में स्थित है तो संशोधित लागत मानदंडों के आधार पर परिकलित की गई राशि का 100 प्रतिशत अनुमत किया जाएगा।

विशेष क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

(क) 8 उत्तर–पूर्वी राज्य,

(ख) राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों में हिमालयी क्षेत्र के राज्य (जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश),

(ग) वाम अतिवाद प्रभावित जिले (समय–समय पर गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार), और

(घ) अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिले– 34 जिले।

(iii) शहरी क्षेत्रों में भी सहायता–अनुदान को घटाया नहीं जाएगा।

(iv) लाभार्थियों की संख्या : निरीक्षण की तारीख से पहले पिछले 30 दिनों में से कम से कम 15 दिनों के लिए संस्था में उपस्थित रहने वाले पात्र लाभार्थियों की संख्या के लिए सहायता अनुदान की गणना की जाएगी। निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में ऐसे लाभार्थियों की संख्या निर्दिष्ट की जाएगी।

(v) संगठन को मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल (ई–अनुदान) पर अनुदान के लिए आवेदन करना होगा और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पूरा प्रस्ताव भेजना होगा। ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट के निरीक्षण और प्रस्तुत करने पर, जिला समाज कल्याण अधिकारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। यदि राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 60 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लेता है, तो भारत सरकार योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों के लिए निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती है।

4.1.1.4 डीडीआरएस के तहत अनुदान के लिए पात्रता की शर्तें

(i) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर–लाभकारी कंपनी के तहत पंजीकृत संगठन;

(ii) न्यूनतम दो वर्षकी अवधि के लिए अस्तित्व में।

(iii) निःशक्तजन अधिनियम, 1995/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के के तहत पंजीकृत।

(iv) नीति आयोग पोर्टल पर पंजीकृत, एनजीओ – दर्पण।

(v) परियोजना को शुरू करने के लिए उचित रूप से गठित निकाय जो किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए या किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के लिए नहीं चलाया जाएगा।

4.1.1.5 आवेदन कैसे करें

(i) विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की सहायता से मंत्रालय की वेबसाइट www.grants-msje.gov.in पर एक केंद्रीकृत ऑन–लाइन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया है। डीडीआरएस के तहत सहायता अनुदान (जीआईए) मांगने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा सभी आवेदन मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑन–लाइन प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। सभी एनजीओ को यूनिक आईडी जनरेशन के लिए नीति आयोग पोर्टल www.ngodarpan.gov.in पर अपना पंजीकरण कराना होगा। तत्पश्चात, सहायता अनुदान के लिए आवेदन आवेदन को एनजीओ – दर्पण पर सृजित विशिष्ट आईडी के साथ–साथ ई–अनुदान पोर्टल www.grants-msje.gov.in पर भेजना होगा।

(ii) संगठन सबसे पहले अपना प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार (एसजी) के संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) को प्रस्तुत करेगा।

(iii) डीएसडब्ल्यूओ अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, संबंधित एसजी को निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) आदि के साथ प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा।

(iv) संबंधित एसजी अपनी संबंधित राज्य स्तरीय बहु–विषयक सहायता अनुदान समिति द्वारा अनुमोदित

किए जाने पर संगठन के प्रस्ताव को भारत सरकार (जीओआई) को अग्रेषित करेंगे।

4.1.1.6 स्वीकृति प्रक्रिया और निधियां जारी करना

(i) विभाग समय–समय पर एसजी द्वारा अग्रेषित संगठन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी (एससी) की बैठक आयोजित करता है।

(ii) अनुसूचित जाति द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव जो योजना के मानदंडों को पूरा करते हैं और सभी अनिवार्य आवश्यक दस्तावेज आदि होने पर, सहायता अनुदान (जीआईए) जारी करने के लिए एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) के अनुमोदन और सहमति की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

(iii) एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) द्वारा सहमत की गई राशि के लिए सहायता अनुदान की निर्मुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया / लिया जाता है।

(iv) सक्षम प्राधिकारी के प्रशासनिक अनुमोदन के बाद, स्वीकृति जारी की जाती है और इसका बिल संगठन के बैंक खाते में स्वीकृति राशि जारी करने के लिए विभाग के भुगतान और लेखा कार्यालय को भेजा जाता है।

(v) संगठन को स्वीकृत/जारी किए गए पिछले सहायता अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र और किसी भी अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद ही अगले सहायता अनुदान पर विचार किया जाता है।

http://disabilityaffairs.gov.in/content/page/ddrs.php पर योजना के दिशा–निर्देश देखे जा सकते हैं।

4.1.2 जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी)

4.1.2.1 उद्देश्य:

पुनर्वास व्यावसायिकों के जागरूकता सृजन, पुनर्वास, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के लिए जिला स्तर पर संरचना और क्षमता निर्माण के सृजन की सुविधा प्रदान करने के लिए, विभाग दिव्यांगजनों को व्यापक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए देशभर के सभी सेवा रहित जिलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने में सहायता कर रहा है। राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से डीडीआरसी स्थापित करने की योजना का प्रारंभ नौवीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था तथा अब भी जारी है। **कुल 325 जिलों को डीडीआरसी की स्थापना के लिए चिन्हित और अनुमोदित किया गया है।** इनमें से, अब तक 264 जिलों में डीडीआरसी स्थापित किए गए हैं।

डीडीआरसी को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय, संरचनात्मक, प्रशासनिक और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है, ताकि वे संबंधित जिलों में दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने की स्थिति में रहें। डीडीआरसी के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- कैम्प दृष्टिकोण के माध्यम से दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण और पहचान,
- दिव्यांगता की रोकथाम को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए जागरूकता सृजन,
- शीघ्र उपाय,
- सहायक उपकरणों, सहायक उपकरणों के प्रावधान /निर्धारण तथा सहायक उपकरणों की जांच / मरम्मत की आवश्यकता का आकलन,

- उपचारात्मक सेवाएं जैसे भौतिक चिकित्सा, ऑक्यूपेशल थेरेपी, वाक् चिकित्सा आदि,
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र, बस पास और अन्य रियायतें जारी करने तथा दिव्यांगजनों को सुविधाएं प्रदान करना,
- सरकारी और धर्माथ संस्थानों के माध्यम से शल्य चिकित्सा संबंधी सुधार करने के लिए रेफरल और व्यवस्था करना,
- बैंकों और एनएचएफडीसी के राज्य चैनल वितरण एजेंसियों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों से स्व–रोजगार के लिए ऋणों का प्रबंधन,
- दिव्यांगजनों, उनके अभिभावकों और परिवार के सदस्यों को परामर्श देना,
- बाधा मुक्त वातावरण का प्रचार करना।

4.1.2.2 कार्यान्वयन में राज्य सरकार की भूमिका

यह योजना केंद्र सरकार और राज्यों का एक संयुक्त कार्य है। **डीडीआरसी के प्रभावी कार्य–पद्धति में राज्य सरकार द्वारा एक अग्रसक्रिय भूमिका निभाना अपेक्षित है। स्थानीय प्रशासन की अधिकतम सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार एक प्रभावी तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए डीडीआरसी के पारिश्रमिक और अन्य आवश्यकताओं को उपयुक्त रूप से बढ़ा सकती है।**

राज्य सरकार योजना के तहत मुख्य शर्तों की सीमा में वास्तविक कारणों पर विचार करते हुए, डीडीआरसी के प्रभावी कार्य के लिए संशोधन करने के लिए जिलाधिकारियों को उनकी क्षमता में जिला प्रबंधन दल (डीएमटी) के अध्यक्ष **के रूप में प्राधिकृत कर सकता है।**

4.1.2.3 सहायता अनुदान के लिए स्वीकार्य क्रियाकलाप घटक

(i) **स्वीकार्य सहायता अनुदान**

दिव्यांगजनों को बृहद पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक डीडीआरसी को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना के तहत डीडीआरसी के संबंध में आवर्ती और गैर–आवर्ती व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

प्दनाम	(रूपए लाखों में)**
कुल मानदेय	23.40
कार्यालय व्यय / आकस्मिक व्यय	5.25
उपकरण (मात्र पहले वर्ष के लिए)	20.00
पहले वर्ष के लिए कुल	48.65
दूसरे वर्ष से कुल	28.65

(**) उत्तर–पूर्वी राज्यों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुच्चेरी, दमन एवं दीव, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वाम अतिवाद प्रभावित जिलों और देश में अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए जिलों में स्थित डीडीआरसी के मामलों में–20 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय (अर्थात् पहले वर्ष के लिए 53.33 लाख रूपए तक तथा बाद के वर्षों के लिए 33.33 लाख रूपए तक) अनुमत है।

(ii) प्रत्येक पद हेतु निर्धारित जन शक्ति तथा अनुमत्य मानदेय नीचे दिया गया है :–

क्र.सं.	पद	प्रतिमाह अधिकतम मानदेय (रूपये में)	योग्यता
1	क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक / मनोवैज्ञानिक	20500.00	क्लिनिकल मनोविज्ञान में एमफिल / मनोविज्ञान में एम.ए, दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव को वरीयता
2	वरिष्ठ फिजियोथिरेपिस्ट / ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	20500.00	5 वर्षके अनुभव के साथ संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर
3	शारीरिक दिव्यांग वरिष्ठ प्रोस्थेटिस्ट / आर्थोटिस्ट	20500.00	किसी राष्ट्रीय संस्थान से वरीयता के साथ प्रोसथेटिक तथा आर्थोटिक में 5 वर्ष की डिग्री अथवा 6 वर्ष के अनुभव के साथ प्रोस्थेटिक तथा आर्थोटिक में डिप्लोमा
4	प्रोस्थेटिस्ट आर्थोटिस्ट तथा तकनीशियन	14500.00	2 / 3 वर्ष के अनुभव के साथ आईटीआई प्रशिक्षित
5	वरिष्ठ वाक थेरेपिस्ट ऑडियोलोजिस्ट	20500.00	संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर / बीएससी (वाक एवं श्रवण)
6	श्रवण सहायक / कनिष्ठ वाक थेरेपिस्ट	14500.00	श्रवण यंत्र मरम्मत / ईयर माऊल्ड मेकिंग के ज्ञान के साथ वाक एवं श्रवण में डिप्लोमा
7	गतिशीलता अनुदेशक	14500.00	गतिशीलता में प्रमाणपत्र / डिप्लोमा के साथ मेट्रिकुलेशन
8	बहुद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्त्ता	14500.00	सीबीआर / एमआरडब्ल्यू कोर्स में डिप्लोमा के साथ 10+2 पास अथवा 2 वर्ष के अनुभव के साथ प्रारंभिक बचपन विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स
9	लेखाकार–सह–लिपिक सह भंडारपाल	14500.00	बी.कॉम / एसएएस के साथ 2 वर्ष का अनुभव
10	परिचर–सह–चपरासी सह संदेशवाहक	9500.00	8वीं कक्षा उत्तीर्ण
11	क्षेत्र और प्रचार सहायक	14500.00	स्नातक
12	व्यावसायिक काउंसलर सह कंप्यूटर सहायक	14500.00	स्नातक

*उपरोक्त पैरा 4.1.4.3 (i) में परिभाशित विशेष क्षेत्रों में अवस्थित डीडीआरसी में 20 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय स्वीकार्य है।

4.1.2.4 आवेदन कैसे करें:

चिह्नित और अनुमोदित जिलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना तथा दिव्यांगजन अधिनियम कार्यान्वयन के लिए (सिपडा) योजना के तहत प्रथम वर्षके अनुदान की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा:

- संबंधित जिले के मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला प्रबंधन टीम (डीएमटी) के गठन करने संबंधी आदेश की प्रति, तथा इसमें जिले के समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पंचायती राज, महिला तथा बाल कल्याण विभाग के कर्मचारीगण तथा कार्यान्वयन एजेंसी से नोडल अधिकारी और बेहतर समन्वय और निगरानी के लिए प्रतिष्ठित एनजीओ/जन प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएमटी के संविधान को अधिसूचित कर सकती है। यह टीम डीडीआरसी की संपत्ति का संरक्षक भी होगी।

- जिला प्रबंधन टीम द्वारा चिह्नित/अनुशंसित कार्यान्वयन एजेंसी जिसमें जिला रेडक्रास सोसायटी अथवा राज्य की स्वायत्त निकाय हो सकता है अथवा उनकी अनुपस्थिति में दिव्यांगजनों के पुनर्वास में संलग्न प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन को प्राथमिकता दी जा सकती है।

- जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के नाम से संयुक्त बैंक खाता खोलने के लिए बैंक का प्राधिकार पत्र (इसमें एक प्रतिनिधि जिला प्रबंधन टीम से तथा दूसरा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अधिकृत व्यक्ति)।

- सोसाइटी अधिनियम/ट्रस्ट अधिनियम/कंपनी अधिनियम (धारा 25) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन पंजीकरण प्रमाण–पत्र।

- कार्यान्वयन एजेंसी की पिछले दो वर्शों की वार्षिक रिपोर्टों तथा लेखा परीक्षित लेखों (चाटर्ड अकाउंटेंट से विधिवत् स्याही से हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ और प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित) की प्रतियां।

- निरीक्षण प्रमाणपत्र की प्रति।

- उपयोग प्रमाणपत्र यदि कोई सहायता अनुदान डीडीआरसी को पहले जारी किया गया हो।

4.1.2.5 जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र की स्वीकृति की प्रक्रिया

निर्धारित दस्तावेजों के साथ पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर उन पर कार्रवाई की जाती है और उन्हें एकीकृत वित्त प्रभाग से वित्तीय सहमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उनकी सहमति के बाद सक्षम प्राधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के संयुक्त खाते में स्वीकृत राशि के हस्तांतरण के लिये स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

योजना के दिशानिर्देशों को http://disabilityaffairs.gov.in/content/page/district-disability rehabilitation-centres.php **पर देखा जा सकता है।**

4.2 सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप)

योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांगताओं को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि करके और साथ ही उनकी शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पुनवार्सन के संवर्धन हेतु सहायता अपेक्षित दिव्यांगजनों की टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक ढंग से निर्मित, आधुनिक, सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद में सहायता करना है। दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र उनकी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की क्षमता में सुधार करने और दिव्यांगता की मात्रा और दूसरी दिव्यांगता होने के रोकने के लिये प्रदान किये जाते है। योजना के अंतर्गत आपूर्तिकृत यंत्र और उपकरण विधिवत प्रमाणित होने चाहिये। स्कीम के तहत वितरण हेतु कार्यन्वयन एजेंसियों द्वारा खरीद किए जाने वाले अलग–अलग अंग सहित बाह्य स्रोत से प्राप्त किए गए सहायक यंत्रों एवं सहायक उपकरणों की गुणवत्ता दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार सरकारी प्रमाणन एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित की जानी होती है।

योजना का कार्यान्वयन विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। विभाग की ओर से योजना को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित एजेंसियां पात्र हैं, जिनके द्वारा निम्नलिखित निबंधन और शर्तो का पूरा करना आवश्यक है:

(i) समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं और अलग से पंजीकृत उनकी शाखायें, यदि कोई हो तो,

(ii) पंजीकृत चेरिटेबल ट्रस्ट

(iii) भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी एवं जिला क्लेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में अन्य स्वायत्त निकाय

(iv) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय/शीर्ष संस्थान, समेकित क्षेत्रीय केन्द्र, आरसी, डीडीआरसी, राष्ट्रीय न्यास, एलिम्को

(v) राष्ट्रीय/राज्य दिव्यांग विकास निगम और निजी क्षेत्र की धारा 25 की कंपनियां

(vi) स्थानीय निकाय–जिला परिशद, नगर पालिकायें, जिला स्वायत्त विकास परिषदें और पंचायतें आदि

(vii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्र सरकार द्वारा यथासंस्तुत अलग संस्था के तौर पर पंजीकृत अस्पताल

(viii) नेहरू युवा केन्द्र

(ix) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा उपयुक्त समझा गया कोई अन्य संगठन।

4.2.1 अनुदान हेतु स्वीकार्य कार्यकलाप/घटक

कार्यान्वयन एजेसिंयों को योजना के उद्देश्यों के अनुरूप मानक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद, निर्माण तथा वितरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना में यंत्रों तथा उपकरणों को फिट करने से पूर्व, आवश्यक चिकित्सा/सर्जिकल सुधार तथा उपाय भी शामिल होगा।

4.2.2 योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु दिव्यांगजनों के लिए विभाग द्वारा अधिसूचित आधुनिक यंत्रों तथा सहायक उपकरणों की दिव्यांगता वार सूची:

(I) दृष्टि बाधित:

(क) दृष्टि बाधितों हेतु सांकेतिक मूल्य, विशिष्टताएं, और खरीद का स्त्रोत दर्शाते हुए 51 सहायक उपकरणों की सूची एवं सांकेतिक मूल्य और खरीद का स्त्रोत दर्शाते हुए दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों हेतु श्रेणीवार किट्स अर्थात:–

(i) किट–1 कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए,

(ii) किट–2 कक्षा 6 से 8 तक में उच्चतर प्राथमिक स्कूल की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिये,

(iii) किट–3 कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले बच्चों के लिये,

(iv) किट–4 कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले बच्चों के लिये, जिसके दो उप भाग अर्थात किट 4 (क) दृष्टिहीन छात्रों के लिये और किट–4 (ख) कम दृष्टि के छात्रों के लिये हैं,

(v) किट–5 कालेज के छात्रों के लिये है जिसके 2 उप–भाग हैं अर्थात किट–5 (क) दृष्टिहीन छात्रों के लिए और किट–5 (ख) कम दृष्टि के छात्रों के और व्यस्कों के लिये है।

(vi) किट–6 वयस्कों के लिए एडीएल किट। इसमें दृष्टि बाधितों हेतु सामान्य कम दृष्टि उपकरणों की सूची और अत्याधुनिक (हाई एंड) और अन्य सामान्य उपकरणों की सूची भी दी गई है।

(ख) **स्मार्ट केन**

स्मार्ट केन एक इलैक्ट्रानिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता के घुटने की ऊंचाई से सिर की ऊंचाई तक बाधाओं का पता लगा सकता है। स्मार्ट केन के अन्य लाभ भी हैं, जैसे स्थानिक जागरूकता उपकरण, चूंकि यह उपस्थिति और दूरी का पता लगा सकता है।

(II) कुष्ठरोग प्रभावित:

कुष्ठ प्रभावितों हेतु उपकरणों की सूची अर्थात:

(i) कॉमन सहायक दैनिक रहन–सहन किट (एडीएल) एलिम्को द्वारा खरीद की जाएगी और वितरित की जाएगी और

(ii) एनआईआरटीएआर, आईपीएच, एनआईओएच और सहभागी एनजीओ द्वारा वितरण किये जाने हेतु आवश्यकता अनुसार 34 वैयक्तिक वैकल्पिक उपकरणों की सूची।

(iii) बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगताएं

बौद्धिक तथा विकासात्मक दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों हेतु वित्तीय सहायता के लिए, अर्थात:

(क) मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिये 4 किट, अर्थात:–

(i) किट 1(क): आयु समूह 0–3 वर्ष: शीघ्र उपाय समूह (कोड–इ1) और किट 1(ख): आयु समूह 0–3 वर्षमें बहु–दिव्यांगों हेतु टीएलएम किट,

(ii) किट–2: आयु समूह 3–6 वर्ष: पूर्व प्राथमिक समूह (कोड–पीपी)

(iii) किट–3: आयु समूह 7–11 वर्ष: प्राथमिक समूह (कोड–पीआर) और

(iv) किट–4: आयु समूह 12–15 और 16–18 वर्ष: माध्यमिक और पूर्व व्यावसायिक (कोड–एसईसी/पीवी)। आरंभ में ये किट्स पूरे देश में विशेष स्कूलों में प्रदान किये जाएंगे।

(ख) बहु–दिव्यांगताओं से ग्रस्त बच्चों के लिये 3 टीएलएम किट–अर्थात

(i) किट–1 आयु समूह 3–6 वर्ष

(ii) किट–2: आयु समूह 6–10 वर्ष और

(iii) किट–3 आयु समूह 10 वर्षऔर उससे ऊपर और

(ग) एलिम्को माडल सैंसरी किट: बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों हेतु मल्टी सैंसरी समावेशी शिक्षा विकास किट (एमएसआईईडी)। बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों हेतु समावेशी शिक्षा विकास किट (एमएसआईईडी)

(iv) श्रवण बाधित

सहायक यंत्र जैसे बाडी लेवल हियरिंग ऐडस, एनालोग/नान प्रोग्रामेबल–बिहाइंड दी ईयर (बीटीई), इन दा ईयर (आईटीई), इन दा केनाल (आईटीसी), कंप्लीटली इन दी केनाल (सीआईसी), डिजिटल/प्रोग्रामेबल–बिहाइंड दी ईयर (बीटीई), इन दी ईयर (आईटीई), इन दी केनाल (आईटीसी), कंप्लीटली इन दी केनाल (सीआईसी), पर्सनल एफ एम हियरिंग एडस, ब्लुटूथ नेक लूप फार हियरिंग ऐडस, वाईब्रेटरी अलार्म, बेबी क्रांइग एलर्टिंग सिग्नलर, एंपलिफाइड टेलीफोन, टेलीफोन एंपलिफायर, आडियो इंडक्शन लूप, इनफ्रेरड सिस्टम, हियरिंग एडस विद बोन वाइब्रेटर, एजुकेशनल किट (2 से 5 वर्षके और प्री–स्कूल जाने वाले बच्चे), कंटेनिंग लेंग्वेज (वोकेबलरी) बुक, आर्टिकुलेशन ड्रिल बुक, स्टोरी बुक, अन्य मैटिरियल (फैमली हैंड पप्पेट्स, 5 पजल्स, मॉन्टेसरी इक्विपमैंट्स/टॉयज़, शेप सार्टर क्लाक, वन सैट आफ नॉयज़ मेकर्स, ब्लाक शार्टर बाक्सेस, सेट ऑफ वर्ब कार्ड्स और 5 सॉफ्ट टॉयज़)।

(v) कोकलियर इंप्लांट

संशोधित एडिप योजना में प्रतिवर्ष 500 बच्चों को कोकलियर इंप्लांट प्रदान करने का प्रावधान है जिसमें 6.00 लाख रूपए प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा तक सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लाभाथियों की अधिकतम आय सीमा अन्य सहायक यंत्रों एवं सहायक उपकरणों के लिए बताए अनुसार वहीं होगी। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई कोकलियर इंप्लांट के लिए नोडल एजेंसी है। संस्थान समाचार पत्रों (अखिल भारत संस्करणों) में विज्ञापन जारी करने के माध्यम से और अपनी वेबसाईट: www.ayjnihh.nic.in पर भी आवेदन आमंत्रित करता है। कोकलियर इंप्लांट भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर द्वारा खरीदे जाते है और नामांकित अस्पतालों को उपलब्ध कराए जाते हैं। सर्जरी अभिज्ञात सरकारी/राज्य सरकार अनुमोदित अस्पतालों में की जाती है। कोकलियर

इंप्लांट सर्जरी कराने के लिए मंत्रालय ने सरकारी और निजी अस्पतालों को पैनलबद्ध किया है।

(vi) अस्थि बाधित

सहायक उपकरण : जैसे लोअर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थिसिस, हाई एंड अपर एक्ट्रीमिटी प्रोस्थिसिस, लोअर एक्ट्रीमिटी आर्थोसिस, स्पाईनल आर्थोटिक्स और मोटराइज़्ड व्हील चेयर– क्वाड्रिप्लेजिक व्हील चेयर विद चिन और हेड कंट्रोल, क्वाड्रिप्लेजिक व्हील चेयर विद जॉयस्टिक एंड मोटराईज़्ड व्हील चेयर (हैंडल ड्रिवन)।

(vii) मोटरयुक्त ट्राइसाईकिल्स एवं व्हीलचेयर्स

गंभीर दिव्यांगों और क्वाड्रिप्लिजिक (एससीआई), मस्कुलर डाइस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सैरेबल पाल्सी से पीडित, हैमिप्लेजिक अथवा ऐसी ही स्थिति वाले व्यक्ति जिनके शरीर के तीन/चार अंगों अथवा शरीर के आधे भाग के गंभीर रूप से अक्षम हो, को मोटरयुक्त ट्राइसाईकिल्स एवं व्हीलचेयर्स प्रदान किए जाएंगे। **सब्सिडी की अधिकतम सीमा 25,000/– रूपये तक होगी। यह 16 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 10 वर्षमें एक बार प्रदान की जायेगी।** तथापि 16 वर्षऔर उससे अधिक आयु के मानसिक मंदता ग्रस्त गंभीर दिव्यांग व्यक्ति मोटरयुक्त ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर के पात्र नहीं होंगे, चूंकि इससे उनको गंभीर दुर्घटना/शारीरिक नुकसान का खतरा हो सकता है।

(viii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में शामिल की गई नई दिव्यांगताओं के लिए कोई भी उपयुक्त सहायक यंत्र एवं उपकरण निर्धारित किए जा सकते हैं।

4.2.3 योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता की प्रमात्रा

वे यंत्र/उपकरण जिनकी लागत 10,000/– रूपये से अधिक नहीं होती है एकल दिव्यांगता की योजना के अंतर्गत कवर किये जाते हैं। तथापि, दिव्यांग छात्रों (एसडब्लूडी), ix वर्ग से उपर के छात्रों के मामले में अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 12,000/–रूपये कर दिया जाएगा। बहु–दिव्यांगता के मामले में एक से अधिक यंत्र/उपकरण की आवश्यकता होने पर यह सीमा पृथक रूप से अलग वस्तुओं हेतु लागू होगी। जागरूकता, मूल्यांकन और अनुवर्ती शिविरों के संचालन के लिए प्रशासनिक/ओवरहेड खर्चों के रूप में एजेंसियां 5% अनुदान का उपयोग करेंगी।

कुल आय	सहायता की मात्रा
(i) 15,000/– रूपये तक मासिक	(i) यंत्र/उपकरण की पूर्ण लागत
(ii) 15,001/– रूपये से 20,000/– रूपये तक मासिक	(ii) यंत्र/उपकरण की 50 प्रतिशत लागत

प्रत्येक दिव्यांगता हेतु वित्तीय सहायता 10,000/– रूपये होगी और 20,000/– रूपये की लागत वाले उपकरणों के संबंध में दिव्यांग छात्रों के लिए वित्तीय सहायता की सीमा 12,000/– रूपये होगी। 20,000/– रूपये से ऊपर की लागत के उपकरणों हेतु, लागत का 50% सरकार वहन करेगी। शेश राशि का या तो राज्य सरकारों अथवा गैर–सरकारी संगठनों अथवा अन्य किसी एजेंसी अथवा संबंधित लाभार्थी द्वारा अंशदान किया जायेगा। यह मामला दर मामला आधार पर मंत्रालय के अनुमोदन से योजना के अंतर्गत बजट के 20% तक सीमित होगा।

दिव्यांगजनों को केन्द्र में आने के दिनों के लिये अलग से यात्रा व्यय देय होगा तथा एक एस्कोर्ट को 250 रूपये प्रति व्यक्ति तक बस अथवा रेल किराया देय होगा।

इसके अतिरिक्त केवल उन रोगियों को जिनकी कुल आय 15,000/–रूपये प्रतिमाह तक है 15 दिन की अधिकतम अवधि के लिए 100 रूपये प्रतिदिन की दर से आवास तथा भोजन खर्च अनुमत्य होगा और यही दर एटैंडैट/एस्कोर्ट के लिये अनुमन्य होगी।

4.2.4 कैसे आवेदन करे

संगठन अपने आवेदन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से विभाग को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेंगे। **राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की अनुशंसा के साथ केवल ऑन–लाइन प्राप्त हुए एनजीओ के प्रस्तावों पर योजना के तहत कार्रवाई की जाती है। एडिप योजना के तहत सहायता अनुदान के लिए आवेदन करने हेतु, एनजीओ को एनजीओ पोर्टल www.grants-msje.gov.in.ij ऑन–लाइन आवेदन करना होता है।**

संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट अर्थात www.disabilityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

एनजीओ दर्पण पोर्टल में नीति आयोग के पास पंजीकरण और ई–अनुदान पोर्टल पर एनजीओ द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं। इसके अलावा, गैर–सरकारी संगठन/ वीओ के न्यासियों/ सदस्यों के पैन और आधार नंबर विवरण अनिवार्य हैं।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना (विधिवत अभिप्रमाणित) संलग्न की जानी चाहिये :–

(i) निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 51/52 /आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति।

(ii) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 तथा उनकी संस्थाएं, यदि कोई हो, पृथक रूप से अथवा चैरीटेबल ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत प्रमाणपत्र की एक प्रति।

(iii) संगठन की प्रबंधन समिति के सदस्यों के नाम तथा विवरण।

(iv) संगठन की नियमावली, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की एक प्रति।

(v) पूर्व के वर्शो के प्रमाणित लेखा–परीक्षित लेखों तथा वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (संगठन की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति को दर्शाते हुये)।

(vi) योजना के अंतर्गत पहले से ही सहायता अनुदान प्राप्त कर रही कार्यान्वयन एजेसिंयों को भी विगत वर्षमें जारी किए गए सहायता अनुदान और उसे प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की सूची को एक्सेल प्रोग्राम में सीडी में और हार्ड कॉपी में शामिल लाभार्थियों की सूची, जो दो पृष्ठ से अधिक नहीं होगी, के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(vii) अनुशंसा प्राधिकारी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता अनुदान के उपयोग के बारे में लाभार्थियों की नमूना जांच करेगा। कम से कम 15 प्रतिशत (10 लाख रुपये तक की सहायता अनुदान के मामले में) और 10 प्रतिशत (10 लाख रुपये से अधिक सहायता अनुदान के मामले में) लाभार्थियों के संबंध में जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।

(viii) जी.एफ.आर. के तहत निर्धारित प्रपत्र में उपयोग प्रमाणपत्र।

(ix) कार्यान्वयन एजेंसियां उनके द्वारा आपूर्ति किए गए सहायक यंत्रों और उपकरणों का एक वर्ष निःशुल्क रखरखाव करेंगी।

(x) यदि इसके नियमित आधार पर 20 से अधिक कर्मचारी हैं तो संगठन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एससी/एसटी/ ओबीसी और दिव्यांग व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करेगा।

(xi) कार्यान्वयन एजेंसी को एक वेबसाईट भी बनाई रखनी चाहिए और प्राप्त, उपयोग किए गए अनुदान के ब्यौरे और लाभार्थियों की सूची के साथ–साथ फोटो एवं राशन कार्ड नंबर/ मतदाता पहचान संख्या/ आधार कार्ड नंबर, जैसा भी मामला हो, अपलोड करना चाहिए।

(xii) आधार अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में, मंत्रालय ने 3 मार्च 2017 को एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत एडिप योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसी पात्र व्यक्ति को आधार संख्या धारण का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4.2.5 अनुदान/सहायता मंजूरी की प्रक्रिया:

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

↓

कार्यान्वयन एजेसियां

↓

लाभाथी

पात्र लाभार्थियों को शिविर गतिविधियों/मुख्यालय गतिविधियों/विशेष शिविरों/एडिप–एस.एस.ए के माध्यम से कार्यान्वयन एजेसिंयों द्वारा सहायक यंत्र तथा उपकरण वितरित किए जाते हैं।

4.3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)

योजना का उद्देश्य

(i) यह मंत्रालय दिव्यांगजन अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा) कार्यान्वित कर रहा है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार, सार्वजनिक परिवहन, निर्मित वातावरण, सूचना और संचार की पहुंच के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों हेतु प्रयास करता है और उनकी स्वतंत्रता और गरिमा को बढ़ाता है। मंत्रालय, निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के लागू होने के बाद 1999 से इस योजना के तहत निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत निधियां जारी कर रहा है:

(क) एआईसी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के अलावा बाधा रहित वातावरण का निर्माण

(ख) दिव्यांगजनों के कोशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)

(ग) सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)

(घ) विशिष्ट दिव्यांगता आईडी परियोजना (यूडीआईडी)

(ङ) जागरूकता सृजन और प्रचार योजना।

(च) दिव्यांगता संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दे योजना पर शोध।

(छ) निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजना।

(ज) केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों के सेवाकालीन (इन–सर्विस) प्रशिक्षण और संवेदीकरण की योजना।

(झ) कॉलेज ऑफ डेफ़ स्टडीज़

(ञ) मीडिया

(ट) राज्य स्पाइनल इंजुरी केन्द्र

(ठ) ब्रेल प्रेसों का संवर्धन

योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियां :

निम्नलिखित एजेंसियों को सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है :

i) राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों के विभाग।

ii) केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों सहित केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।

iii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/डीडीआरसी/आर सी/आउटरीच केन्द्र।

iv) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत संगठन जिन्हें केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों या अधीनस्थ निकायों द्वारा कोशल प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त है।

v) केंद्रीय/राज्य मान्यता प्राप्त खेल निकाय और परिसंघ।

योजना के तहत कवर की गई गतिविधियाँ :–

(i) दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण प्रदान करना, जिसमें स्कूल, कालेज, शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संस्थान, कार्यालय तथा सरकारी भवन, मनोरंजनात्मक क्षेत्र, स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल आदि शामिल हैं। इसमें रैंप्स, रेल्स, लिफ्ट्स, शौचालयों का व्हीलचेअर प्रयोगकर्त्ताओं के लिए अनुकूलन, ब्रैल संकेतक (साइनेजिज) तथा आडिटरी सिग्नल, टेक्टाइल फलोरिंग, कर्ब कटस, तथा व्हील चेयर प्रयोगकर्त्ताओं की सुगम पहुँच हेतु, पेवमैंट पर ढलान बनाना, दृष्टिहीन अथवा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों हेतु जैबरा क्रासिंग की सतह पर उत्कीर्णन करना, दृष्टिहीनों अथवा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों हेतु रेलवे प्लेटफार्मो पर उत्कीर्णन करना तथा दिव्यांगता के उचित चिन्हों की डिवाइसिंग

करना शामिल है।

(ii) भारतीय सरकारी वेबसाइट हेतु एनआईसी तथा प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, जो उनकी वेबसाइट "http:// darpg.nic.in" पर उपलब्ध हैं, के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए केन्द्रीय/राज्य तथा जिला स्तर पर सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाना।

(iii) दिव्यांगजनों हेतु कोशल विकास कार्यक्रम।

(iv) निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली एवं सूचना तथा संचार पारिस्थितिकी प्रणाली की सुगम्यता बढ़ाना। विभाग ने सर्वसुलभ सुगम्यता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान के रूप में ''सुगम्य भारत अभियान'' की अवधारणा प्रारंभ की जो दिव्यांगजनों को समान अवसर और स्वतंत्र जीवन और एक समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी के लिए पहुँच का लाभ लेने के लिए समर्थ बनाएगा। अभियान में सुगम्यता लेखा परीक्षा का संचालन और निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली एवं सूचना तथा संचार पारिस्थितिकी प्रणाली तथा आईसीटी पारिस्थितिकी प्रणाली में सार्वजनिक स्थानों/अवसंरचना पूर्ण सुगम्य बनाना शामिल करेगा।

(v) दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाणपत्रों, पहचान पत्र और सर्वेक्षण, और सर्वसुलभ (यूनिवर्सल) आईडी जारी करने हेतु शिविरों के आयोजनों में राज्य सरकारों की सहायता करना।

(vi) विभिन्न स्टेकहोल्डरों और अन्य सूचना शिक्षा समुदाय हेतु जागरूकता अभियान और सुग्राहीकरण कार्यक्रम सृजित करना तथा जागरूकता सृजन और प्रचार योजना का कार्यान्वयन।

(vii) दिव्यांगता मुद्दों एवं काउंसिलिंग पर सूचना का प्रसार करने और सहायक सेवायें प्रदान करने हेतु संसाधन केन्द्र स्थापित करना/सहयोग प्रदान करना

(viii) सुगम्य पुस्तकालयों का, भौतिक और डिजिटल दोनों, और अन्य ज्ञान केन्द्र (नालेज सैंटरों) का संवर्धन करना।

(ix) दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। दिव्यांगता संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दे योजना पर अनुसंधान का कार्यान्वयन।

(x) श्रवण बाधित नवजात शिशुओं की सहायता करने और नियमित स्कूलिंग हेतु तैयार करने के लिये और आवश्यक कोशल प्राप्त करने हेतु युवा बच्चों की सहायता करने हेतु जिला मुख्यालयों/अन्य और जिला चिकित्सा कालेजों वाले अन्य स्थानों पर प्रारंभिक नैदानिक और सहायता केन्द्र स्थापित करना

(xi) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवसंरचात्मक सुविधाओं हेतु दिव्यांगजन राज्य आयुक्तों के कार्यालयों हेतु अनुदान प्रदान करना।

(xii) जहां उपयुक्त सरकारों/स्थानीय अधिकारियों की अपनी जमीन हो वहां दिव्यांगजनों के लिए विशेष मनोरंजन केंद्रों का निर्माण/पार्कों का विकास और मौजूदा पार्कों और अन्य शहरी बुनियादी ढाँचों में बाधामुक्त मानक प्रदान करना।

(xiii) राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर खेलकूद आयोजनों हेतु सहायता करना।

(xiv) नई योजनाओं या परियोजनाओं के तैयार करने के लिए आवश्यक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु सलाहकार नियुक्त करने संबंधित व्यय को पूरा करने हेतु सहायता।

(xv) केन्द्रीय/राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के मुख्य पदाधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण।

(xvi) दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन।

(xvii) अधिनियम में निर्दिष्ट किसी ऐसे अन्य कार्यकलाप के लिए वित्तीय सहायता जिसके लिये विभाग की मौजूदा योजनाओं द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध/कवर नहीं कराई जा रही हैं।

4.3.1 कोशल विकास के घटक :

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) हैं। यद्यपि, भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दिव्यांगजनों का है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के बावजूद, उनकी सार्थक रोजगार की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई है। भारत में दिव्यांगजनों को रोजगारपरक कोशल विकसित करने एवं सार्थक रोजगार प्राप्त करने हेतु अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें श्रम बाज़ार में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। सामान्य गरीबी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कम होने के कारण कुल जनसंख्या में, दिव्यांगजनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक अनुपात में है। ग्रामीण दिव्यांगजन कोशल और बाजारों से काफी हद तक अछूते हैं।

दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों में सुधार करना, दिव्यांग व्यक्तियों, उनके परिवारों के जीवन स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण तत्व है, साथ ही व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त लाभ भी हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ख़राब रोजगार परिणामों से जुड़े व्यक्तियों और समाज के लिए यह महंगा पड़ रहा है। विश्व बैंक के अनुसार दिव्यांगजनों को अर्थव्यवस्था के बाहर रखना, जीडीपी का लगभग 5% से 7% छोड़ने के बराबर है। व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभों के अतिरिक्त, जनशक्ति की भागीदारी में वृद्धि एक मजबूत आर्थिक अनिवार्यता भी है, जो देश में कुशल जनशक्ति की कमी को हल करने में मदद करेगी, साथ ही साथ कल्याण निर्भरता से जुड़े राजकोषीय दबावों को कम करेगी।

4.3.1.1 दिव्यांगजनों के लिए विद्यमान कोशल प्रशिक्षण और रोजगार परिदृश्य नीचे दिए अनुसार हैं :

- दव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कोशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)।
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों तथा इसके संबद्ध संगठन यथा, राष्ट्रीय दिव्यांगता वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी), राष्ट्रीय न्यास इत्यादि द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
- प्रधानमंत्री कोशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के माध्यम से कोशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और राष्ट्रीय कोशल विकास निगम (एनएसडीसी)।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय दिव्यांगों के लिए 24 व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों (वीआरसीएच) की देखरेख करता है जिसे अब राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र (एनसीएससी) कहा जाता है, 10,000 से अधिक आईटीआई और लगभग 1000 रोजगार एक्सचेंज।

- तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध सामुदायिक कॉलेजों, आईआईटी और विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
- आवास एवं शहरी मंत्रालय का राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।
- अन्य केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों के व्यावसायिक प्रशिक्षण/ आजीविका कार्यक्रम।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण और कोशल विकास पर ध्यान देने वाले एनजीओ निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संगठन
- सीएसआर पहल के तहत, ऐसे कई संगठनों ने अनुकरणीय कार्य किया है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी दिव्यांगजनों के व्यावसायिक प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

4.3.1.2. सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कोशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी):

विभाग द्वारा 21 मार्च, 2015 को कोशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के सहयोग से सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कोशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई थी।

योजना निम्नलिखित घटकों के साथ विभाग में एक प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट (पीएमयू) के प्रावधानों के साथ प्रारंभ की गई थी :

- प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन इकाई
- सामग्री जनरेशन इकाई
- प्रशिक्षण निगरानी (मॉनीटरिंग) और प्रमाणन इकाई
- नियोक्ता कनेक्ट इकाई

ई–लर्निंग मॉड्यूल, प्रशिक्षण की निगरानी, ई–प्रमाणीकरण और प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए/ नौकरी पोर्टल के निर्माण और रखरखाव के लिए आईटी यूनिट।

(i) उद्देश्य और कवरेज:

(क) यह दिशानिर्देश 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और जिनके पास इस आशय के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो, उनको कवर करेगा।

(ख) महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रयास के रूप में, प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम का कुल 30% प्रवेश महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया गया है।

(ग) कोशल प्रशिक्षण इस विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से, निम्नलिखित पात्रता शर्तों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

(ii) पात्रता की शर्तें /प्रशिक्षुओं की पात्रता :

(क) भारतीय नागरिकता,

(ख) 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) एवं जिनके पास इस आशय हेतु सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो,
दिव्यांगता को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) जिसे, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 (जे) और/ या किसी भी प्रासंगिक कानून जो लागू हो, के साथ पढ़ा जाए, के तहत परिभाषित किया गया है।

(ग) पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आयु कम से कम 15 वर्ष और 59 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(घ) आवेदक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पहले दो वर्ष की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी अन्य कोशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हुआ हो।

(iii) कार्यान्वयन एजेंसियों (प्रशिक्षण प्रदाताओं) की पात्रता:

(क) इस योजना को लागू करने वाले संगठनों/ संस्थानों के द्वारा लागू किया जाएगा, जिन्हें इसके बाद से "प्रशिक्षण भागीदारों" के नाम से संदर्भित किया जाएगा। निम्न वर्गों के संगठनों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभाग, या
- केंद्रीय/ राज्य विश्वविद्यालयों सहित केंद्रीय/ राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों/ वैधानिक निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान/ सीआरसी/ डीडीआरसी/ आरसी/ आउटरीच केंद्र, या
- केन्द्रीय/ राज्य सरकार के विभागों या अधीनस्थ निकायों द्वारा कोशल प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त संगठन, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं ।

(ख) संगठन के पास कोशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव हो।

(ग) गैर–सरकारी संगठनों के मामले में, वे नीति आयोग की एनजीओ–भागीदारी (एनजीओ–पीएस) के साथ पंजीकृत होंगे और उन्हें एक यूनिक आईडी प्राप्त होनी चाहिए। गैर–सरकारी संगठन द्वारा अनुदान के लिए आवेदन के समय यूनिक आईडी अनिवार्य रूप से उद्धृत की जानी चाहिए।

(iv) आवेदन और चयन की प्रक्रिया :

चरण – I

इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को कोशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु "प्रशिक्षण भागीदार" के रूप में पंजीकृत होने के लिए अग्रणी समाचार पत्रों में और वेबसाइटों और अन्य मीडिया संगठनों के माध्यम से एक विज्ञापन जारी करके पात्र संगठनों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाएगी। प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में पैनलबद्ध होने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा जो पिछले अनुभव, विशेषज्ञता, अवसंरचना और उपलब्ध जनशक्ति और अन्य समान प्रासंगिक विचारों के मानदंडों के आधार पर चयन करेंगे। प्रशिक्षण भागीदारों का चयन एक निरंतर प्रक्रिया होगी।

(क) चयन समिति का गठनः प्रशिक्षण भागीदारों का चयन करने के लिए समिति निम्न प्रकार से गठित होगीः

1	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संबंधित संयुक्त सचिव ,	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (डीईपीडब्लूडी के प्रभारी) या उनकी अनुपस्थिति में निदेशक (आईएफडी),	सदस्य
3	कोशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में संबंधित संयुक्त सचिव या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी कम से कम निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारी।	सदस्य
4	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	सदस्य
5	डीईपीडब्लूडी में संबंधित निदेशक/उप सचिव	सदस्य–संयोजक
6	निम्न में से प्रत्येक संगठन का एक प्रतिनिधि– i) राष्ट्रीय कोशल विकास निगम निगम (एनएसडीसी), ii) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), iii) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफआईसीसीआई)	सदस्य
7	पीडब्ल्यूडी के लिए सेक्टर स्किल कौंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
8	दिव्यांगजनों के पुनर्वास और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न एनजीओ के तीन प्रतिनिधि (विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं का प्रतिनिधित्व) चयन समिति की हर बैठक के लिए विभाग द्वारा इन सदस्यों का सह–चयन किया जा सकता है।	सदस्य

(ख) समिति जब कभी आवश्यक समझे, एक विशेषज्ञ को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकती है।

(ग) संगठनों, जिन्होंने प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में नामित किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजा है, के चयन के लिए समिति समय–समय पर (प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक) बैठक आयोजित करेगी।

(घ) सेक्टर स्किल काउंसिल के गठन और इसकी पूर्ण संचालन तक समिति विभिन्न कोशल प्रशिक्षण के प्रस्तुत पाठ्यक्रमों को तय/ अनुमोदित करेगी और व्यक्तिगत दौरे और अन्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रदान किये गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी करेगी।

(ङ) चयन समिति के गैर–सरकारी सदस्य भारत सरकार के निदेशक के समकक्ष अधिकारी को स्वीकृत दरों पर टीए/ डीए के हकदार होंगे।

(च) चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए संगठनों को इस योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु तीन साल की अवधि के लिए "प्रशिक्षण भागीदारों" के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा।

चरण II

जो संगठन प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में सूचीबद्ध हैं, वे उपयुक्त प्रशिक्षण हेतु उनके द्वारा प्रस्तावित कोशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विधिवत अनुशंसित नया विशिष्ट परियोजना आवेदन (दोनों तकनीकी और वित्तीय) सौंपेंगे। आवेदनों की जाँच की जाएगी और चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें अनुदान सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय अनुदान दिया जायेगा।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमः

क) एमएसडीई ने दिव्यांगजनों के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल का गठन किया है।

ख) जैसे ही सेक्टर स्किल काउंसिल पूरी तरह प्रारंभ हो जायेगी, यह उद्योग और अन्य क्षेत्र के कोशल परिषदों के साथ बातचीत के माध्यम से, दिव्यांगजनों के लिए कार्य भूमिकाएं और ओक्यूपेशनल मानक तय करेगी, जो विभिन्न कोशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तय करने के लिए एक आधार बन जाएगा।

ग) जब तक क्षेत्र कोशल परिषद पूरी तरह से चालू होगी, उपर्युक्त संदर्भित समिति, प्रशिक्षण भागीदारों को स्वीकृति देते हुए, दिव्यांगजनों के कोशल प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम पर भी निर्णय लेगी।

घ) दिव्यांगजनों से संबंधित भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) और राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) हैं, विभिन्न नौकरियों के लिए समरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाने में समिति के साथ सहयोग करेंगे।

(vi) निधिकरण मानदंड :

कोशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अधिसूचना सं. एच–22011/2/2014–एसडीई–आई दिनांक 15 जुलाई, 2015, समय–समय पर संशोधित रूप में, कोशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंड के रूप में प्रशिक्षण लागत, बोर्डिंग और आवास लागत, परिवहन/ वाहन लागत, तीसरे पक्ष के प्रमाणन लागत, पोस्ट प्लेसमेंट सहयोग आदि सहित पूरे वित्तपोषण मानदंडों के संबंध में यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगी।

(vii) प्रशिक्षण की गुणवत्ता निगरानीः (मॉनीटरिंग)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी (मॉनीटरिंग) के लिए एक तंत्र विकसित करेगा जो सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

(vii) अन्य शर्तें:

क) कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता अनुदान के लिए योजना में दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

ख) कार्यान्वयन एजेंसी एक वेबसाइट रखेगी और प्राप्त सहायता अनुदान, उसके उद्देश्य, कार्यक्रमों का आयोजन और लाभार्थियों की सूची तथा उनकी नौकरी नियुक्तियों के विवरण को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करगी।

ग) विशेष ट्रेडों/ जॉब रोल्स के लिए लागत मानदंड कोशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. एच–22011/2/2014–एसडीई–आई दिनांक 15 जुलाई 2015, समय–समय पर संशोधित, की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित लागत श्रेणी के अनुसार तय किया जाएगा।

घ) प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में चयनित एनजीओ, नीति आयोग के का.ज्ञा. सं एम–11/16(2)/2015–वीएसी दिनांक 10 सितंबर 2015 द्वारा समय–समय पर संशोधित रूप में अधिसूचित केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाओं के क्रियान्वयन लिए सामान्य दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे।

(ix) अन्य कोशल विकास योजनाओं के साथ अभिसरण:

कोशल विकास के घटकों का कोशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों/ विभागों द्वारा संचालित अन्य कोशल विकास योजनाओं के साथ अभिसरण होगा, जो कोशल विकास के लिए सामान्य मानदंडों का पालन करेंगे। यदि कोशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सभी कोशल विकास योजनाओं को निधि देने का निर्णय करता है, तो सिपडा योजना के इस घटक को बंद कर दिया जाएगा। विभाग, कोशल विकास पर प्रशिक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में ईआरएनईटी इंडिया द्वारा स्थापित केंद्रों का उपयोग करेगा। सिपडा के तहत कोशल विकास का कार्यक्रम प्रारंभ होते ही दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत इस विभाग द्वारा वित्तपोषित कोशल विकास का घटक बंद कर दिया जाएगा।

4.3.1.3 राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

(i) परियोजना मॉनीटरिंग इकाई:

कोशल विकास के लिए परियोजना मॉनीटरिंग इकाई (पीएमयू) की स्थापना योजना के अनुसार की गई है और यह वर्तमान में विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की देखरेख में कार्य कर रही है, जिसमें उप सचिव / निदेशक और अवर सचिव की एक टीम है जिसमें सहायक अनुभाग अधिकारी, परामर्शदाता (आईटी संबद्ध कार्य) शामिल हैं तथा इन्हें डीईओ इनकी सहायता करते हैं। आरंभ से ही कोशल पीएमयू दिव्यांगजनों की गुणवत्ता कोशल का लक्ष्य प्राप्त करने तथा उनके स्वरोजगार अथवा कार्य रोजगार अथवा उद्यमशीलता के लिए लगातार काम कर रही है।

(ii) सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस):

योजना के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए, सूचना प्रबंधन प्रणाली भी विकसित की जा रही है और यह शीघ्र ही कार्यशील हो जाएगी। सूचना प्रबंधन प्रणाली को एमएसडीई की कोशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस), नीति आयोग एनजीओ(पीएस) पोर्टल तथा पीएफएमएस के साथ एकीकृत करने की योजना है। मॉनीटरिंग उद्देश्य के लिए आधार सक्षम बायो–मैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को भी अनिवार्य बनाया गया है।

(iii) केंद्र दिशानिर्देशः

गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए केंद्रों पर पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए, विभाग द्वारा हाल ही में प्रशिक्षण केंद्र की अनिवार्य सुविधाओं के रूप में सीसीटीवी, वीसी, स्वचालित ऊर्जा प्रसारण प्रणाली (एईबीएएस), नौकरी की भूमिका विशिष्ट प्रयोगशालाओं, उपकरणों और प्रशिक्षित शिक्षक सुगम्यता के साथ केंद्र दिशानिर्देश लागू किए गए हैं। केंद्र दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी केंद्र में प्रशिक्षण की अनुमति देने से पहले विभाग के अधिकारियों द्वारा अथवा तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा भौतिक निरीक्षण द्वारा केंद्र का ऑडिट अनिवार्य किया गया है। चल रहे प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण भी शुरू किया गया है।

(iv) ई–प्रशिक्षण/ई–शिक्षण :

विभाग ई–प्रशिक्षण/ई–शिक्षण मॉड्यूल के विकास पर भी काम कर रहा है और इसके विभिन्न पहलुओं की जांच करने और इसके कार्यान्वयन के लिए तौर–तरीकों का सुझाव देने के लिए अक्टूबर, 2019 में एक समिति का गठन किया गया है।

4.3.1.4 एनएपी के तहत प्रशिक्षण भागीदारः

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, विभाग ने गैर–सरकारी संगठनों (एन जी ओ), निजी प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र के संगठनों का कोशल भागीदारों के रूप में एक नेटवर्क सूचीबद्ध किया है जिसके द्वारा कोशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण भागीदारों का पैनल चयन समिति द्वारा किया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है। चयन समिति, ने अब तक आयोजित 17 बैठकों में देशभर में फैले 28 सरकारी संगठनों और 250 एनजीओ सहित 278 संगठनों को एनएपी के तहत प्रशिक्षण साझेदार (ईटीपी) के रूप में सूचीबद्ध किया है। चूँकि बनाई गई सूची की वैधता तीन वर्षों की अवधि के लिए है, इसलिए टीपी के रूप में 278 में से 54 संगठनों (04 सरकारी संगठन और 50 गैर–सरकारी संगठन) की दिनांक 18.03.2020 की स्थिति अर्थात चयन समिति की 17वीं बैठक के अनुसार वैधता है।

ईटीपी के अलावा, विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवल्पमेंट कार्पोरेशन (एनएचएफडीसी), राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) और विभिन्न राज्यों में स्थित उनके समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रम मंत्रालय से 24 वीआरसी का स्थानांतरण भी प्रक्रियाधीन है जो गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभाग की क्षमता को और बढ़ाएगा।

4.3.1.5 एनएपी के तहत वित्तीय सहायताः

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रशिक्षण भागीदारों को परिणाम आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं। कोशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्याःएच–22011/2/2014–एसडीई–I दिनांक 15 जुलाई, 2015 द्वारा अधिसूचित कोशल विकास योजनाओं से संबंधित समय–समय पर यथा संशोधित सामान्य मानदंड प्रशिक्षण लागत, भोजन और आवास लागत, परिवहन/यात्रा लागत, तृतीय पक्ष सर्टिफिकेशन लागत, रोजगार के बाद सहायता आदि सहित संपूर्ण वित्त पोशण प्रकिया मानदंडों के संबंध में यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

वर्तमान में, टीपी को वित्तीय सहायता तीन किस्तों में निम्नानुसार जारी की जाती हैः

पहली किस्त – प्रशिक्षण शुरू होने पर 30 प्रतिशत

दूसरी किस्त – प्रशिक्षण और प्रमाणन के पूरा होने पर 50 प्रतिशत, और

तीसरी किस्त – सफल प्रशिक्षुओं के प्लेसमेंट पर 20 प्रतिशत।

एनएपी के तहत, प्रशिक्षण साझेदारों को विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजन प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण लागत की दर से 10 से 25 प्रतिशत तक तथा रोजगार आउटरीच गतिविधियों के लिए 5000/– रू प्रति दिव्यांगजन राशि प्रदान की जाती है।

दिव्यांगजन प्रशिक्षुओं को निम्नानुसार वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है :

व्यक्तिगत सहायक उपकरण की लागत के लिएः रु .5000/ – प्रति दिव्यांगजन प्रशिक्षु को दो किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है अर्थात् प्रशिक्षण की शुरुआत में 4000/– रू की राशि सभी प्रशिक्षुओं को और 1000/– रू की राशि सफल प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद।

उसी जिले के दिव्यांगजन प्रशिक्षुओ, जहां पर प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, को 1000/– रू प्रतिमाह की राशि तथा बाहरी जिलों के प्रशिक्षुओं को 1500/– रू प्रतिमाह प्रशिक्षण के लिए यात्रा व्यय के लिए प्रदान किए जाते हैं।

4.3.1.6 दिव्यांगजन कोशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी)

कोशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए एक अलग क्रॉस कटिंग क्षेत्र कोशल परिशद बनाई गई है, जिसके एक अध्यक्ष और निजी क्षेत्र से एक पूर्णकालिक सीईओ हैं। इस परिषद में दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाले विभिन्न सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और एनजीओ की ओर से हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हैं। विभाग, दिव्यांगजनों की सेक्टर कोशल परिषद और विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के परामर्श के साथ दिव्यांगजनों के लिए एक समरूप पाठ्यक्रम, प्रमाणीकरण तंत्र, उपयुक्त रोजगार भूमिका की पहचान करने तथा अतिरिक्त प्रशिक्षण घंटे की आवश्यकता, आदि के लिए कार्य कर रहा है।

4.3.1.7 रोजगार से जुड़ी गतिविधियाँ

विभाग प्रशिक्षण प्रदाताओं को विभिन्न निजी क्षेत्र के संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ जोड़कर उन्हें रोजगार मुहैया कराने के साथ–साथ सीएसआर सहायता प्राप्त करने में भी मदद करता है। विभाग स्वयं अथवा एनएचएफडीसी और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अन्य अधीनस्थ संगठनों के माध्यम से, नियमित रूप से कार्यशालाओं, सम्मेलनों और नौकरी मेलों का आयोजन करता है।

4.3.2 एक्सेसिबल इण्डिया कैम्पेन/सुगम्य भारत अभियान

सरकार ने एक ऐसे समावेशी समाज की परिकल्पना की है, जिसमें दिव्यांगजनों को अपनी उन्नति और विकास के समान अवसर और पहुँच उपलब्ध हो ताकि वे एक उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। इस दृष्टि से, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 3 दिसंबर, 2015 को दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सुगम्य भारत अभियान (एक्सेसिबल इण्डिया कैम्पेन) का शुभारंभ किया। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगजन के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने और तीन वर्टिकल अर्थात् निर्मित वातावरण, सार्वजनिक परिवहन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर फोकस के साथ एक सक्षम और अवरोध मुक्त वातावरण बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान है। इस अभियान के विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद रणनीति पेपर को तैयार किया गया था जिसमें मुख्य लक्ष्यों तथा समयसीमा को परिभाषित किया गया था। अभियान की मुख्य विशेषताएं हैं:

(i) निर्मित पर्यावरण की उपलब्धता:

(क) 50 शहरों में कम से कम 25–50 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की सुगम्य क्षमता ऑडिट को पूरा करना और उन्हें मार्च, 2020 तक पूरी तरह से सुगम्य बनाना।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्यों की राजधानियों के सभी सरकारी भवनों में से 50 प्रतिशत को मार्च, 2020 तक पूरी तरह से सुगम्य बनाना।

(ग) 50 प्रतिशत सरकारी भवनों की सुगम्य–क्षमता ऑडिट को पूरा करना और उन्हें उपरोक्त (क) और (ख) के लक्ष्यों में शामिल नहीं किए गए राज्यों के 10 सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण शहरों/नगरों में स्थित सरकारी भवनों को मार्च, 2020 तक पूरी तरह से सुगम्य बनाना।

इन लक्ष्यों के अंतर्गत स्थिति निम्नानुसार है :

- राज्य सरकारों द्वारा पहचान की गई 1662 इमारतों की सुगम्यता का ऑडिट पूरा हो गया है।
- **1662 सुगम्य ऑडिट रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारियों को सौंपी गई।**
- **विभाग को सहायता अनुदान जारी करने के लिए निःशक्तजन अधिनियम 1995 (सिपडा) से उत्पन्न योजना के तहत 1432 भवनों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।**
- **31मार्च, 2020 तक 1151 भवनों के लिए 436.33 करोड़ रू की राशि जारी करने संबंधी मंजूरी दी गई।**
- **31 मार्च, 2020 तक सुगम्य ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर्स को 283 लाख रुपये जारी किए गए हैं।**
- **सरकारी भवनों के रेट्रो फिटमेंट के चरण II और चरण III को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने स्वयं के फंड द्वारा सुगम्य बनाया जाना है।**
- **चिह्नित की गई 1108 केंद्र सरकार की भवनों में से, सीपीडब्ल्यूडी ने मार्च, 2020 तक 998 भवनों को सुगम्य बना दिया है।**

(ii) परिवहन प्रणाली सुगम्यता:

(क) हवाई अड्डे

लक्ष्य: सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और घरेलू हवाई अड्डों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना:

- 31 मार्च 2020 तक, 104 परिचालित हवाई अड्डो में सें, सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 69 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 में सुगम्य सुविधाएँ (रैंप, सुलभ शौचालय, हेल्पडेस्क और ब्रेल और श्रवण सूचना प्रणाली के साथ लिफ्ट) उपलब्ध कराई गई हैं।

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट्स में सुगम्यता प्रावधानों पर एक हैंडबुक जारी की है। विभाग ने इस हैंडबुक की समीक्षा की है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह एयरवेज से संबंधित सभी सुगम्यता मानकों पर विचार कर इसे संशोधित करे।

- अधिकांश हवाईअड्डों पर स्पर्श पथ (टेक्सटाइल फ्लोर) उपलब्ध कराया गया है।

- 4 हवाई अड्डों को एयरोब्रिज से लैस किया गया है।

- 12 हवाई अड्डों पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं और 35 अन्य हवाई अड्डों के लिए भी खरीद की जा रही है।

- ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने हवाई अड्डों पर दिव्यांगजन की निर्बाध स्क्रीनिंग करने के लिए एक परामर्शी भी जारी की है। इस संबंध में, सीआईएसएफ ने अपने एसओपी को संशोधित किया है, जिसमें बेहतर यात्रा अनुभव के लिए सौफ्ट कोशल में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

(ख) रेलवे

लक्ष्यः रेलवे स्टेशनों के ए 1, ए और बी श्रेणियों को पूरी तरह से सुगम्य बनाने के लिए सभी रेलवे स्टेशनों के 50 प्रतिशत को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना है :

- 709 में से, ए 1, ए और बी श्रेणी के सभी रेलवे स्टेशनों में रेल मंत्रालय द्वारा चिन्हित की गई सात (07) अल्पकालिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

- अन्य श्रेणी के 682 रेलवे स्टेशनों में भी सात (07) अल्पकालिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

- इसके अतिरिक्त, 250 रेलवे स्टेशनों पर 705 एस्केलेटर और 226 रेलवे स्टेशनों पर 521 लिफ्ट प्रदान की गई हैं।

- रेलवे ने भारतीय रेलवे में पूर्ण सुगम्यता प्राप्त करने के लिए जोनल रेलवे द्वारा लागू किए जाने वाले सुगम्यता दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

- रेलवे द्वारा आने वाले महीनों में 04 स्टेशनों की पहचान आदर्श सुगम्य रेलवे स्टेशनों के रूप में की जानी है।

(ग) बसें

लक्ष्य : सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक परिवहन वाहनों में से 25 प्रतिशत को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना हैः

- उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, 5244 बसों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया (1,45,287 परिचालन बस बेड़े का 3.6 प्रतिशत), जबकि 30,476 (20 प्रतिशत) बसों को व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी (परिचालन बस बेड़े का 27.8 प्रतिशत) के बिना सुगम्य बनाया गया ।

- बस बॉडी कोड यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी नई सिटी बसें दिव्यांगजनों के अनुकूल हों।

(iii) ज्ञान और आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र की सुगम्यता:

वेबसाइटें

लक्ष्य : केंद्र और राज्य सरकार की कम से कम 50 प्रतिशत वेबसाइटें सुगम्यता मानकों को पूरा करती हों :

- 917 वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए 26.19 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 15.52 करोड़ रूपए दो (02) किस्तों में वितरित किए गए हैं।
- 383 राज्य सरकारों की वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है।
- केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की 95 वेबसाइटें हिन्दी Meity द्वारा सामग्री प्रबंधन ढांचे के तहत सुगम्य बनाई गई हैं।

(iv) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जागरूकता सृजन और अप–स्केलिंग उपाय

(i) **हैकाथन** : ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय और स्वच्छता सुविधाओं में पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के साथ मिलकर, दिनांक 14–15 सितम्बर, 2019 को हैकाथन का आयोजन किया तथा विजेता प्रतियोगियों को दिनांक 17 सितंबर 2019 को सम्मानित किया गया।

(ii) भवनों में सुगम्यता के लिए आसान रेकनर : विभाग ने सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी सुसंगत (हार्मोनाइज्ड) गाइडलाइंस और स्थान मानक (स्पेस स्टैंडर्ड्स) के आधार पर 10 प्रमुख एक्सेसिबिलिटी फीचर्स (3 आउटडोर और 7 इनडोर) का संक्षिप्त संकलन तैयार किया है।

(iii) **छात्र नियुक्ति कार्यक्रम** : यह देखने के प्रयास किए जा रहे हैं कि रेट्रोफिटिंग कार्य का सत्यापन कैसे किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के साथ सत्यापन ऑडिट के एक प्रायोगिक (पायलट) प्रोजेक्ट द्वारा एक छात्र को काम में लगाकर कार्यक्रम शुरू किया गया है, जहां 43 एआईसी वित्त पोषित भवनों में से 39 का आडिट पूरा करने की सूचना प्राप्त हुई है।

(iv) **प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल** : दिनांक 18.09.2019 को, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने एआईसी के लिए एक एमआईएस पोर्टल शुरू (लॉन्च) किया, जिसे एआईसी के तहत लक्ष्यों की प्रगति की ऑनलाइन मॉनीटरिंग के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य निर्मित पर्यावरण, परिवहन और आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र में सुगम्यता से संबंधित एक केंद्रीकृत डेटा स्रोत बनाना है। इसमें निष्पादन कार्य के वास्तविक समय के आंकड़ों को साइट पर किए जा रहे रेट्रोफिटिंग कार्य के चित्रों के साथ अपलोड करने के प्रावधान किए गए हैं। इसके लॉन्च के पहले 4 महीनों के भीतर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय मंत्रालयों /विभागों के संबंधित अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण सत्रों की एक श्रृंखला के बाद, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सीपीडब्ल्यूडी के 757 भवनों का विवरण, 300 भवनों की 733 तस्वीरों के साथ एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है (मार्च 2020 तक)। विभाग ने सीपीडब्ल्यूडी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपलोड किए गए डेटा का आंतरिक सत्यापन भी किया ताकि शुद्धता और मानकों के अनुपालन की जांच की जा सके। सुधारात्मक उपाय शुरू करने के लिए पत्र के माध्यम से सीपीडब्ल्यूडी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ टिप्पणियों को भी साझा किया गया है, ताकि पोर्टल में उपलब्ध कराई जा रही जानकारी की पठनीयता और सटीकता को बनाए रखा जा सके।

(v) **क्राउड सोर्सिंग ऐप:** सार्वजनिक केंद्रित सुविधाओं के उपयोग और सुधारात्मक उपायों को शुरू करने के लिए संबंधित स्वामियों के लिए इसे बढ़ाने के संबंध में दिव्यांगजनों की शिकायतों को एकत्र करने के लिए एक क्राउड सोर्सिंग एप्लिकेशन विकसित किया जा रहा है। यह कार्य विभाग को सौंपा गया है और वर्तमान में, इस एप्लिकेशन को विकसित करने का कार्य चल रहा है।

(vi) **आदर्श सुगम्य पुलिस स्टेशनः** पुलिस स्टेशनों को सुगम्य बनाने के लिए प्रयास जारी हैं। इस उद्देश्य के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के माध्यम से 2 थानों नामतः संसद मार्ग पुलिस स्टेशन और कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में सत्यापन ऑडिट किया गया है। इस विषय से संबंधित रिपोर्ट को भविष्य अनुसरण करने के लिए इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(vii) **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के साथ आधुनिकीकरण परियोजनाः** चूंकि विभाग ने अपने कार्यालय का आधुनिकीकरण किया है, जिसमें एआईसी की सर्वोत्तम प्रथाओं को सुगम्यता के लिए एक मॉडल कार्यालय के रूप में शामिल किया गया है। सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए एआईसी की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसरण के लिए सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अपर सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी।

(viii) **सुगम्य भारत के लिए नवाचार :** विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग(डीएसटी), इरनेट इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नैसकॉम फाउंडेशन के सहयोग से सुगम्य भारत के लिए नवाचार कार्यक्रम (आईएआई) शुरू किया है। यह पहल एक राष्ट्रव्यापी नवाचार की चुनौती है जिसका उद्देश्य समाज में बेहतर एकीकरण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी और उपकरणों के साथ दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना है। यह अभियान माइक्रोसॉफ्ट, क्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकों का उपयोग करके विकसित की जाने वाली व्यावहारिक प्रौद्योगिकी समाधानों का एक एग्रीगेटर होगा, जो दिव्यांगजनों के सामने आने वाले अंतराल को समाप्त कर सकेगा, विशेष रूप से शिक्षा, कोशल निर्माण, रोजगार, गतिशीलता, पुनर्वास और अन्य सरकारी सेवाओं में समान अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

(ix) **सुगम्यता बुकलेटः** विभाग निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और आईसीटी में सुगम्यता पर बुकलेट विकसित करने की प्रक्रिया में है। यह विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों, शहर के बुनियादी ढांचे आदि के लिए प्रासंगिक होगी चूंकि इसके माध्यम से दिव्यांगजनों को इन क्षेत्रों के परिवेश के बारे में जागरूकता पैदा की जा सकेगी और वे उक्त क्षेत्रों में काम करने में सक्षम होंगे जिसके लिए यह बुकलेट एक त्वरित संदर्भ गाइड के रूप में प्रयोग में लाई जा सकेगी।

4.3.3 जागरूकता सृजन और प्रचार के लिए योजना

4.3.3.1 उद्देश्य

(i) दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण सहित उनके कल्याण के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों का इलेक्ट्रोनिक, प्रिंट, फिल्म मीडिया, तथा मल्टीमीडिया के माध्यम से, कार्यक्रम आधारित प्रचार आदि सहित, व्यापक प्रचार करना।

(ii) दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास सृजित करने हेतु उन्हें समान अवसर, समानता एवं सामाजिक न्याय प्रदान करके जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक समावेशन के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करना ताकि वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें।

(iii) संविधान, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 1995 और अधीनस्थ विधायन (नों) में यथा निहित दिव्यांगजनों के विधिक अधिकारों की जानकारी दिव्यांगजनों एवं सिविल समाज सहित सभी हितधारकों को देना।

(iv) नियोक्ताओं और अन्य इसी प्रकार के समूहों को भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में संवेदनशील बनाना।

(v) दिव्यांगता के लिए जिम्मेदार कारणों और उनका शीघ्र पता लगाकर इसकी रोकथाम आदि के बारे में दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष जोर देते हुए जागरूकता बढ़ाना और समाज को संवेदनशील बनाना।

(vi) दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित विधिक उपबंधों एवं कल्याणकारी योजनाओं का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।

(vii) विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के पुनर्वास के लिए विषय वस्तु तैयार करना।

(viii) हेल्पलाइन्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ix) प्रभावी शिकायत निवारण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(x) दिव्यांगताओं के बारे में प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(xi) दिव्यांगजनों के मनोरंजन के लिए उपयुक्त सुविधाओं का सृजन करना या सृजन को सरल बनाना जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पर्यटन, शैक्षिक, चिकित्सीय धार्मिक पर्यटन, खेलकूद आदि को शामिल किया जा सकता हैं।

(xii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सामुदायिक रेडियो कार्यक्रमों/योजनाओं में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(xiii) दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नौकरी संबंधी मेलों, अभियानों, कोशल विकास के बारे में जागरूकता आदि जैसे क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

(xiv) अनुकूल एवं बाधामुक्त वातावरण, जिसमें सुगम्य भवन, सुगम्य परिवहन, सुगम्य वेबसाइट और सुगम्य लेखा परीक्षा करना शामिल हैं, सृजित करके सर्वसुलभ सुगम्यता के बारे में जागरूकता के प्रसार में सहायता करना।

(xv) दिव्यांगता के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

(xvi) दिव्यांगता के क्षेत्र में जागरूकता सृजित करने से संबंधित क्रियाकलाप/क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

4.3.3.2 दृष्टिकोण और रणनीति

योजना का दृष्टिकोण निम्नलिखित होगा :

(i) सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से जागरूकता का प्रसार करना।

(ii) सुगम्य वेबसाइट आदि का रख–रखाव करना।

(iii) प्रत्यक्ष रूप से या सामाजिक रूप से सक्रिय समूहों/संगठनों के माध्यम से संगोष्ठियों (सेमिनारों), कार्यशालाओं, सांस्कृतिक क्रियाकलापों, मेलों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना।

(iv) दिव्यांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलों में भागीदारी करना।

(v) प्रौद्योगिकी, सहायक सामग्री एवं उपकरणों की उपलब्धता आदि सहित दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन, सर्वेक्षण, गणना एवं मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करना।

(vi) विभिन्न विभागों, संगठनों द्वारा इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों का समन्वय एवं समेकन करना।

(vii) 'सामाजिक हित' एवं 'सामुदायिक कल्याण' के विकास के लिए कार्यरत स्व–सहायता समूहों, अभिभावक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(viii) कलाकारों के मानदेय, ठहरने एवं खाने–पीने तथा लाने–ले जाने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देय भुगतान की लागत का वहन करके, दूरदर्शन पर दिव्यांगजनों द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए एवं प्रदर्शित किए गए कार्यक्रमों के प्रदर्शन को दिखाने जैसे क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करना।

(ix) विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना, विशेष दिवसों आदि को मनाना।

(x) स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास एवं उपकरणों के क्षेत्र में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय की कमी उनकी प्रभावकारिता को कम करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दिव्यांगता के क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे हैं। ऐसी सभी पहलों के सफल कार्यान्वययन के लिए विभाग के अधीन एक अंतर–मंत्रालयी समिति गठित की जाए जो सेवाओं एवं रेफरल प्रणाली के वितरण में सुधार लाने के लिए संगठनों के बीच समन्वय करे, संयुक्त उद्यमों, संयुक्त समझौता वार्ताओं, ज्ञान एवं विशेषज्ञता को साझा करे और विभाग विशेषज्ञ प्रशिक्षक को साझा करने तथा प्रणाली के प्रसार को बढ़ावा दे।

(xi) जहां कहीं उचित हो, पंचायती राज संस्थान को शामिल करना।

(xii) नौकरी मेलों सहित दिव्यांगजनों के लिए कोशल विकास एवं रोजगार सृजन हेतु जागरूकता अभियान में सहायता करना।

(xiii) अनुकूल एवं बाधामुक्त वातावरण, जिसमें सुगम्य भवन, सुगम्य परिवहन, सुगम्य वेबसाइट और सुगम्य लेखा परीक्षा शामिल हैं, सृजित करके और सर्वसुलभ सुगम्यता के बारे में जागरूकता के प्रसार में सहायता करना।

(xiv) दिव्यांगता के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

(xv) दिव्यांगता क्षेत्र में जागरूकता सृजित करने से संबंधित सुसंगत गतिविधियों/क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

4.3.3.3 योजना के तहत सहायता के लिए स्वीकार्य घटक :

सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लोगो के अधीन ऐसे क्रियाकलाप करने के लिए स्वयं निम्नलिखित क्रियाकलाप कर सकती है या विभिन्न संगठनों से आवेदन आमंत्रित कर सकती है या उनके द्वारा स्वविवेक से प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार कर सकती है।

(i) हेल्पलाइन

(ii) विषय वस्तु तैयार करना, प्रकाशन एवं न्यू मीडिया

(iii) कार्यक्रम

क) राष्ट्रीय पुरस्कार एवं समर्थ आदि सहित विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम।

ख) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम।

ग) गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) कार्यक्रमः इस योजना के अन्तर्गत, अन्तर्वैयक्तिक संवाद, नुक्कड़ नाटको, फिल्म शो, रोड़ शो आदि के द्वारा जागरूगता सृजन के लिए स्वसहायता एवं एडवोकेसी समूहों, दिव्यांगता के प्रति सामाजिक रवैये में बदलाव लाने के लिए अभिभावकों के समावेशन और समुदाय एकजुटता दिव्यांगजनों और उनके परिवारों के लिए वैयक्ति या समूह आधारित शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुदानों पर विचार किया जाएगा।

घ) उपर्युक्त संगठनों द्वारा आयोजित राज्य/जिला स्तरीय कार्यक्रम।

(iv) वाणिज्यिक स्थापनाओं एवं नियोक्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवा/आउटरीच कार्यक्रम।

(v) मनोरंजन एवं पर्यटन।

(vi) सामुदायिक रेडियो/ प्रेस/मीडिया दौरे एवं अन्य मीडिया विशिष्ट क्रियाकलापों में भागीदारी।

(vii) ब्रांड एंबेसडर

4.3.3.4 अनुदान/वित्तीय सहायता के लिए पात्र संगठनः

(i) स्वयं–सहायता समूह।

(ii) एडवोकेशी एवं सेल्फ–एडवोकेशी संगठन।

(iii) एकजुटता (मोबिलाइजेशन) तथा सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए कार्यरत अभिभावक एवं सामुदायिक संगठन।

(iv) मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक सहायता सेवा।

(v) समुदाय आधारित पुनर्वास संगठन।

(vi) श्रम बाजार कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक बीमा, सहायता सेवाएं प्रदान करने, तनाव प्रबंधन और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अलगाव के उन्मूलन सहित दिव्यांगता सेक्टर के क्षेत्र में कार्यरत संगठन।

(vii) विभागों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, महाविद्यालयों आदि सहित केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठन।

4.3.3.5 पात्रता मानदंडः

(i) समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन संगठनों या भारतीय न्यास अधिनियम, 1982 या चैरिटेबल एवं रिलीजियस एंडोउवमेंट एक्ट, 1920 के अधीन पंजीकृत सार्वजनिक न्यास या कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन पंजीकृत या केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन पंजीकृत निगम आदि सहित 4(क) के अंतर्गत संगठनों के लिए एक पंजीकृत संगठन के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष से अस्तित्व में हो।

(ii) संगठन को गैर–लाभकारी (नॉन–प्रोफिट) तथा 'लाभ के लिए नहीं' संगठन होना चाहिए या वह अपने लाभों का, यदि कोई हो तो, या अन्य आय का उपयोग चैरिटेबल उद्देश्यों को बढ़ावा देने में करता हो।

(iii) विभागों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, महाविद्यालयों आदि सहित केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संगठनों या कंपनी अधिनियम की धारा 8 या केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन पंजीकृत निगम को निःशक्तजन अधिनियम के अधीन पंजीकरण की शर्तों में छूट दी गई है।

(iv) पिछले तीन वर्षों के विधिवत लेखा परीक्षित एवं समुचित रूप से अनुरक्षित लेखों और आय विवरणी और प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट।

(v) सुसंगत क्रियाकलाप, जिसके लिए अनुदान/वित्तीय सहायता मांगी गई है, को एक क्रियाकलाप के रूप में उनके संगठन के संगम ज्ञापन में परिलक्षित किया जाना चाहिए।

(vi) केवल संबंधित क्षेत्र में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाले संगठनों पर ही अनुदानों के लिए विचार किया जा सकता है।

(vii) गैर सरकारी संगठनों के मामले में प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार की सिफारिश अपेक्षित है।

4.3.3.6 निधियाँ मंजूर करना एवं जारी करना :

इस योजना के अंतर्गत संगठनों से वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन माँगे जाते हैं। सभी स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएँगी और सभी संवितरण विभाग के एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति से किए जाएगें।

(i) अल्पकालिक परियोजनाएं (एक बार का कार्यक्रम या परियोजनाएं जिनकी अवधि 6 माह से अधिक न हों);

संवितरण दो किस्तों में निम्नानुसार किया जाएगा;

(क) 75 प्रतिशत – अनुमोदन, स्वीकृति, आवश्यक निष्पादित बंधपत्र (बांड) आदि के बाद।

(ख) 25 प्रतिशत – अंतिम रिपोर्ट और प्रथम किस्त का उपयोग प्रमाण पत्र, मदवार व्यय सहित लेखापरीक्षित लेखा विवरण प्राप्त हो जाने के बाद।

(ii) दीर्घकालिक परियोजनाएं (6 माह एवं इससे अधिक की अवधि की परियोजनाएं)

संवितरण तीन किस्तों में निम्नानुसार किया जा सकता है :

(क) 40 प्रतिशत – परियोजना के अनुमोदन, स्वीकृति तथा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने/बांड के निष्पादन आदि के बाद।

(ख) 40 प्रतिशत – प्रगति समीक्षा, पहली किस्त का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के बाद।

(ग) 20 प्रतिशत – अंतिम रिपोर्ट, पूर्ण राशि के लिए उपयोग प्रमाण पत्र तथा मदवार व्यय सहित लेखापरीक्षित लेखा विवरण प्राप्त हो जाने के बाद।

4.3.4 दिव्यांगता संबंधित प्रोद्योगिकी, उत्पाद और विषयों पर अनुसंधान

यह योजना वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बाद, इस योजना का अम्ब्रेला योजना सिपडा के अन्तर्गत विलय करने हेतु निर्णय लिया गया था। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने पहले से ही सिपडा योजना को अनुमोदित कर दिया है जो दिव्यांगता क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के घटकों को कवर करती है। योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

(i) जीवन चक्र की आवश्यकताओं, व्यक्तियों और उनके परिवारों के समग्र विकास के आधार पर सेवा मॉडलों और कार्यक्रमों के अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक सक्षम वातावरण का सृजन करना।

(ii) जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनुप्रयुक्त और कार्यात्मक अनुसंधान को शुरू करना और निरंतर जारी रखना ।

(iii) दिव्यांगता की रोकथाम और प्रसार पर अनुसंधान को बढ़ावा देना और स्वेदेशी, उपयुक्त सहायक यंत्रों और उपकरणों के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

(iv) अनुसंधान के परिणामों और नीति तथा योजना एवं कार्यप्रणाली के बीच सुदृढ़ सम्पर्क का विकास करना।

(v) दिव्यांगजनों की दिव्यांगता के क्षेत में अनुप्रयुक्त अनुसंधान और उत्पाद विकास परियोजनाओं में सक्रिय और अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करना।

कार्यान्वयन प्रक्रिया

(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना का संचालन सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में एक संचालन समिति द्वारा किया जाता है।

(ii) जांच–सह–तकनीकी समिति प्रत्येक प्रस्ताव की जांच और मूल्यांकन करती है और संचालन समिति को अपनी सिफारिशें भेजती है जो अनुसंधान/सर्वेक्षण शुरू किए जाने वाले अध्ययन की स्वीकृति का फैसला करती है।

4.3.5 विशिष्ट दिव्यांगता पहचान परियोजना (यूडीआईडी)

(i) विभाग दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के विचार से और प्रत्येक दिव्यांगजन को निर्दिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य के लिए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है।

(ii) विभाग ने इस उद्देश्य के लिए पहले से ही एप्लीकेशन साफ्टवेयर तैयार किया है और उसे एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया है।

(iii) यूडीआईडी कार्ड के लिए पंजीकरण ऑनलाइन portalswavlambancard.gov.in पर कर सकते हैं।

(iv) यूडीआईडी कार्ड देशभर में वैध होगा।

(v) यूडीआईडी वेबपोर्टल देशभर में किसी भी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र/यूडीआईडी कार्ड की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए एक आनलाईन मंच प्रदान करेगा।

(vi) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित के संबंध में सहायता प्रदान करती है :–

(क) प्रचार गतिविधि (जनसंख्या के आधार पर प्रति जिला 1.5 लाख रू. से 2.5 लाख रू. तक)।

(ख) कम्प्यूटर, प्रिंटर, बायोमैट्रिक स्कैनर और प्रतिजिला 1 लाख रू. तक की कीमत के वेब–कैमरे के रूप में आईटी आधारभूत सुविधाएं।

(ग) 3.61रू. प्रति प्रमाण–पत्र की दर से मौजूदा मैन्यूल डाटा का डिजिटाईजेशन।

(घ) राज्य समन्वयक का 50,000 रू. प्रतिमाह की दर से पारिश्रमिक।

(vii) विभाग ने सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना के कार्यान्वयन एवं आरंभ करने संबंधी प्रशिक्षण इनपुट्स उपलब्ध कराए हैं ।

(viii) दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार देश में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 43 लाख से अधिक ई–यूडीआईडी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

4.3.6 निजी क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजना

पृष्ठभूमि: दिव्यांगजनों के लिए निजी क्षेत्र को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन की एक योजना वर्ष 2008–09 में शुरू की गई थी । इस योजना में सरकार द्वारा ईपीएफ और ईएसआई के लिए 25000/– रू प्रतिमाह की वेतन सीमा के साथ नियोक्ता के 3 साल के योगदान के भुगतान की परिकल्पना की गई थी। **इस योजना को 1 अप्रैल, 2016 से संशोधित किया गया था,** जिसके तहत सरकार द्वारा ईपीएफ और ईएसआई में नियोक्ता के योगदान के भुगतान को बढ़ाकर 10 वर्षकिया गया है। इसके अलावा, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतन सीमा हटा दी गई है। इसके अलावा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) दिव्यांग कर्मचारियों के लिए देय और स्वीकार्य ग्रेच्युटी राशि का

एक तिहाई वहन करेगा। ईपीएफ/ईएसआई अंशदान (लागू दरों पर) पर लागू होने वाले प्रशासनिक शुल्क वर्तमान में नियोक्ताओं द्वारा जमा किए जा रहे हैं जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वहन किए जाएंगे।

नियोक्ताओं को अपने दिव्यांग कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफध्ईएसआई अंशदान जमा करने की आवश्यकता नहीं है। नियोक्ताओं को केवल उनके द्वारा की गई नियुक्तियों के बारे में ईपीएफओध्ईएसआईसी को सूचित करना होगा और ईपीएफओध्ईएसआईसी में कर्मचारियों के योगदान को प्रस्तुत करना होगा। नियोक्ता अंशदान ईपीएफओ और ईएसआईसी द्वारा उन कर्मचारियों के संबंधित खातों में जमा किया जाएगा, जिनके लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अग्रिम रूप से ईपीएफओध्ईएसआईसी को भुगतान करेगा।

इस योजना में एक प्रावधान यह भी शामिल किया गया है कि यदि कोई निजी नियोक्ता दिव्यांगजनों को किसी विशेष व्यापार में प्रशिक्षु के रूप में रखता है और उन्हें प्रशिक्षुता अवधि के पूरा होने पर रोजगार प्रदान करता है, दिव्यांगजनों को प्रशिक्षुता अवधि के दौरान देय (स्टाईपेंड) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

4.3.7 राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के मुख्य पदाधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण और संवेदीकरण

इस योजना का उद्देश्य केन्द्रीय/राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और अन्य सेवा प्रदाताओं के मुख्य पदाधिकारियों को, बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में दिव्यांगता क्षेत्र के सामने आने वाले नए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाओं के माध्यम से, प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाना है।

4.3.8 "ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्द्धन हेतु सहायता" योजना।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने ब्रेल प्रेसों की स्थापना, आधुनिकीकरण, क्षमता संवर्द्धन हेतु सहायता की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना नाम वाली योजना को नवम्बर 2014 में अनुमोदित किया था।

4.3.8.1 नोडल एजेंसी:

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून, भारतीय ब्रेल परिशद (बीसीआई) के माध्यम से योजना की नोडल एजेंसी होगी, जिसे समाचार–पत्रों के साथ–साथ इसकी वेबसाइटों पर विज्ञापन जारी करने तथा स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन, अनुवीक्षण, अनुप्रयोग, तकनीकी मूल्यांकन, सुधारों की सिफारिशें स्थापना प्रक्रिया एवं प्रक्रियाओं के लिए परामर्शदाता की भूमिका के प्रस्ताव आमंत्रित करने तथा योजना के अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराने के लिए इन आवेदनों को विचारार्थ एवं सिफारिश हेतु निम्नलिखित समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा जायेगा:–

1.	संयुक्त संचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	अध्यक्ष
2.	निदेशक, एनआईईपीवीडी	सदस्य
3.	बीसीआई का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	निदेशक (वित्त), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	सदस्य
5.	संबंधित निदेशक/उप सचिव	सदस्य संयोजक

4.3.8.2 कार्यान्वयन एजेंसिया

योजना की कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एवं 05 वर्षसे अधिक से ब्रेल प्रेसों का परिचालन करने वाले स्वैच्छिक संगठनों या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा ब्रेल प्रेसों को चलाने के लिए नामित कोई अन्य संस्थान होगा।

योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा नई ब्रेल प्रेसों को स्थापित करने के 18 प्रस्ताव, आधुनिकीकरण के 13 प्रस्ताव तथा ब्रेल प्रेसों की क्षमता संवर्धन के 03 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। दृष्टि बाधित सभी छात्रों को योजना के अंतर्गत स्थापित/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के अंतर्गत ब्रेल प्रेसों में मुद्रित विशेष पुस्तके निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी।

योजना के माध्यम से सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में अध्ययन कर रहें दृष्टि बाधित छात्रों को मुद्रित ब्रेल पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है।

4.3.9 राज्य स्पाइनल इंजुरी केन्द्र

राज्य स्पाइनल इंजुरी केन्द्र स्थापित करने की योजना 31.02.2015 को अधिसूचित की गयी थी। योजना को 31.03.2020 तक जारी रखने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करते हुए अनुमोदित किया गया। राज्य स्पाइनल इंजुरी केन्द्र मुख्य रूप से स्पालइनल इंजुरी के व्यापक प्रबंधन के लिए होंगे तथा राज्य राजधानी/संघ राज्य क्षेत्र 12 बिस्तरों वाले जिला अस्पतालों के साथ जुड़े होंगे।

एसएसआईसी के तहत स्थापित केंद्र हैं :

(i) एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर (राजस्थान) में स्पाइनल इंजुरी सेंटर

(ii) गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू और

(iii) गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर

4.3.10 देश के पाँच क्षेत्रों में बधिर छात्र कालेजों के लिए वित्तीय सहायता योजना

योजना का उद्देश्य श्रवण बाधित छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा उच्च शिक्षा के माध्यम से उनके रोजगार उन्मुखी तथा बेहतर जीवन यापन के उनके अवसरों में सुधार करना है। योजना का मुख्य उद्देश्य देश के निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में स्थित वर्तमान बधिर कॉलेजो को वित्तीय सहायता प्रदान करना है:

(क) भारत के उत्तरी क्षेत्र में बधिरों के लिए ग्रामीण विकास ओर प्रबंधन कालेज;

(ख) पश्चिमी क्षेत्र में बधिरों के लिए कालेज;

(ग) दक्षिणी क्षेत्र में बधिरों के लिए कालेज;

(घ) मध्य क्षेत्र में बधिरों के लिए कालेज; और

(ङ) पूर्वी क्षेत्र में बधिरों के लिए कालेज।

योजना के अंतर्गत आधारभूत संरचना के विस्तार तथा फर्नीचर/सहायक यंत्रों की खरीद के लिए अधिकतम सहायता प्रत्येक मामले में 1.50 करोड़ रू तक सीमित हे। यदि व्यय 1.50 करोड़ से कम है तो अनुमत सहायता वास्तविक लागत पर होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) में अधिकतम सहायता 2.00 करोड़ रूपए है।

4.4 छात्रवृत्ति योजनाएं

(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग वर्तमान में एक समग्र योजना 'दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति' योजना लागू कर रहा है। समग्र छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी आजीविका उपार्जन के लिए आगे की पढ़ाई करने हेतु और समाज में एक सम्मानजनक स्थान पाने के लिए सशक्त बनाना है, क्योंकि वे अध्ययन कार्य और गरिमापूर्ण जीवन जीने में शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करते हैं।

(ii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में परिभाशित विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं से ग्रस्त छात्र दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की छात्रवृत्ति के लिए पात्र है।

(iii) "दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति" की समग्र योजना के निम्नानुसार 6 घटक हैः–

(क) प्री–मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए)।

(ख) पोस्ट–मैट्रिक (कक्षा ग्प से स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा के लिए)।

(ग) उच्च श्रेणी शिक्षा (शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा के लिए)।

(घ) राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल और पी.एच.डी. के लिए)।

(ङ) राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर उपाधि/डॉक्टरेट के लिए)।

(च) निःशुल्क कोचिंग (सरकारी भर्ती परीक्षाओं और तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए)।

(iv) वर्ष2017–18 तक, इन छह छात्रवृत्ति योजनाओं को अलग–अलग बजट वाली स्टैंड–अलोन योजनाओं के रूप में लागू किया गया था। इन योजनाओं को अलग–अलग वर्षों में शुरू किया गया था। 1 अप्रैल, 2018 से, सभी छह छात्रवृत्ति योजनाएं अर्थात प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक, उच्च श्रेणी शिक्षा, राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति, निःशुल्क कोचिंग को एक स्कीम "दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना" नामक एक समग्र योजना में विलय कर दिया गया है। वर्ष2018–19 से प्रभावी योजनाओं का विलय/एकीकरण बजट आवंटन की मांग–आपूर्ति असंतुलन को दूर करने और कार्यान्वयन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए किया गया है। समग्र योजना में, यदि एक खंड में अधिशेष निधि उपलब्ध है, तो उस अधिशेष का उपयोग दूसरे में किया जा सकता है।

(v) पात्रता की शर्तेंः

योजना के सभी घटकों की पात्रता की सामान्य शर्तें नीचे दी गई हैंः

(क) छात्रवृत्ति केवल भारत के नागरिकों के लिए है।

(ख) सभी छह छात्रवृत्ति 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग छात्रों के लिए लागू हैं और उनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियमों के तहत यथा परिभाशित एक वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो। दिव्यांगता दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में यथा परिभाशित अनुसार है।

(ग) एक ही माता–पिता के दो से अधिक दिव्यांग बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। यदि दूसरा बच्चा जुडवां होते हैं तो उस स्थिति में दोनों जुंडवां बच्चे इस इस योजना के तहत छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।

(घ) किसी भी कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि किसी छात्र को एक कक्षा दोहरानी है, तो उसे उस कक्षा के लिए द्वितीय (या बाद में) वर्ष के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

(ङ) इस योजना के तहत एक छात्रवृत्ति धारक कोई भी अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा नहीं रखेगा। यदि किसी अन्य छात्रवृत्ति/वजीफे से सम्मानित किया जाता है, तो छात्र अपने दो छात्रवृत्ति वजीफा में से किसी एक के लिए विकल्प दे सकता है, जो भी उसके लिए अधिक लाभकारी हो सकता है, उसे संस्थान के प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति देने वाले प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए। इस योजना के तहत छात्रों को किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान उस तिथि से नहीं किया जाएगा जब तक वह किसी अन्य छात्रवृत्ति/वजीफे को स्वीकार नहीं करता है। तथापि, छात्र इस योजना के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली छात्रवृत्ति के अलावा राज्य सरकार से निःशुल्क आवास या अनुदान या तदर्थ वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकता है अथवा किसी अन्य स्रोत से किताबें, उपकरण खरीदने अथवा आवास व खानपान खर्च को पूरा करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है।

(च) छात्रवृत्ति धारक जो केंद्र सरकार/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ किसी भी पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, वे कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के तहत स्टाईपैंड के लिए पात्र नहीं होंगे।

(vi) छात्राओं के लिए स्लॉट का आरक्षणः

प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा में हर वर्ष उपलब्ध कुल छात्रवृत्ति स्लॉट का 50 प्रतिशत और राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्लॉट का 30 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। तथापि, यदि योजना के निबंधन और शर्तों के अनुसार पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं या योग्य नहीं हैं, तो उपयुक्त पुरुष उम्मीदवारों का चयन करके अनुपयुक्त स्लॉट का उपयोग किया जाता है।

(vii) कार्यान्वयन एजेंसीः

दिव्यांग छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से लागू की जाती है और छात्रवृत्ति राशि को सीधे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ;पीएफएमएसद्ध पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को भेज दिया जाता है।

दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप यूजीसी पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। यूजीसी और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां होंगी। जबकि, यूजीसी योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए जिम्मेदार होगी और यूजीसी द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को धन के संवितरण के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिम्मेदार होगा। फेलोशिप की राशि कैनरा बैंक के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है।

दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति और दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ऑफलाइन क्रियान्वित की जाती है और छात्रवृत्ति राशि को पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दिया जाता है।

(viii) योजना का क्षेत्र अधिकार :

इस योजना का क्षेत्र अधिकार चयनित उम्मीदवारों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। योजना में लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के रोजगार पहलुओं को शामिल नहीं किया गया है और साथ ही इसमें छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के पश्चात लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों (अवार्डीज) को कहीं रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करने का प्रावधान नहीं है।

(ix) मिथ्या सूचना का प्रस्तुतीकरण:

यदि किसी उम्मीदवार ने झूठी सूचना/दस्तावेज जमा कराया है और वह नकली सिद्ध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह अवार्ड पाने से वंचित हो जाएगा और यदि उसने उसे प्राप्त कर लिया है अथवा प्राप्त कर रहा है, और तो उस पर 15 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित खर्च की गई धनराशि को की वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ की जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य में काली सूची में भी डाला जायेगा एवं उम्मीदवारों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

समग्र छात्रवृत्ति योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है:–

I. <u>प्री–मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए)</u>

(इस योजना के अंतर्गत कक्षा IX और X में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां उपलब्ध होगी)

क) **अभिभावक की अधिकतम आय सीमा** : अभिभावक की अधिकतम आय सीमा सभी स्रोतों से 2.50 लाख रूपए प्रति वर्षहै।

ख) **रखरखाव भत्ता :** रु. 800/– प्रति माह होस्टलर के लिए और डे स्कॉलर के लिए रु. 500/– प्रति माह। **रखरखाव भत्ता एक वर्ष में 12 महीने के लिए भुगतान किया जाता है।**

ग) **दिव्यांगता भत्ता:** दिव्यांगता से संबंधित विभिन्न प्रकार के भत्ते निम्न प्रकार से देय होंगे:

क्र.सं.	दिव्यांगता के प्रकार	राशि (रू. प्रति वर्ष)
1.	दृष्टि बाधित	4000.00
2.	श्रवण बाधित	2000.00
3.	शारीरिक दिव्यांग (ओएच)	2000.00
4.	बौद्धिक दिव्यांगताएं	4000.00
5.	सभी प्रकार की दिव्यांगता जो उपरोक्त के अंतर्गत शामिल नहीं है।	2000.00

घ) **पुस्तक भत्ताः** उपरोक्त के अलावा, 1000/– प्रति वर्ष पुस्तक भत्ता का भुगतान किया जाता है।

ङ) **स्लॉट्स की संख्याः 25,000 छात्रों का नवीकरण**

II. पोस्ट–मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए)

इस योजना के तहत XI, XII, स्नातकोत्तर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट और भारत में स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा और यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां उपलब्ध होगी।

क) अभिभावक/संरक्षक की अधिकतम आय सीमाः अभिभावक/संरक्षक की सभी स्त्रोतों से आय की अधिकतम सीमा 2.50 लाख रूपए प्रति वर्ष है।

ख) रखरखाव भत्ताः विभिन्न समूहों/ समूहों की श्रेणियों के लिए रखरखाव भत्ता नीचे दिया गया हैः

समूह I: मेडिसिन, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, प्लानिंग/वास्तुकला, फैशन प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, बिजनेस/ वित्त, प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/अनुप्रयोग, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान में सभी स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम।

रखरखाव भत्ते की दर रु. 1600/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 750/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

समूह II: फार्मेसी (बी फॉर्मा), एलएलबी, बीएफएस, पुनर्वास, नैदानिक आदि जैसी अन्य पैरा–मेडिकल ब्रांच, जनसंचार, होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग, ट्रैवल/पर्यटन/ होस्पिटैलिटी प्रबंधन, आंतरिक साज–सज्जा, पोषण एवं आहार विद्या, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (अर्थात बैंकिंग, बीमा, कराधान आदि) जैसे क्षेत्रों में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम

रखरखाव भत्ते की दर रु. 1100/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 700/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

समूह III: स्नातक डिग्री वाले सभी अन्य पाठ्यक्रम जो समूह I तथा II अर्थात बीए/ बीएससी/बी.कॉम आदि के अंतर्गत नहीं आते हैं।

रखरखाव भत्ते की दर रु. 950/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 650/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

समूह IV: समस्त पोस्ट–मैट्रिक स्तर के गैर–डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश अर्हता हाईस्कूल (कक्षा X) अर्थात वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI तथा XII), सामान्य और व्यावसायिक स्ट्रीम, आईटीआई पाठ्यक्रम, पोलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि है।

रखरखाव भत्ते की दर रु. 900/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 550/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

ग) दिव्यांगता भत्ता : दिव्यांगता से संबंधित विभिन्न प्रकार के भत्ते निम्न प्रकार से देय होंगेः

क्र.सं.	दिव्यांगता के प्रकार	राशि (रू. प्रति वर्ष)
1.	दृष्टिबाधित	4000.00
2.	श्रवण बाधित	2000.00
3.	शारीरिक दिव्यांग (ओएच)	2000.00
4.	बौद्धिक दिव्यांगताएं	4000.00
5.	सभी अन्य प्रकार की दिव्यांगताएं जो ऊपर शामिल नहीं की गई हैं।	2000.00

घ) पुस्तक भत्ताः उपरोक्त के अलावा, 1500/– रू. प्रति वर्ष पुस्तक भत्ता का भुगतान किया जाता है।

ङ) ट्यूशन शुल्क : चुकाया गया ट्यूशन शुल्क प्रति वर्ष 1.50 लाख रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है।

च) स्लॉट्स की संख्याः 17,000 छात्रों का नवीकरण।

III. उच्च श्रेणी शिक्षा (शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए)

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए XII वीं योजना कार्य समूह की सिफारिश पर 2015–16 से उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई थी। 2017–18 तक, शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में केवल स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को अनुमति दी गई है। तथापि, शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से, 240 अधिसूचित संस्थानों में इस योजना में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए हैं।

क) अभिभावक/संरक्षक की अधिकतम आय सीमाः अधिकतम सीमा रू. 6 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख) रखरखाव भत्ताः 3000/– प्रति माह होस्टलर के लिए और डे स्कॉलर के लिए रु. 1500/– प्रति माह की दर से दिया जाता है।

ग) दिव्यांगता भत्ताः रू. 2000/– प्रति माह।

घ) पुस्तक अनुदानः रू. 5000/– प्रति वर्ष।

ङ) ट्यूशन शुल्क : प्रति वर्ष2.00 लाख रूपए प्रतिवर्ष(वास्तविक राशि के अध्यधीन)

च) कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर : कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए 60,000/–रुपए की दर से पूरे पाठ्यक्रम हेतु एकमुश्त अनुदान।

ज) स्लॉट्स की संख्याः 300 छात्रों का नवीकरण

IV. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर डिग्री/पी–एच0डी0 के लिए)

अध्ययन के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्ट अध्ययन क्षेत्रों में – (क) इंजीनियरिंग और प्रबंधन (ख) शुद्ध विज्ञान और एप्लाइड विज्ञान (ग) कृषि विज्ञान और मेडिसन (घ) वाणिज्य, लेखांकन और वित्त और (ङ) मानविकी, कानून और ललित कला सहित सामाजिक विज्ञान। विदेश में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम और पीएच.डी करने के लिए चुने गए दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

न्यूनतम योग्यता :

पीएचडी के लिए : प्रासंगिक स्नातकोत्तर डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा 55 प्रतिशत (पचपन प्रतिशत) अंक अथवा समकक्ष ग्रेड। अनुभवी उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, विशेष रूप से उन लोगों की, जो अपने मौजूदा पद पर नियोक्ता के साथ पुनः ग्रहणाधिकार (लियन) पर हैं।

स्नातकोत्तर डिग्री के लिए : प्रासंगिक स्नातक डिग्री में 55 प्रतिशत (पचपन प्रतिशत) अंक अथवा समकक्ष ग्रेड। अनुभवी उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, विशेष रूप से उन लोगों की जो अपने मौजूदा पद पर नियोक्ता के साथ पुनः ग्रहणाधिकार (लियन) पर हैं।

आयु : योजना के विज्ञापन के मास के प्रथम दिन की स्थिति के अनुसार 35 (पैंतीस) वर्ष से कम।

क) अभिभावक/संरक्षक की आयः अधिकतम आय सीमा रू. 6 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख) ट्यूशन शुल्कः वास्तविक रूप से भुगतान की गई विदेशी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों की ट्यूशन शुल्क।

ग) रखरखाव भत्ताः यूनाईटेड किंगडम के अलावा जहां पर यह प्रति वर्ष9900 रू. जीबीपी है, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों हेतु – 15400/– अमरीकी डालर ।

घ) वार्षिक आकस्मिक व्यय भत्ताः यूनाईटेड किंगडम के अलावा जहां पर यह प्रति वर्ष 1100 रू. जीबीपी है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों में 1500/– अमरीकी डालर।

ङ) प्रासंगिक यात्रा भत्ता : 20/– अमरीकी डालर या भारतीय रूपये में इसके समान।

च) उपकरण भत्ता : रू. 1500/–

छ) वीज़ा शुल्क : वास्तविक वीज़ा शुल्क भारतीय रूपये में।

झ) अचिकित्सा बीमा प्रीमियम : वास्तविक चिकित्सा बीमा प्रीमियम।

ञ) वायु मार्ग की लागत : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कैरियर में इकॉनोमी क्लास में सबसे छोटे मार्ग के लिए हवाई टिकट की व्यवस्था की जाती है।

ट) **स्लॉट्स की संख्या : 20**

(V) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (भारतीय विष्वविद्यालयों में एम.फिल. /पी–एच0डी0 के लिए)।

यह योजना दिव्यांग छात्रों के लिए प्रति वर्ष 200 फैलोशिप (जूनियर रिसर्च फेलो, जेआरएफ) की आवश्यकता को पूरा करती है। इस योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल हैं और इन्हें एम.फिल और पी.एच.डी. कर रहे रिसर्च छात्रा को प्रदान की जा रही यूजीसी फैलोसिप की योजना के पैटर्न पर स्वयं यूजीसी द्वारा लागू किया जाएगा।

क) अभिभावक की अधिकतम आय : अभिभावक की आय की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

ख) फेलोशिप की अवधि :

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम अवधि	जेआरएफ और एसआरएफ की स्वीकार्यता	
		जेआरएफ	एसआरएफ
एम.फिल	2 वर्ष	2 वर्ष	शून्य
पी.एच.डी	5 वर्ष	2 वर्ष	शेष 3 वर्ष
एम फिल. पी.एच. डी	5 वर्ष	2 वर्ष	शेष 3 वर्ष

ग) फेलोशिप की दर : जेआरएफ और एसआरएफ के लिए फेलोशिप की दरें यूजीसी फेलोशिप के बराबर होंगी। वर्तमान में ये दरें इस प्रकार हैं:

1	फेलोशिप	रू. 31,000/- प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ), रु. 35,000/- प्रतिमाह शेष कार्यकाल के लिए सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एसआरएफ)
2	मानविकी और सामाजिक विज्ञान **(कला/ ललित कला सहित)** के लिए आकस्मिक व्यय	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रू. 10,000/- प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए रू. 20,500/- प्रतिवर्ष
3	विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिक व्यय	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रू. 12,000/- प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए रू. 25,000/- प्रतिवर्ष
4	विभागीय सहायता (सभी विषय)	होस्ट (आयोजनकर्ता) संस्थान को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए रू. 3,000/- प्रति वर्ष प्रति छात्र
5	एस्कॉर्ट/रीडर सहायता (सभी विषय)	शारीरिक और दृश्य दिव्यांग उम्मीदवारों के मामलों में रू. 2,000/- प्रतिमाह

घ) मकान किराया भत्ता (एचआरए) का भुगतान यूजीसी पैटर्न पर किया जाता है और उन छात्रों को देय होता है, जिन्हें हॉस्टल आवास प्रदान नहीं किया जाता है। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रस्तावित हॉस्टल आवास को लेने से मना कर दिया जाता है, तो छात्र का एचआरए का दावा समाप्त हो जाएगा। उनके फेलोशिप कार्यक्रम के मामले में अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा सुविधा, मातृत्व अवकाश सहित सभी अवकाश यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार अभिशासित होंगी।

ड़) **स्लॉट्स की संख्याः 200 स्लॉट्स प्रतिवर्ष।**

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्लॉट्स का वितरण मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में किया जाता है। पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण, यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित की गई फेलोशिप की संख्या का पूरा उपयोग नहीं किया जाता तो खाली स्लॉट्स उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जाते हैं, जहां पात्र उम्मीदवारों की संख्या आवंटित स्लॉट से अधिक है।

(VI) दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग

योजना का उददेश्य न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले आर्थिक रूप से लाभ वंचित छात्रों के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने तथा सरकारी/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सफल होने के योग्य बनाया जा सके।

(क) कोचिंग के लिए पाठ्यक्रम :

जिनके लिए कोचिंग दी जाएगी, वे पाठ्यक्रम, निम्नानुसार होंगेः–

(i) संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) द्वारा आयोजित समूह "क'' और "ख'' पदो के लिए भर्ती परीक्षाएं।

(ii) राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा अपने संबंधित राज्यों में आयोजित समूह "क'' और "ख'' पदो के लिए भर्ती परीक्षाएं।

(iii) इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिग पर्सोनल सलेक्शन (आईबीपीएस), राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी बीमा कम्पनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूएस) द्वारा उनके अधीन आयोजित की जाने वाली अधिकारी स्तर के लिए भर्ती परीक्षाएं।

(iv) इनमें दाखिला पाने के लिए प्रवेश–परीक्षाएं (क) इंजीनियरिंग (अर्थात् आईआईटी–जेईई) (ख) मेडिकल (एनईईटी), (ग) प्रबंधन जैसे व्यावसायिक पाठयक्रम (अर्थात सीएटी) और विधि (अर्थात सीएलएटी) और (घ) ऐसे कोई अन्य विषय जिनके बारे में समय–समय पर मंत्रालय द्वारा निर्णय किए जाते हैं।

(ख) कार्यान्वयन एजेंसियां :

योजना को निम्नलिखित विख्यात कोचिंग संस्थानों/केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगाः–

(i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा उनके अधीन स्वायत्त निकाय।

(ii) समवत विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय (केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों के अधीन)।

(iii) पंजीकृत निजी संस्थाएं/गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ)।

(ग) कोंचिंग संस्थानों की पैनलबद्वता के आवेदन के लिए पात्रता मानदण्डः

(i) संस्थान एक पंजीकृत निकाय होना चाहिए अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860/कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अन्य किसी प्रासंगिक अधिनियम के तहत किसी पंजीकृत संगठन द्वारा चलाया जा रहा हो।

(ii) संस्थानों द्वारा स्वयं को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 50 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है।

(iii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा पैनलबद्धता के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र /कोचिंग संस्थानों से आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना की तारीख को संस्थान कम से कम 03 वर्शों की अवधि के लिए पंजीकृत रहा हो।

(iv) योजना के अंतर्गत आवेदन करने के समय पर संस्थान न्यूनतम 3 वर्षकी अवधि के लिए पूर्ण रूप से कार्यात्मक रहा हो और जिस वर्षमें पैनलबद्धता प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है, उससे बिल्कुल पहले कम से कम दो वर्षके लिए प्रति वर्षपाठ्यक्रमों में न्यूनतम 100 छात्रों का नामांकन होना चाहिए।

(v) संस्थान में, जिस कोर्स में कोचिंग देने के लिए आवेदन किया गया है, सभी निर्धारित जरूरतों को पूरा करने हेतु उपयुक्त आधारभूत संरचना (बाधामुक्त) का होना अनिवार्य है।

(घ) संस्थानों का चयन :

(i) कोचिंग संस्थानों के पैनलबद्धता के प्रस्ताव पर, एक चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा और उसके पिछले निष्पादन–रिकार्ड तथा चयन समिति द्वारा निर्धारित अन्य मापदण्ड के आधार पर सिफारिश की जाएगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर कोचिंग प्रदान करने के लिए चयन किया जाएगा। चयन संस्थानों का समिति का गठन निम्नानुसार होगाः–

1	संयुक्त सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी)	अध्यक्ष
2	वित्तीय सलाहकार, (डीईपीडब्ल्यूडी) अथवा नामांकित जो उप सचिव/निदेशक के पद से कम नहीं होगा।	सदस्य
3	संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
4	विभाग द्वारा विहित किए जाने वाले प्रासंगिक पृष्ठभूमि के दो प्रतिनिधि	सदस्य
5	संबंधित निदेशक/उप सचिव, (डीईपीडब्ल्यूडी)	संयोजक

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पाठ्यक्रमों की कोचिंग देने में सफलता के प्रमाणित ट्रैक–रिकार्ड वाले विख्यात कोचिंग संस्थानों की सूची (10 से अधिक नहीं) प्रस्तुत करेंगे।

(iii) राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के अतिरिक्त, ऊपर के उप–पैरा (1) में बताए गए अनुसार, चयन समिति भी जिन सस्थानों का अच्छा नाम है और निष्पादन रिकार्ड भी अच्छा है, उन कोचिंग संस्थानों की पैनलबद्धता को प्रस्तावित कर सकती है।

(iv) कोचिंग संस्थानों के नामों की सूची प्राप्त होने पर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संस्थानों से यह अनुरोध किया जाएगा कि वे योजना की जरूरतों के अनुपालन में अपेक्षित प्रपत्र में अपने विस्तृत प्रस्ताव के साथ–साथ निष्पादन रिकार्ड जमा करें।

(v) राज्य के एक जिले से अधिक जिलों में विख्यात संस्थानों की शाखाएं होने की स्थिति में, स्टैंडअलोन संस्थानों की तुलना में एक से अधिक शाखाओं वाले संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(vi) संबंधित कार्यक्रम प्रभाग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग करेगा और उनका चयन करेगा, जो प्रथम दृष्टया पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और जिनके पास सभी विहित सहायक दस्तावेज उपलब्ध है। चयन किए गए ऐसे प्रस्तावों को चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(vii) संस्थान का एक बार चयन हो जाने पर वह, प्रदान किए जाने वाले पाठयक्रमों के संबंध में, पैनलबद्वता के निबंधन और शर्तों, शुल्क–संरचना, संवितरण की आवृत्ति, स्लॉटस की संख्या, पाठ्यक्रम की अवधि, उपयोग प्रमाण–पत्र का प्रस्तुत करना आदि के संबंध में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडबल्यूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता हस्ताक्षरित करेगा।

(viii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के साथ हुए उनके समझौतों के अध्यधीन चयनित कोचिंग संस्थानों को तीन वर्शों के लिए पैनलबद्व किया जाएगा।

नोटः– योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार करने की दृष्टि से, कोचिंग संस्थान पात्र दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) अभ्यर्थियों से योजना के प्रावधानों के अनुसार आवेदन–पत्र आमन्त्रित करने के लिए स्थानीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करेंगे।

(ङ) निधियन पैटर्नः–

(i) योजना के निबंधन और शर्तों और नियमों के तहत तथा संबंधित कोचिंग संस्थान के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडबल्यूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार चयनित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली कोचिंग के समस्त व्यय के लिए धनराशि देगा।

(ii) संबंधित कोचिंग संस्थानों/केन्द्रों को शुल्क की राशि सहायता अनुदान के रूप में सीधे ही जारी की जाएगी।

(iii) प्रतिवर्ष दो समान किस्तों में सहायता अनुदान संबंधित संस्थानों को निर्मुक्त कर दी जाएगी।

(iv) संस्थान को प्रथम किस्त उसकी पैनलबद्वता के तुरन्त बाद जारी कर दी जाएगी। फिर भी, संस्थान को सहायता अनुदान की दूसरी किस्त (प्रति–पूर्ति के रूप में) उपयोग प्रमाण–पत्र, किए गए व्यय के ब्यौरे, चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षित खाते, संचालित किए गए पाठ्क्रमों के ब्यौरे और छात्रों की संख्या, जिनको कोचिंग दी गई, के ब्यौरों के प्रस्तुतीकरण पर निर्मुक्त की जाएगी।

(v) एक वर्ष पूरा होने के उपरान्त, आगामी वार्षि के लिए धनराशि निर्मुक्त करने से पहले संस्थान के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के बाद धनराशि का निर्मुक्त किया जाना पिछले वर्ष के दौरान संस्थान के संतोषजनक प्रदर्शन पर निर्भर होगा।

(vi) पैनलबद्व कोचिंग संस्थानों को दूसरे और तीसरे वार्षि के लिए देय उपयोग प्रमाण–पत्र, पिछले वर्ष के अनुदान सहित कोचिंग प्राप्त छात्रों की सूची, पिछले वर्ष की धनराशि के संबंध में लेखा परीक्षित खाते और पिछले वर्ष के दौरान कोचिंग प्राप्त छात्रों के प्रदर्शन की प्राप्ति पर सहायता अनुदान निर्मुक्त होगा।

(vii) पैनलबद्व संस्थानों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarships.gov.in) (इस योजना के लिए जब कभी पोर्टल का परिचालन किया जाएगा) पर अपने आपको पंजीकृत करना चाहिए।

(viii) अभ्यर्थियों (छात्रों/प्रशिक्षुओं) को ऑन तरीके के माध्यम से आवेदन पत्रों की प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने आवेदन जमा कराने चाहिए। सभी अपेक्षित दस्तावेज जैसे फोटोग्राफ, आयु का प्रमाण, दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, अभिभावक की आय का प्रमाण–पत्र आदि निर्धारित प्रारूप में विधिवत रूप में भरे हुए को ऑन लाइन तरीके से अपलोड किया जाना अपेक्षित है (फिर भी, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग की योजना शुरू होने तक अभ्यर्थी अपनी पसंद के पैनलबद्व संस्थानों को अपने आवेदनों को ऑफ लाइन तरीके के माध्यम से जमा करेंगे।

(ix) पैनलबद्व संस्थानों द्वारा नामित किया गया नोडल अधिकारी आवेदनों को सत्यापित करेगा और उस पर कार्रवाई करेगा तथा स्टाईपेंड और भत्तों के संवितरण के लिए पीएफएमएस पोर्टल पर अंतिम सूची अग्रेषित करेगा।

(x) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा अभ्यर्थियों को अनुदेय स्टाईपेंड और विशेष भत्ते पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से आधार सक्षम डीबीटी के तहत उनके बैंक खातों में सीधे निर्मुक्त कर दिए जाऐंगे।

(च) कोचिंग शुल्क की प्रमात्राः

कोचिंग शुल्क की प्रमात्रा का निर्धारण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और कोचिंग संस्थान के बीच पैनलबद्वता के समय हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार होगा।

पात्रता मानदण्ड और अभ्यर्थियों का चयनः

(i) इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांजनों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत शामिल और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अन्य प्रासंगिक अधिनियम मे शामिल, दिव्यांग छात्रों को उपलब्ध होगी।

(ii) कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रों का चयन स्वयं संस्थान द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मानदंडों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तथापि, संस्थान करार में निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुरूप दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इन मानदंडों में छूट दे सकते हैं।

(iii) इस योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी उस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होना/होनी चाहिए, जिसके लिए वह कोचिंग ले रहा/रही है।

(iv) आय की अधिकतम सीमाः इस योजना के अंतर्गत केवल वही दिव्यांग छात्र पात्र होंगे जिनके परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 6.00 लाख या कम है।

(v) इस योजना के अंतर्गत विशेष छात्र द्वारा एक से अधिक बार लाभ नहीं उठाया जा सकता चाहे प्रतियोगी परीक्षा विशेष में सम्मिलित होने के अवसरों की उसकी पात्रता कितनी भी हो। कोचिंग संस्थान छात्रों से इस आशय में एक शपथ पत्र भी लेगा कि उन्होंने इस योजना के अंतर्गत एक से अधिक बार लाभ नहीं उठाया है।

(vi) केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग का लाभ नहीं उठाने वाले उम्मीदवार इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। कोचिंग संस्थान छात्रों से इस आशय में एक शपथ–पत्र भी लेगा कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार की अन्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग का लाभ नहीं उठाया है।

(vii) फिर भी, ऊपर के पैरा (अ) के प्रावधान के होते हुए भी, जहां परीक्षा दो चरणों अर्थात प्रारम्भिक और मुख्य चरणों में आयोजित की जाती है, उम्मीदवार परीक्षा के दोनों चरणों के लिए निःशुल्क कोचिंग लेने का पात्र होगा। वे सभी अपनी सुविधानुसार प्रारम्भिक और मुख्य, दोनों परीक्षाओं, के लिए अलग–अलग निःशुल्क कोचिंग लेने के पात्र होंगे। तथापि, यदि उममीदवार का साक्षात्कार के लिए चयन होता है तो साक्षात्कार के लिए कोचिंग हेतु अवसरों की संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(viii) उपस्थितिः यदि कोई छात्र बिना किसी वैध कारण के 15 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) को सूचित करते हुए, उसको दिया जाने वाला निःशुल्क कोचिंग का लाभ समाप्त कर दिया जाएगा।

(ix) कोचिंग सहायता की अवधिः प्रथम वर्षके पूरा होने पर, यदि छात्र द्वितीय वर्ष के लिए जारी रखना चाहता है, तो उसे कोाचिंग सहायता के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

छ. स्टाईपेंड (वजीफा):

कोचिंग कक्षा में भाग लेने के लिए स्थानीय छात्रों को प्रतिमाह रूपये 2,500/– (दो हजार पांच सौ रूपए मात्र) के मासिक स्टाईपेंड (वजीफे) का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार, बाहरी छात्रों के लिए प्रति माह प्रति छात्र की रूपये 5,000/– (पांच हजार रूपये मात्र) का भुगतान किया जाएगा। प्रति छात्र, प्रति माह रूपये 2,000/– (दो हजार रूपये मात्र) का रीडर भत्ता, एस्कोर्ट भत्ता, सहायक (हेल्पर) भत्ता आदि के लिए छात्रों को विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

ज. सामान्य प्रावधानः

(i) संस्थान कोचिंग और उम्मीदवारों के चयन के पूरे प्रगति रिकार्ड का रख–रखाव करेंगे।

(ii) संस्थान को निर्मुक्त किए गए सहायता–अनुदान का परिचालन संस्थान द्वारा अलग खाते में किया जाएगा।

(iii) संस्थान, सहायता अनुदान का उपयोग केवल इस योजना के निर्धारित उद्देश्यों के लिए करेगा। अनुदेयी संस्थान द्वारा इन शर्तों के उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, संस्थान, प्राप्त धनराशि को, 18% दण्डस्वरूप ब्याज सहित लौटाएगा और उस पर अन्य कार्रवाई, जो भी आवश्यक हो, की जा सकेगी

झ. निष्पादन और मॉनीटरिंग की समीक्षाः

(i) पैनलबद्वता के तीसरे वर्षके अन्त में, कोचिंग संस्थान के निष्पाादन की समीक्षा की जाएगी। योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को दी गई कोचिंग के परिणामों के आधार पर और कोचिंग प्राप्त छात्रों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने, जिनके लिए उसने कोचिंग प्राप्त की है, में सफलता की दर के आधार पर मूल्यांकन होगा।

(ii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के पास किसी भी पैनलबद्व संस्थानों का समय–समय पर औचक निरीक्षण/जांच करने का अधिकार आरक्षित है।

(iii) कोचिंग संस्थान के असंतोजनक निष्पादन की स्थिति में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पास किसी भी समय वित्त–पोशण समाप्त करने का अधिकार आरक्षित है।

4.5 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि

4.5.1 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट) 2016 के अनुसार, राष्ट्रीय दिव्यांगजन कोष का गठन किया गया है। अगस्त, 1983 में गठित तत्कालीन राष्ट्रीय दिव्यांगजन कोष और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए नवंबर, 2006 में गठित न्यास निधि के अंतर्गत उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखते हुए कोष का गठन किया गया है। राष्ट्रीय कोष के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है :–

4.5.1.1 दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई, पेंटिंग, हस्तशिल्प आदि सहित उत्पादों के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनियाँ कार्यशालाएं।

(i) पात्रता

कोई भी सरकारी संगठन अथवा सोसाइटी अधिनियम/कम्पनी अधिनियम/न्यास अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष की अवधि से पंजीकृत संगठन और उत्पादों/पैंटिंग के विपणन में प्रदर्शनी और कार्यशालाएं आयोजित करने का 2 वर्ष का अनुभव रखने वाले संगठन।

(ii) वित्तीय सहायता की सीमा – वित्तीय सहायता में निम्नलिखित घटक कवर होंगे:–

(क) कार्यक्रम–स्थल के प्रबंधन की लागत सहित कार्यक्रम आयोजित करने की दिशा में स्थापना लागत, दिव्यांगजनों के उत्पाद/पैंटिंग के प्रदर्शन के लिए उनकी प्रतिभागिता के लिए आमंत्रित दिव्यांगजनों को यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता, उनको लाने–ले जाने की लागत आदि।

(ख) एलसीडी स्क्रीन, विद्युत, संगीत आदि जैसे प्रबंध के लिए अतिरिक्त संचालन और क्रियान्वयन की लागतं

(ग) अनुदान का 50 प्रतिशत अग्रिम रूप में जारी किया जाएगा और शेश 50 प्रतिशत को कार्यक्रम की पूर्णता और उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के बाद जारी किया जाएगा।

(घ) राष्ट्रीय स्तर के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता 20 लाख रू., क्षेत्रीय स्तर के लिए 15 लाख रूपये और राज्य स्तर के लिए 10 लाख रूपये होगी।

4.5.1.2 बैंचमार्क दिव्यांगजनों, जिन्होंने राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय समारोह में भाग लेने हेतु राज्य स्तर पर खेल, ललित कला / संगीत / नृत्य / फिल्म / नाट्यकला/साहित्य में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, को सहायता।

(i) पात्रता

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान में संस्कृति मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ऐसा कोई भी बैंचमार्क दिव्यांगजन (40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाला) जिसने खेल स्पर्द्धाओं में पदक जीता है, अथवा कोई भी दिव्यांग कलाकार जिसे उत्कृष्ट अथवा होनहार कलाकार के रूप में आँका गया है।

(ख) राष्ट्रीय स्पर्द्धाओं में (राष्ट्रीय आईटी चुनौती सहित) भाग लेने के लिए बैंचमार्क दिव्यांगजन के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि अन्तरराष्ट्रीय स्पर्द्धाओं में भाग लेने के लिए, परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) दिव्यांगजन को निधि से केवल एक बार ही उसी प्रकार की समान स्पर्द्धाओं के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है (यदि किसी व्यक्तिगत कर्मचारी को निधि के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्पर्द्धा के लिए सहायता–अनुदान दिया गया है, तो वह उसी प्रकार की समान स्पर्द्धाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु पात्र नहीं होगा)।

(ii) वित्तीय सहायता की सीमा – वित्तीय सहायता निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:–

(क) दिव्यांग उम्मीदवार के साथ एक एस्कोर्ट (जहां कहीं लागू है) को आने–जाने का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेल किराया (सबसे छोटा मार्ग)।

(ख) अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धाओं के मामले में, आने–जाने का किफायती हवाई किराया (सबसे छोटा मार्ग) और स्पर्द्धा की पूरी अवधि के लिए 4000/– रू. प्रतिदिन।

4.5.1.3 राज्यों द्वारा अलग–अलग मामलों के आधार पर विनिर्दिष्ट संस्तुति पर मूल्यांकन बोर्ड द्वारा यथा संस्तुत उच्च सहायता की जरूरत वाले व्यक्तियों की कुछेक विशेष जरूरतों के लिए सहायता।

(i) पात्रता

राज्यों/संघ राज्यों द्वारा गठित मूल्यांकन बोर्ड द्वारा यथा संस्तुत उच्च सहायता की जरूरत वाले बैंचमार्क दिव्यांगजनों को, जिन्होंने राज्यों से सम्पर्क किया और राज्य अपनी निधि से उन्हें ऐसी सहायता उपलब्ध नहीं करा सका और निधि के अन्तर्गत विचारार्थ सिफारिश की है। दिव्यांगजनों के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रू. से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा जैसा कि शासी निकाय द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ii) वित्तीय सहायता सीमित है : दैनिक जीवन की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए अनुकूलित गतिशीलता उपकरण की वास्तविकता लागत अथवा 01 लाख रूपए जो भी कम हो, तक वित्तीय सहायता सीमित है।

4.6 भारतीय स्पाइनल इंजुरी केन्द्र (आईएसआईसी)

योजना का मुख्य उद्देश्य घायल स्पाइनल कोर्ड की चोट से ग्रस्त वाले गरीब रोगियों के इंडोर उपचार और उनके पुनर्वास के लिए आईएसआईसी द्वारा स्थापित किये जाने वाले 25 निःशुल्क विस्तर तथा 5 निःशुल्क बिस्तरों के लिए विभाग द्वारा सहायता अनुदान के रूप में निधियों की प्रतिपूर्ति करना है। दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 22.03.2007 के आदेश के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के इंडोर उपचार के लिए 10 प्रतिशत निःशुल्क बिस्तर स्थापित किये जाने है तथा आईएसआई द्वारा इन्हें मंत्रालय की योजना के साथ नहीं जोडा जाएगा। दिनांक 31.12.2015 को नई दिशा–निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा आईएसआईसी की प्रतिपूर्ति की वर्तमान दर वास्तविक उपयोग (अधिग्रहण) के आधार पर 7000/– रूपए प्रति बिस्तर प्रतिदिन होगी।

अध्याय - 5

विभाग के रिर्पोटिंग कार्यालयों की योजनाएं

व्हीलचेयर सुगम्यता प्रतीक

अध्याय

5

विभाग के रिर्पोटिंग कार्यालयों की योजनाए

5.1 ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास

5.1.1 प्रस्तावना: राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ संसद के वर्ष 1999 के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है।

राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

(i) दिव्यांगजनों को स्वतंत्रतापूर्वक और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।

(ii) दिव्यांगजनों को अपने स्वयं के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

(iii) दिव्यांगजनों के परिवार की संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।

(iv) दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढ़ना।

(v) दिव्यांगजनों के माता–पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।

(vi) जिन दिव्यांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरुरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया विकसित करना।

(vii) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर बनाना।

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्य जो पूर्वोक्त उद्देश्यों का आनुषंगिक हो।

राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो मूलभूत कर्तव्यों – विधिक और कल्याण को निभाने के लिए की गई है। विधिक कर्तव्य स्थानीय स्तर समिति के माध्यम से और विधिक

अभिभावकत्व प्रदान करके निभाए जाते हैं। कल्याण कर्तव्य योजनाओं के माध्यम से निभाएं जाते हैं। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ–साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा आश्रय, देख–रेख प्रदान करना एवं सशक्तिकरण शामिल हैं। राष्ट्रीय न्यास, दिव्यांगजन को अधिनियम के अधीन समान अवसर प्रदान करने, अधिकारों का संरक्षण करने और पूर्ण भागीदारी में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

5.1.2 संगठनों का पंजीकरण

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार कोई भी स्वैच्छिक संगठन, दिव्यांगजना संघ दिव्यांगजनों के अभिभावक संघ, अथवा ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले संघ है, जो ''पहले से ही सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 की 21), अथवा कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25, अथवा सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास अधिनियम और निःशक्तजन अधिनियम, 1995 अथवा संबंधित राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पहले से ही पंजीकृत है। संगठन के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से मोहर और हस्ताक्षरित फॉर्म 'ई' सहित ऑनलाईन फार्म भरकर संगठन के अध्यक्ष की विधिवत मोहर और हस्ताक्षर से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं (ऑनलाईन पंजीकरण फॉम भरते समय ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से सृजित किया जाना होगा)। न्यास की योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने के लिए न्यास के साथ ऐसे संगठनों का पंजीकरण करना आवश्यक होगा। देश में राष्ट्रीय न्यास के लगभग 678 पंजीकृत संगठन हैं।

5.1.3 स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी)

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 13 के अंतर्गत, देश के प्रत्येक जिले में तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक बोर्ड द्वारा इसका पुनर्गठन नहीं किया जाता, स्थानीय स्तरीय समिति गठित की जानी अपेक्षित है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

- संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या किसी जिले के जिला आयुक्त के रैंक से नीचे का नहीं हो।
- राष्ट्रीय न्यास के पास पंजीकृत किसी संगठन का एक प्रतिनिधि और
- निःशक्तजन अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (न) में यथा परिभाषित दिव्यांगजन

स्थानीय स्तरीय समिति का कार्य विधिक संरक्षकों की जांच, नियुक्ति और मॉनीटरिंग करना और विधिक संरक्षकों को हटाना है। स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी) जागरूकता सृजन, अभिसरण और दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में शामिल किए जाने जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करती है। एलएलसी अध्यक्ष के साथ जिला कलेक्टर/जिला रजिस्ट्रार के साथ 05 अगस्त, 2020 तक देश के लगभग सभी जिलों (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) को शामिल करते हुए 688 स्थानीय स्तरीय समितियां गठित की जा चुकी हैं। वर्ष2019–2020 में, 6811 विधिक संरक्षकता हैं, जिनमें से 4636 (सत्यापित मामले वे अनुमोदित मामले है, जहां सिस्टम सृजित संरक्षकता प्रमाण पत्र डीसी/एलएलसी अध्यक्ष विधिक के हस्ताक्षर और मुहर के बाद पुनः अपलोड किए गए हैं)।

5.1.4 विधिक संरक्षकों की नियुक्ति

(i) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 14–17 स्थानीय स्तरीय समिति द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को दी जाने वाली संरक्षकता की व्याख्या करती है। संरक्षकता एक आवश्यकता आधारित समर्थकारी प्रावधान है। संरक्षकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रदान किया जाता है–

- कोई भी संरक्षक वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
- वह उस व्यक्ति की देखभाल और सुरक्षा को अपने ऊपर ले लेता है जिसके लिए उसे संरक्षक नियुक्त किया जाता है।
- संरक्षक व्यक्ति और बच्चे की संपत्ति की ओर से सभी विधिक निर्णण लेता है।

5.1.5 राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र (एसएनएसी)

राज्य स्तर पर इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन सहित, राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों के कार्यान्वयन और संबंधित राज्य सरकारों के विभागों के साथ समन्वय करने एवं संपर्क बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यास के एक प्रतिष्ठित पंजीकृत संगठन को राज्य नोडल अभिकरण केंद्र (एसएनएसी) के रूप में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास, संस्थागत गतिवधियां चलाने, यथा ट्रस्ट की स्कीमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत एनजीओ के साथ बैठक करने, अन्य, एनजीओ के साथ नेटवर्क बनाने और स्थानीय स्तर समितियों और राज्य स्तरीय समन्वय समितियों इत्यादि के साथ बैठक के लिए निधि प्रदान करता है। 05 अगस्त, 2020 की स्थिति के अनुसार देश में 28 एसएनएसी हैं।

5.1.6 राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी)

राष्ट्रीय न्यास स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। दिव्यांगता संबंधी कार्य की देखरेख करने वाले राज्य के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और संबंधित एसएनएसी इसके संयोजक होते हैं।

5.1.7 योजनाओं की विशेषताएं :–

(i) दिशा (0–10 वर्षों के लिए शीघ्र उपाय तथा स्कूल के लिए तैयार करने की योजना)

यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत कवर होने वाली चार प्रकार की दिव्यांगताओं वाले 0–10 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के शीघ्र उपाय एवं उन्हें स्कूल तैयारी की योजना है तथा इसका लक्ष्य थैरेपी, प्रशिक्षण के माध्यम से और परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करके दिव्यांगजनों के शीघ्र उपाय हेतु दिशा केन्द्रों को स्थापित करना है। पंजीकृत संगठनों द्वारा दिव्यांगजनों को एक दिन में कम से कम 4 घंटे अर्थात सुबह 8 बजे से सांय 6 बजे के बीच आयु विशिष्ट गतिविधियों के साथ–साथ दिवसीय देखभाल की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। केन्द्र में देखभाल प्रदाता (केयर गिवर) और आया सहित दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष शिक्षक अथवा शीघ्र उपाय थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट अथवा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और सलाहकार होना चाहिए। देश में 29 दिशा केन्द्र और 38 दिशा–सह–विकास केन्द्र हैं।

(ii) विकास (10+वर्षों के लिए दिवसीय देखभाल (डे केयर) योजना)

यह 10 वर्ष तथा अधिक आयु वाले दिव्यांगजनों के लिए डे–केयर योजना है जो प्रारंभिक रूप में दिव्यांगजनों के अंतर वैयक्तिक और व्यावसायिक कोशल में वृद्धि के लिए उपलब्ध अवसरों की श्रेणी को व्यापक रूप देने की डे–केयर योजना है क्योंकि वे उच्च आयु समूहों की ओर परिवर्तन की दिशा में हैं। केन्द्र दिव्यांगजनों को उस अवधि के लिए भी केयर गिविंग सहायता प्रदान करता है जब

दिव्यांगजन विकास केन्द्र में है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत कवर होने वाले दिव्यांगजनों के परिवार के सदस्यों के अन्य उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ समय प्रदान करने के लिए समर्थन देने में भी सहायता करता है। पंजीकृत संगठनों द्वारा दिव्यांगजनों को एक दिन में कम से कम 6 घंटे (सुबह 8 बजे से सांय 6 बजे के बीच) आयु विशिष्ट गतिविधियों के साथ–साथ दिवसीय देखभाल की सुविधा प्रदान करना चाहिए। दिवसीय देखभाल महीने में कम से कम 21 दिन खुलना चाहिए। देश में 33 विकास केन्द्र और 38 दिशा–सह–विकास केन्द्र हैं।

(iii) दिशा–सह विकास योजना (दिवसीय देखभाल (डे–केयर)

पंजीकृत संगठन, जो बहु योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं, उन्हें संविलयन योजना के कार्यान्वयन का विकल्प प्रदान किया गया था। आरओ द्वारा प्रदान की गयी सहमति तथा योजना के दिशा–निर्देशों के आधार पर इन आरओ को दिनांक 01.04.2018 से विलय की गयी दिशा सह विकास योजना (डे–केयर) आवंटित की गयी। देश में 38 दिशा–सह–विकास केन्द्र हैं।

(iv) समर्थ (राहत आवासीय देखभाल योजना)

समर्थ योजना के उद्देश्य अनाथों, परित्यक्तों, संकट में फंसे परिवारों तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के दायरे में आने वाले निराश्रितों सहित गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) ओर निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के परिवारों से संबंधित दिव्यांगजनों को राहत (रेस्पाइट) गृह प्रदान करना है। इसका उद्देश्य परिवार के सदस्यों के लिए अवसरों का सृजन करना भी है ताकि उन्हें अपने अन्य उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए राहत का समय मिल सके। इस योजना का उद्देश्य सभी आयु वर्गों के पेशेवर चिकित्सकों से मूलभूत चिकित्सा प्रावधानों सहित स्वीकार्य जीवन स्तरों वाली उपयुक्त क्वालिटी केयर सेवा हेतु सामूहिक आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समर्थ केन्द्रों की स्थापना करना है। देश में 8 समर्थ केन्द्र और 12 समर्थ–सह–घरौंदा केन्द्र हैं।

(v) घरौंदा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह)

घरौंदा योजना का उद्देश्य स्वलीनता, प्रमस्तिक घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को संपूर्ण जीवन काल के लिए सुनिश्चित गृह तथा देखभाल सेवाओं की न्यूनतम क्वालिटी प्रदान करना है। यह योजना, संपूर्ण देश में सुनिश्चित देखभाल प्रणाली के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना की स्थापना, सहायता प्राप्त स्वतंत्र एवं गरिमामय जीवन यापन के लिए प्रोत्साहित करना तथा स्थायी आधार पर देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। देश में 19 घरौंदा केन्द्र और 12 समर्थ–सह–घरौंदा केन्द्र हैं।

(vi) समर्थ सह घरौंदा योजना (आवासीय)

पंजीकृत संगठन, जो बहु योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं, उन्हें संविलयन योजना के कार्यान्वयन का विकल्प प्रदान किया गया था। आरओ द्वारा प्रदान की गयी सहमति तथा योजना के दिशा–निर्देशों के आधार पर इन आरओ को दिनांक 01.04.2018 से विलय की गयी समर्थ सह घरौंदा योजना (आवासीय) आवंटित की गयी।

(vii) सहयोगी (देखभाल संबद्ध प्रशिक्षण योजना)

योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों तथा उनके परिवारों, जिन्हें इनकी आवश्यकता है, उन्हें पर्याप्त एवं पोषण देखभाल उपलब्ध कराने के लिए देखभाल सहयोगियों का कुशल कार्यबल सृजित करने हेतु देखभाल संबद्ध (केयर गिवर) सैल (सीएसी) स्थापित करना है)। यह यह अभिभावकों को यदि वे चाहते हैं तो केयर गिविंग में प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करने का प्रयत्न भी करती है। यह योजना दिव्यांगजनों के परिवारों तथा दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अन्य संस्थानों (एनजीओ, कार्य केन्द्र आदि) दोनों के साथ कार्य करने के लिए उपयुक्त केयर सहयोगियों का सृजन करने हेतु आरंभिक एवं प्रगामी (एडवांस्ड) दोनों पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण का विकल्प उपलब्ध कराती है। देश में 56 केयर गिवर सेल हैं।

(viii) प्रेरणा (विपणन सहायता)

प्रेरणा राष्ट्रीय न्यास की एक विपणन सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों और प्रदान की सेवाओं के विक्रय के लिए व्यवहार्य एवं व्यापक चैनलों का सृजन करना है। इस योजना का उद्देश्य आयोजनों अर्थात प्रदर्शनियों, मेलों आदि में दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विक्रय के लिए समारोह में भाग लेने हेतु निधियां प्रदान करना है। योजना दिव्यांगजनों द्वारा बनाये गए उत्पादों के विक्रय टर्नओवर के आधार पर पंजीकृत संगठनों (आरओ) को प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय न्यास को, दिव्यांगजनों द्वारा तैयार उत्पादों एवं सेवाओं की मार्केटिंग एवं विक्रय के लिए मेलों, प्रदर्शनियों आदि जैसे समारोह में भाग लेने हेतु आरओ को वित्त पोशित करना चाहिए। यद्यपि, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अधीन इन कार्य केन्द्रों में कम से कम 51 प्रतिशत दिव्यांग कर्मचारी होने चाहिए। यह एक नवीन योजना है। बोर्ड के निर्णय के अनुसार, योजना पुनरीक्षण के अधीन है।

(ix) संभव (सहायक यंत्र और उपकरण)

यह 5 मिलियन (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक जनसंख्या वाले देश के प्रत्येक नगर में सहायक यंत्रों, साफ्टवेयर एवं संयत्र के प्रदर्शन एवं निरूपण के प्रावधानों के साथ सहायक यंत्रों के अन्य स्वरूपों को मिलाने एवं एकत्रित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन केन्द्र में उपस्थित करने की योजना है। योजना में संभव केन्द्र में उपस्थित सहायक यंत्रों एवं उपकरणों से संबंधित सूचना का रखरखाव राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर करना भी शामिल है। इन केन्द्रों का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगताओं वाले दिव्यांगजनों के सुधार और सशक्तिकरण के लिए सूचना एवं सयंत्रों उपकरणों, साफ्टवेयर आदि की सहज सुगम्यता उपलब्ध कराना है। बोर्ड के निर्णय के अनुसार, योजना संशोधित की जा रही है। बोर्ड के निर्णय के अनुसार, योजना पुनरीक्षण के अधीन है।

(x) बढ़ते कदम (जागरूकता, सामुदायिक संपर्क तथा अभिनव परियोजना योजना)

यह योजना राष्ट्रीय न्यास के दिव्यांगजनों की जागरूकता बढाने पर बल देने वाली गतिविधियों को बढाने के लिए राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य सामुदायिक जागरूकता, संवेदीकरण, सामाजिक एकीकरण तथा दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाना है। राष्ट्रीय न्यास प्रतिवर्षप्रत्येक पंजीकृत संगठन के लिए अधिकतम 4 कार्यक्रम प्रायोजित करेगा। प्रत्येक पंजीकृत संगठन को एक वर्ष में कम से कम एक कार्यक्रम का आयोजन सामुदायिक, शैक्षणिक संस्थानों अथवा चिकित्सा संस्थानों के लिए करना चाहिए। योजना के तहत 126 पंजीकृत संगठन किए गए है।

(xi) 'निरामय' स्वास्थ्य बीमा योजना

योजना का उद्देश्य स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को किफायती स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। नामांकित लाभार्थी मामूली शुल्क के भुगतान द्वारा 1.00 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करते हैं।

01 अप्रैल, 2016 से लागू निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण एवं नवीकरण का पूर्ण शुल्क चार्ट निम्न प्रकार है:–

दिव्यांगजन श्रेणी	नामांकन शुल्क	नवीकरण शुल्क
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)	रू. 250/-	रू. 50/.
गैर बीपीएल	रू. 500/-	रू. 250/-
विधिक संरक्षता वाले दिव्यांगजन (नेचुरल अभिभावकों से अतिरिक्त)	नि शुल्क	निशुल्क

वे शीर्ष जिनके अंतर्गत लाभार्थी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, (लाभ चार्ट) निम्नानुसार है :–

निरामय' स्वास्थ्य बीमा स्कीम संशोधित लाभ चार्ट (अप्रैल, 2015 से केवल प्रतिपूर्ति आधार पर)				
खंड	उप खंड	ब्यौरा	उपसीमा	खंड की समग्र सीमा
I	**अस्पताल में भर्ती होने की समग्र सीमा**			**रू. 70,000/-**
	क	जन्मजात दिव्यांगता सहित वर्तमान दिव्यांगताओं के लिए सुधारात्मक सर्जरियां	रू. 40,000/-	
	ख	गैर–सर्जिकल/अस्पताल में भर्ती होना	रू.15,000/-	
	ग	दिव्यांगता को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सर्जरी	रू.15,000/-	
II	**बाह्य रोगी (ओपीडी) विभाग के लिए समग्र सीमा**			**रू. 14,500/-**
	क	औषधियां, लैब डायग्नोस्टिक जांच सहित ओपीडी उपचार	रू. 8,000/-	
	ख	स्वस्थ दिव्यांगजनों के लिए नियमित चिकित्सा जांच	रू. 4,000/-	
	ग	डेंटल प्रिवेन्टिव डेनटिस्ट्री	रू. 2,500	
III	निःशक्तता के प्रभाव, निशक्तता संबंधी परेशानियों को कम करने के लिए **चल रही थेरेपियां**			**रू. 10,000/-**
IV	**वैकल्पिक औषधि**			**रू. 4,500/-**
V	**परिवहन लागत**			**रू. 1,000/-**
एक व्यक्ति के लिए कवरेज की समग्र सीमा रू रू. 1,00,000/-				

5.2 नेशनल हैंडीकैप्ड एंड डेवल्पमेंट कारपोरेशन (एनएचएफडीसी)

5.2.1 एनएचएफडीसी के बारे में

नेशनल हैंडीकैप्ड एंड डेवल्पमेंट कारपोरेशन (एनएचएफडीसी) की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1997 में की गई थी। यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तद्नुरूप) के अधीन एक लाभ (नोट फोर प्रोफिट) निरपेक्ष कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह पूर्णतया भारत सरकार द्वारा स्वाधिकृत है। कंपनी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

5.2.2 उद्देश्य

- दिव्यांगजनों के लाभार्थ/आर्थिक पुनर्वास के लिए स्व–रोजगार और अन्य उपक्रमों को प्रोत्साहन देना।
- दिव्यांगज या दिव्यांगजनों के समूहों के अलग–अलग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से और वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य योजनाओं और परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जा सकने वाले आय मानदण्ड के मानदंडों के ऋण और अग्रिम राशि के माध्यम से आर्थिक सहायता करना।

- दिव्यांगजन को स्नातक और उच्च स्तर पर प्रचलित (सामान्य) /व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा के प्रशिक्षण में अध्ययन जारी रखने के लिए ऋण देना।

- दिव्यांगजनों के तकनीकी और उद्यमी कोशल के सुधार के लिए उत्पादन इकाई के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए सहायता देना।

- समाज में दिव्यांगजनों का समावेश और उनके आरामदायक जीवन के लिए मदद करना।

- दिव्यांगजनों के उचित पुनर्वास/उत्थान के लिए प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, विकास की प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक सुविधा केंद्रों की स्थापना और अन्य बुनियादी क्रियाकलापों को सहायता देना।

- दिव्यांगजनों के विकास के सरोकार के लिए राज्य स्तर के संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और वाणिज्यिक वित्त–पोषण प्राप्त करने अथवा पुनः वित्त–पोषण प्राप्त करने के तरीके द्वारा सहायता करना।

- दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए राज्य सरकार (सरकारों) द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेंसियों, भागीदार बैंकों और वित्तीय संस्थानों तथा अन्य राज्य स्तर के संस्थानों, जिसके साथ द्वारा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, के माध्यम से निधियों के प्रवाह के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करना।

- स्व–रोजगार करने वाले व्यक्तियों / व्यक्तियों के समूह अथवा पंजीकृत कारखानों / कंपनियों / दिव्यांगजनों की सहकारी समितियों को उनके द्वारा तैयार माल के विपणन में सहायता करना और कच्चे माल को उपलब्ध कराने में सहायता करना।

5.2.3 विषय–क्षेत्र

एनएचएफडीसी के संघ ज्ञापन में निगम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के उत्थान के लिए सम्भारिक सामाजिक–आर्थिक उपायों के व्यापक पहलुओं को कवर किया गया है। लगातार बदलते समाज के आधार पर निगम की प्रकार्यात्मकता में परिवर्तन होने की संभावना है। वर्तमान में, निगम का विषय क्षेत्र क्रियाकलापों की निम्नलिखित निम्नलिखित श्रेणियों को कवर करता है:

- दिव्यांगजनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लाभ पहुंचाने के लिए दिव्यांगजनों हेतु रियायती क्रेडिट देना।

- विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों – राज्यों/संघ राज्यों द्वारा नामित एजेंसियाँ (राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां (एसीए), बैंक/वित्तीय संस्थान, राज्य स्तर के संगठनों जैसे आजीविका मिशन स्वच्छ भारत मिशन आदि; गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) आदि के माध्यम से रियायती क्रेडिट देने के लिए तौर–तरीके।

- विभिन्न चैनल भागीदारों की वर्तमान योजनाओं के साथ–साथ सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण।

- कार्यान्वयन एजेंसियों/विख्यात प्रशिक्षण संस्थानों को उद्यमिता और कोशल विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान उपलब्ध कराना।

- कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रचार और जागरूकता सृजन गतिविधियों के लिए अनुदान उपलब्ध कराना।

- दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के माल और सेवाओं की बिक्री में सहायता करने के लिए विपणन सहायता का विस्तार करना।

5.2.4 एनएचएफडीसी दिव्यांगजनों के लाभार्थ ऋण आधारित और गैर–ऋण आधारित योजनाओं को कार्यान्वयन करता है। एनएचएफडीसी योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है :–

(i) **ऋण आधारित योजनाएं**

(ii) **दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना** :

इस योजना के अंतर्गत एनएचएफडीसी दिव्यांगजनों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आय सृजन में योगदान देने अथवा राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की समग्र प्रक्रिया और उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करता है।

पात्रता

(i) 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांगता वाला कोई भी भारतीय नागरिक (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 या इसके संशोधनों में यथा परिभाषित दिव्यांगता)।

(ii) उम्र 18 साल से ऊपर हो। तथापि, मानसिक मंदता ग्रस्त व्यक्तियों के मामले में पात्रता आयु 14 वर्ष से ऊपर होगी। शैक्षिक ऋण के लिए आयु मानदंड की आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आयु प्रमाण पत्र अथवा 10 वीं के प्रमाण–पत्र में यथोल्लिखित अथवा सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी प्रमाण–पत्र अपेक्षित दस्तावेज होगा।

कवर की गई गतिविधियाँ :

(i) आय सृजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाली किसी भी गतिविधि को शुरू करना या सशक्तिकरण की उनकी समग्र प्रक्रिया में दिव्यांगजन की मदद करना।

(ii) कक्षा 12 वीं (स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक पाठयक्रम और यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएआर सरकार आदि द्वारा अनुमोदित अन्य पाठयक्रमों) के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना

(iii) व्यावसायिक या कोशल विकास करना (आईटीआई, डिप्लोमा या रोजगार या स्व–रोजगार में वृद्धि करने जाने वाले कोई अन्य पाठ्यक्रम)

(iv) किसी भी सहायक उपकरण (उपकरणों) की खरीद और/या फिट करने के लिए / उपलब्ध मशीन, का अनुकूलन / रेट्रोफिटिंग या रूपांतरण, उपकरण, दिव्यांगता अनुकूल मोड़ वाहन।

उद्देश्य :

(i) दिव्यांगजनों के लाभ के लिए रियायती ऋण प्रदान करना (दिव्यांगजन) अधिनियम, 2016 या इसके संशोधनों में यथा परिभाषित दिव्यांगता) :

(ii) आय सृजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाली किसी भी गतिविधि को शुरू करना या सशक्तिकरण की उनकी समग्र प्रक्रिया में दिव्यांगजन की मदद करना।

(iii) कक्षा 12 वीं (स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक पाठयक्रम और यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएआर सरकार आदि द्वारा अनुमोदित अन्य पाठयक्रमों) के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना

(iv) व्यावसायिक या कोशल विकास करना (आईटीआई, डिप्लोमा या रोजगार या स्व–रोजगार में वृद्धि करने वाले कोई अन्य पाठ्यक्रम)

(v) किसी भी सहायक उपकरण (उपकरणों) की खरीद और/या फिट करने के लिए / उपलब्ध मशीन, का अनुकूलन / रेट्रोफिटिंग या रूपांतरण, उपकरण, दिव्यांगता अनुकूल मोड़ वाहन।

उद्देश्य : योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद दिव्यांगजनों की आर्थिक सहायता के लिए और समग्र सशक्तीकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करना है।

ऋण के लिए ब्याज की दर : एनएचएफडीसी द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता, जहां भी संबंधित ऋण योजना (योजनाओं) में निर्दिष्ट दरें प्रदान नहीं की गई हैं। प्रतिवर्ष निम्नलिखित दरों पर साधारण ब्याज लिया जाता हैं:–

क्रम सं.	ऋण की राशि (रूपए करोड़ में)	ब्याज दर (प्रतिशत)	कार्यान्वयन एजेंसी लाभ (प्रतिशत)	दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए ब्याज की दर (प्रतिशत)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)** (3 + 4)
i(	0.50 से कम	2	3	5
ii)	0.50.5.0 से अधिक	3	3	6
iii)	5.0-15.0 से अधिक	3	4	7
iv)	15.0.30.0 से अधिक	4	4	8
v)	30.0.50.0 से अधिक	4.5	4.5	9

छूट : दिव्यांग महिलाओं और अस्थि विषयक दिव्यांगजन को छोड़कर व्यक्तियों के लिए 50,000 रू. तक के स्व–रोजगार ऋण में ब्याज पर 1 प्रतिशत छूट दी जाएगी। छूट को एनएचएफडीसी द्वारा वहन किया जाएगा।

ऋण की राशि

एनएचएफडीसी की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रति लाभार्थी/इकाई के रियायती ऋण का विस्तार करने के लिए उच्चतर सीमा 50.0 लाख रू. होगी। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 50.0 लाख रुपये की उच्चतर सीमा में वास्तविक ऋण धनराशि वित्तपोशित की जा रही गतिविधि/परियोजना की जरूरतों के साथ–साथ पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि में ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

ऋण का प्रकार : ऋण की प्रकृति अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत किए जा रहे ऋणों की दिशा में मियादी ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण/प्रवर्तक अंशदान हो सकती है।

ऋण का पुनर्भुगतान : एससीए ऋण के संवितरण की तिथि से 10 वर्ष की समग्र सीमा के भीतर गतिविधि वार/मामले वार पुनर्भुगतान अनुसूची का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

पूर्वभुगतान : ऋणी पूर्वभुगतान शुरू होने के बाद से किसी भी समय से भुगतान किए बिना पुनर्भुगतान शुल्क अदा किए बिना ऋण को चुकता कर सकता है।

प्रतिभूति : कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति माँगने के लिए अपनी संबंधित नीतियों के अनुसार भरसक प्रयास करना चाहिए और यथेष्ट प्रतिभूति/संपार्श्विक प्रतिभूति में कवर न किए गए ऋण के किसी भी भाग को कवर करने के लिए केन्द्रीय सरकार गारंटी योजना के माध्यम से भी पर्यास किया जाना चाहिए। ऋण को और आगे सुरक्षित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियाँ, कम्पनी अधिनियम में यथा परिभाषित ऋण हेतु परिवार के सदस्य को सह–आवेदक के रूप में रखने पर भी विचार कर सकती है।

कार्यान्वयन एजेंसियों को परिसंपत्तियों और लाभार्थियों की पर्याप्त बीमाकृत कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए। केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार और बीमा कंपनियों द्वारा कमजोर वर्गों के लिए कार्यान्वित विभिन्न बीमा योजनाओं के तहत लाभार्थियों की बीमा कवरेज की लागत को वहन किया जाना चाहिए। परिसम्पत्तियों की बीमा लागत परियोजना लागत का हिस्सा होनी चाहिए और इसलिए उसी तरह वित्तपोशित की जानी चाहिए।

ऋण प्राप्ति और अन्य निबंधन और शर्तों के लिए प्रक्रिया : नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा समय–समय पद जारी प्रक्रिया और सामान्य निबंधन और शर्तों के अनुसार ऋण की मंजूरी के लिए निर्धारित प्रारूप में कार्यान्वयन एजेंसी को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

एनएचएफडीसी के अधिकार : किसी भी विवाद के मामले में, सीएमडी, एनएचएफडीसी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

अन्य निबंधन और शर्तें : योजना के लिए अन्य निबंधन और शर्तें एनएचएफडीसी द्वारा क्रेडिट आधारित फंडिंग योजनाओं के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।

(i) विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना :

एनएचएफडीसी एनबीएफसी–एमएफआई, सेक्शन 8–एम एफ आई और एनजीओ–एमएफआई, एसएचजी फेडरेशन, राज्य सरकार के मिशनों और अन्य राज्य स्तरीय संगठनों के माध्यम से विशेष

माइक्रोफाइनेंस योजना के तहत आधारित छोटे/सूक्ष्म व्यापार और विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किफायती ब्याज दर पर वित्त प्रदान कराता है।

क्र.सं.	ऋण सीमा (अधिकतम)	ब्याज की दर	पुनर्भुगतान अवधि
1.	परियोजना की इकाई लागत 60,000/– से अधिक नहीं होगी।	12.50 प्रतिशत	3 वर्ष तक

(ii) गैर ऋण आधारित योजना :

(i) **कोशल प्रशिक्षण योजना** : कोशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता : एनएचएफडीसी सफल दिव्यांगजन प्रशिक्षुओं के स्वरोजगार /वेतन रोजगार की सुविधा के उद्देश्य से पूरे देश में दिव्यांगजनों के कोशल प्रशिक्षण के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है। 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पारंपरिक और तकनीकी व्यवसायों और उद्यमिता के क्षेत्र में उचित तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/प्रतिष्ठित संस्थानों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) जागरूकता सृजन और विपणन सहायता

एनएचएफडी योजनाओं के प्रचार/जागरूकता सृजन के लिए एनएचएफडीसी प्रतिवर्ष 50,000/रू. (केवल पचास हजार) तक की राशि अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूर्ववर्ती वित्त वर्ष से बिल्कुल पहले संवितरित की गई राशि के 0.10 प्रतिशत पूर्ववर्ती में इनमें जो भी अधिक हो, के व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा। कार्यान्वयन एजेंसियां पूर्व अनुमोदन लेंगी और एनएचएफडीसी को प्रतिपूर्ति के लिए प्रचार सामग्री की प्रति सहित बिल जमा करेंगी।

विपणन सहायता : सूरजकुंड मेला, आईआईटीएफ, दिल्ली हाट जैसी विभिन्न प्रदर्शनियों में अपने तैयार माल के विपणन में स्व–नियोजित दिव्यांगजनों की सहायता करना। एनएचएफडीसी बड़े प्रतिष्ठित संगठनों के साथ जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ गठबंधन (टाई–अप) के माध्यम से अपने व्यवसाय की पहुंच बढ़ाने के लिए बाजार उपाय में दिव्यांगजनों को सुविधा भी प्रदान करता है।

एनएचएफडीसी फाउंडेशन : दिव्यांगजनों को अधिक से अधिक हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए, एनएचएफडीसी ने एनएचएफडीसी फाउंडेशन बनाया है। इसके साथ–साथ एनएचएफडीसी फाउंडेशन समाज के जरूरतमंद वर्गों के लिए भी काम करेगा, जिसमें दिव्यांगजन, वृद्धावस्था वाले व्यक्ति, अस्थायी दिव्यांगजन, महिलाएं, बच्चे आदि शामिल हैं।

अध्याय - 6

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

क्लोज्ड कैप्शनिंग (CC)

अध्याय
6

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

6.1 योजना का उद्देश्य

विभाग हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर अर्थात 3 दिसंबर को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, संस्थानों, जिलों आदि को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विभिन्न निम्न 14 (चौदह) श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किये जाते हैं :–

I.	सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी/स्व–नियोजित		
संख्या	उप–श्रेणी	संख्या	उप–श्रेणी
(i)	गतिविषयक दिव्यांगता (गतिविषयक दिव्यांगता, मांसपेशीय दुष्पोषण, बौनापन, अम्ल आक्रमण पीड़ित, कुष्ठ रोग, उपचारित, प्रमस्तिष्क घात)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
(ii)	दृष्टि दिव्यांगता (अंधता, कम दृष्टि)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(iii)	श्रवण दिव्यांगता (बधिर, ऊँचा सुनने वाला)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(iv)	अभिवाक् और भाषा दिव्यांगता (अभिवाक् और भाषा दिव्यांगता)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(v)	विकासात्मक विकार (स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार, विशिष्ट विद्या दिव्यांगता)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(vi)	बौद्धिक दिव्यांगता (पूर्व में मानसिक मंदता के रूप में जानी गई)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(vii)	मानसिक व्यवहार (मानसिक रूग्णता)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(viii)	रक्त विकार के कारण हुई दिव्यांगता (हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिक्कल सेल रोग)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–

(ix)	चिरकारी तंत्रिका दशाएं (बहु स्केलोरोसिस, पार्किन्सन रोग)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(x)	बहु–दिव्यांगताएं (उपर्युक्त आठ व्यापक श्रेणियों की कोई दो या अधिक बहु दिव्यांगताओं सहित)	दो (एक पुरूष के लिये और महिला के लिये एक)	–वही–
II.	**सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमैंट आफिसर अथवा एजेंसी हेतु पुरस्कार**		
संख्या	**उप–श्रेणी**	**पुरस्कारों की संख्या**	**पुरस्कार के घटक**
(i)	सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता	**तीन–** इन प्रत्येक को एक : (i) सरकारी संगठन (ii) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अथवा स्वायत अथवा स्थानीय सरकारी निकाय (iii) निजी अथवा गैर–सरकारी संगठन	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
(ii)	सर्वश्रेष्ठ प्लेसमैंट आफिसर/एजेंसी	**दो –** इन प्रत्येक को एक : (i) स्वायत सरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (ii) निजी अथवा गैर–सरकारी संगठन अथवा कार्यालय	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक शील्ड
III.	**दिव्यांगजनों के लाभार्थ कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और संस्थान हेतु पुरस्कार**		
संख्या	**उप–श्रेणी**	**पुरस्कारों की संख्या**	**पुरस्कार के घटक**
(i)	सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति	**दो –** (पेशेवर और गैर–पेशेवर प्रत्येक के लिये एक)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
(ii)	सर्वश्रेष्ठ संस्थान	**छो** प्रत्येक के लिये एक : (i) दिव्यांगजनों को समावेशी ढंग से हालिस्टिक समावेशी सेवाएं मुहैया करा रहा कोई संगठन। और	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को दो लाख रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र

		(ii) दिव्यांग बच्चों/व्यक्तियों की समावेशी शिक्षा का संवर्धन कर रहा कोई संगठन	
IV.	**रोल मॉडल पुरस्कार**		
संख्या	**उप–श्रेणी**	**पुरस्कारों की संख्या**	**पुरस्कार के घटक**
(i)	गतिविषयक दिव्यांगता (गतिविषयक दिव्यांगता, मांसपेशीय दुष्पोशण, बौनापन, अम्ल आक्रमण पीड़ित, कुष्ठ रोग, उपचारित, प्रमस्तिष्क घात)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
(ii)	दृष्टि दिव्यांगता (अंधता, कम दृष्टि)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(iii)	श्रवण दिव्यांगता (बधिर, ऊँचा सुनने वाला)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(iv)	अभिवाक् और भाषा दिव्यांगता (अभिवाक् और भाषा दिव्यांगता)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(v)	विकासात्मक विकार (स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार, विशिष्ट विद्या दिव्यांगता)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(vi)	बौद्धिक दिव्यांगता (पूर्व में मानसिक मंदता के रूप में जानी गई)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(vii)	मानसिक व्यवहार (मानसिक रूग्णता)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(viii)	रक्त विकार के कारण हुई दिव्यांगता (हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिक्कल सेल रोग)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(ix)	चिरकारी तंत्रिका दशाएं (बहु स्केलैरेसिश, पार्किन्सन रोग)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(x)	बहु–दिव्यांगताएं (उपर्युक्त आठ व्यापक श्रेणियों की कोई दो या अधिक बहु दिव्यांगताओं सहित)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
V.	**दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के उद्देश्यार्थ सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान अथवा नवप्रवर्तन अथवा उत्पाद विकास हेतु पुरस्कार**		
संख्या	**उप–श्रेणी**	**पुरस्कारों की संख्या**	**पुरस्कार के घटक**
(i)	दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के उद्देश्यार्थ सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त	एक	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये नकद, एक प्रशस्ति

	अनुसंधान अथवा नवप्रवर्तन अथवा उत्पाद विकास हेतु पुरस्कार		पत्र और एक प्रमाण पत्र
(ii)	दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के उद्देश्यार्थ नव–किफायती लागत उत्पाद का विकास	छो	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
VI.	**दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण सृजन करने में उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार**		
संख्या	**उप–श्रेणी**	**पुरस्कारों की संख्या**	**पुरस्कार के घटक**
(i)	सरकारी विभाग अथवा कार्यालय अथवा सामाजिक क्षेत्र का उपक्रम अथवा स्वायत निकाय	**एक**	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
(ii)	स्थानीय निकाय	**एक**	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को दो लाख रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
(iii)	निजी क्षेत्र अथवा गैर सरकारी संगठन	**एक**	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को दो लाख रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
VII.	**पुनर्वास सेवायें प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ जिले हेतु पुरस्कार**	**एक**	एक शील्ड, एक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र। कोई नकद पुरस्कार नहीं
VIII.	**राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम की सर्वश्रेष्ठ चैनेलाइजिंग एजेंसी**	**एक**	एक शील्ड, एक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।
IX.	**उत्कृष्ट रचनात्मक व्यस्क दिव्यांगजन हेतु पुरस्कार**	**दो** (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये नकद, एक मेडल एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
X.	**सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक दिव्यांग बच्चे हेतु पुरस्कार**	**दो** (एक लड़के के लिये और एक लड़की के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये नकद, एक मेडल एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
XI.	**सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रैस**	**एक**	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
XII.	**सर्वश्रेष्ठ सुगम्य वैबसाइट**		
संख्या	**उप–श्रेणी**	**पुरस्कारों की संख्या**	**पुरस्कार के घटक**

(i)	सरकारी	**एक**	एक शील्ड, एवं प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।
(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अथवा स्थानीय निकाय	**एक**	एक शील्ड, एवं प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।
(iii)	निजी क्षेत्र	**एक**	एक शील्ड, एवं प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।
XIII.	**(प) दिव्यांजन सशक्तिकरण संवर्धन में सर्वश्रेष्ठ राज्य (पप) सुगम्य भारत अभियान का कार्यान्वयन**	**एक**	**एक शील्ड, एवं प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।** **–वही–**
XIV.	**सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी**	**दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)**	**प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र, एकं प्रमाण पत्र और एक शील्ड,**

6.2 आवेदन कैसे करें

(i) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी सिफारिश निर्धारित तारीख तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भेजेंगी।

(ii) पुरस्कार विजेता भी सिफारिश कर सकते है और आवेदन भेज सकते हैं। इस संबंध में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के माध्यम से अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होता है जिसे मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है।

(iii) राष्ट्रीय पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार विजेताओं के चयन हेतु स्क्रीनिंग समितियां बनाई जाती हैं। स्क्रीनिंग समिति में निम्नलिखित में से अध्यक्ष सहित चार से पांच सदस्य होते हैं :–

(क) केन्द्रीय सरकार के अथवा प्रतिष्ठित सरकारी संस्थाओं के उससे ऊपर के स्तर के सेवारत अथवा सेवानिवृत अधिकारी,

(ख) दिव्यांगता क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति और विशेषज्ञ अथवा पुरस्कार से संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ,

(ग) गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि,

(घ) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और विभाग के अधीन संगठनों के उप–सचिव के रैंक के अथवा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी स्क्रीनिंग समितियों के संयोजक के तौर पर कार्य करेंगे।

(ड़) राष्ट्रीय चयन समिति स्क्रीनिंग समितियों की सिफारिश के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु पुरस्कार विजेताओं के नामांकन का निर्णय करेंगी।

(च) प्राप्त हुये आवेदन पत्रों का स्क्रीनिंग समितियों द्वारा आकलन किया जाता है। स्क्रीनिंग समितियों की सिफारिशें माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय चयन समिति के समक्ष रखी जाती हैं।

CHAPTER- 7

टेलीफोन निर्देशिका (डायरेक्टरी)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए सुगम्यता

अध्याय

7

टेलीफोन निर्देशिका (डायरेक्टरी)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

नाम और पदनाम	दूरभाष टेलीफोन (कार्यालय)	कमरा संख्या	ई–मेल
डॉ. थावरचन्द गेहलोत केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	011-23381001, 011-23381390 011-23782132, 011-23381902(फैक्स), 011-23012175 (निवास), 01123012195 (निवास)	201 सी–विंग, शास्त्री भवन	officesjem@gmail.com
श्री नीरज सेमवाल मंत्री के निजी सचिव	011-23381001, 011-23381390, 011-23782132, 011-23381902(फैक्स), 011-23012175 (निवास), 01123012195 (निवास)	202 सी–विंग, शास्त्री भवन	officesjem@gmail.com
श्री पंकज कुमार मेहता मंत्री के ओ एस डी	-वही-	202 सी–विंग, शास्त्री भवन	officesjem@gmail.com
श्री योगेश कुमार उपाध्याय मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	-वही-	202 सी–विंग, शास्त्री भवन	officesjem@gmail.com
श्री देवी दयाल गौतम मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	-वही-	214ए सी–विंग,	officesjem@gmail.com
श्री शंकर लाल मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	-वही-	202 सी–विंग,	officesjem@gmail.com

		शास्त्री भवन	
श्री आदर्श पासवान **प्रथम निजी सहायक**	011-23012195, 011-23012195	4, जनपथ	offcicesjem@gmail.com
श्री नंद लाल जोशी **द्वितीय निजी सहायक**	011-23012175, 011-23012195	-	offcicesjem@gmail.com

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

नाम और पदनाम	दूरभाष टेलीफोन (कार्यालय)	कमरा संख्या	ई–मेल
श्री कृष्णपाल गुर्जर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	23072192, 23072193 23072194 (फैक्स) 23794728, 23794729 (निवास)	301 ए–विंग, शास्त्री भवन	officemossje@gmail.com
राज्य मंत्री के निजी सचिव	23072192, 23072193	301 ए–विंग, शास्त्री भवन	
श्री किरनपाल खटाना राज्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	-वही-	301 ए–विंग, शास्त्री भवन	Khatanakiranpal@gmail.com
श्री रतन लाल कटारिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	23383757, 23383745 23074097(फैक्स)	251 ए–विंग, शास्त्री भवन	mos.socialjustice@gmail.com
राज्य मंत्री के निजी सचिव		250 ए–विंग, शास्त्री भवन	
राज्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव		249 ए–विंग, शास्त्री भवन	
श्री रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	23381656, 23381657 23381669(फैक्स) 011.23018975ए 78 (निवास)	101 सी–विंग, शास्त्री भवन	Mos3-msje@gov.in mosathawale@gmail.com
राज्य मंत्री के निजी सचिव	-	.	

श्री पृथ्वीराजसिंह भाटी राज्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	-	101 सी–विंग, शास्त्री भवन	Pruthvirajsinh.b@gov.in
प्रवीन मोरे राज्य मंत्री के अतिरिक्त सहायक निजी सचिव	-	101 सी–विंग, शास्त्री भवन	mosatwhawale@gmail.com
श्री करमवीर यादव राज्य मंत्री के प्रथम निजी सचिव	23381656, 23381657 23381669(फैक्स)	101 सी–विंग, शास्त्री भवन	Karamveeryadav700@gmail.com

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव एवं अन्य अधिकारीगण

नाम और पदनाम	दूरभाष टेलीफोन (कार्यालय)	कमरा संख्या	ई–मेल
सुश्री शकुंतला डौले गामलिन, आईएएस, सचिव	24369055 24369067	524 (बी–III), अंत्योदय भवन	secretaryda-msje@nic.in
श्री मुकेश बाली, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	24369055	531 (बी–III), अंत्योदय भवन	secretaryda-msje@nic.in
श्री अतुल खुराना, प्रधान निजी सचिव	24369055 24369067	531 (बी–III), अंत्योदय भवन	secretaryda-msje@nic.in
डा. प्रबोध सेठ, आईआरएस, संयुक्त सचिव	24369056	527 (बी–III), अंत्योदय भवन	jsda-msje@nic.in
सुश्री सरिता, (पीएस) की प्रधान निजी सचिव	24369056 24364392 (फैक्स)	528 (बी–III), अंत्योदय भवन	sarita.ujjwal@nic.in
सुश्री तारिका रॉय, आईआरएएस संयुक्त सचिव	24369069	530 (बी–III), अंत्योदय भवन	roy.tarika@gov.in
श्री पी.के. सेठी, जेएस (टीआर) के निजी सचिव	2436906924 365014 (फैक्स)	529 (बी–III), अंत्योदय भवन	officeofjs.trfts@gov.in
श्री किशोर बी. सुरवाडे, आईएसएस, उप महानिदेशक	24364394	514 (बी–II), अंत्योदय भवन	ddg-depwd@gov.in
श्री संजय पांडे, सयुंक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	23387924	610.ए विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली	s_pandey@gov.in

निदेशक / उप सचिव			
श्री के.वी.एस. राव (नीति मामले, आरसीआई, यूएनसीआरपीडी, अनुसंधान योजना, एनयूआरडीएस, यूडीआईडी, एनयूडी, प्रारंभिक उपाय, सीसीपीडी, राष्ट्रीय न्यास)	24369054	4 (बी–I), अंत्योदय भवन	kvs.rao13@nic.in
श्री विकाश प्रसाद, निदेशक (छात्रवृत्ति, प्रशासन, यूडीआईडी, डीडीआरएस, डीडीआरसी, एआईसी	24304391	5 (बी–I), अंत्योदय भवन	vikash.prasad@gov.in
श्री क्षितिज मोहन निदेशक (आईएफडी / आरटीआई, बजट, ऑडिट पैरा)	24369057	521(बी–II), अंत्योदय भवन	kshitij.mohan@nic.in
श्री के.के.झैल, उप–सचिव (बजट, डीबीटी, सिपडा, एनआईआईयूडी, संसद, ई–समीक्षा, जीएसटी, समन्वय, इंसेंटिव)	-	2 (बी–I), अंत्योदय भवन	kk.jhell@nic.in
श्री सीताराम यादव, उप–सचिव (एनएचएफडीसी, कोशल प्रशिक्षण, मीडिया, एजीपी, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय न्यास, हिंदी, सीबीआर)	24369025	1 (बी–I), अंत्योदय भवन	yadav.sitaram@nic.in
सुश्री बीना ई. चक्रवर्ती, उप–सचिव (एडिप, एलिम्को, सतर्कता, छात्रवृत्ति, लीगल प्रकोष्ठ, सीपीजीआरएएम, चुनाव प्रकोष्ठ)	24365053	517, (बी–II)	beena.elizabeth@gov.in
श्री मृत्युंजय झा, उप–सचिव (एनआईएमएचआर, एनआई, सीआरसी, आईएसएलआरटीसी, दिव्यांगता अनुसंधान, दिव्यांगता खेल केंद्र, ब्रेल प्रैस आंकड़े)	24369045	520 (बी–II)	
अवर सचिव			
श्री रामानुज डे, अवर सचिव	24365024	भूतल, कमरा संख्या: 2ए	ramanuj.dey@nic.in
श्री सौरांशु सिंहा, अवर सचिव	23235692	कमरा संख्या: 517 (बी–II), अंत्योदय भवन	sauranshu.sinha@nic.in

श्री एस.के. महतो, अवर सचिव	24369027	519 (बी–II), अंत्योदय भवन	sk.mahto@nic.in
श्री डी.के. पंडा, अवर सचिव	24369059	519 (बी–II), अंत्योदय भवन	panda.dk@gov.in
सुश्री मीना कुमारी शर्मा, अवर सचिव	24369066	कमरा संख्या 522 (बी–II) के साथ, अंत्योदय भवन	meena.sharma@nic.in
श्री अरूण कालरा, अवर सचिव	23381001 23381390	214 (सी–विंग), शास्त्री भवन	arun.brinda@gmail.com
श्री संजय सिंह, अवर सचिव	24369047	5वां तल, अंत्योदय भवन	sanjay.singh72@nic.in
श्री ए.के. मंडल, अवर सचिव	24369068	भूतल, कमरा संख्या: 4, अंत्योदय भवन	arunkumar.mandal@gov.in
श्री नवीन कुमार, अवर सचिव	-	517 (बी–II), अंत्योदय भवन	navin.kumar75@gov.in
श्री संदीप कुमार, अवर सचिव	24369051	516 (बी–II), अंत्योदय भवन	sandeepkumar.rth@nic.in
एनआईसी प्रकोष्ठ			
सुश्री अनुभा गोयल, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक	-	शास्त्री भवन, नई दिल्ली	anubhag@nic.in
श्री राकेश गोयल, निदेशक श्री संजय कुमार चौहान, निदेशक		पूर्वी ब्लॉक–1, सैक्टर–1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	rgoel3505@nic.in
अनुभाग अधिकारी			
श्री आर.आर. श्री प्रकाश, अनुभाग अधिकारी	24369057	521 (बी–II)	rr.sriprakash38@nic.in
श्री केदार मल मीना, अनुभाग अधिकारी	24365011	512 (बी–II)	Coordinationdd4@gmail.com
सुश्री उशा भसेटिया, अनुभाग अधिकारी	-		
श्री मनोज कुमार, अनुभाग अधिकारी	-		
श्री अजय नागपाल, अनुभाग अधिकारी	23439026		
सहायक निदेशक			
श्री तिमन सिंह, सहायक निदेशक	24369038	517 (बी–II), अंत्योदय भवन	timman.singh@gov.in

राजभाषा (हिंदी अनुभाग)			
सुश्री पुष्पलता, उप निदेशक (रा. भा.)			
श्री ब्रिज मोहनलाल सारस्वत, सहायक निदेशक (रा.भा.)		(बी–I), अंत्योदय भवन	.
वेतन एवं लेखा अनुभाग			
सुश्री रजनी गोसाई, वरिष्ठ लेखा अधिकारी		515 (बी–II), अंत्योदय भवन	.

हमारा अनुसरण इस पर किजिए :

www.facebook.com/DoEPWDs

@socialpwds

www.diabilityaffairs.gov.in

संकेतक शब्दावली

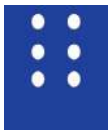

ब्रेल चिन्ह:

यह चिन्ह् संकेत करता है कि मुद्रित सामग्री ब्रेल में उपलब्ध है जिसमें प्रदर्शनी लेबलिंग, प्रकाशन और संकेतक भी शामिल है।

संकेत भाषा प्रस्तुतीकरण:

यह चिन्ह् उल्लेख करता है कि व्याख्यान, दौरा (यात्रा), फिल्म, निष्पादन (प्रदर्शन), सम्मेलन अथवा अन्य कार्यक्रमों के लिए संकेत भाषा प्रस्तुतीकरण उपलब्ध कराया जाता है।

शारीरिक दिव्यांगताओं के लिए सुगम्यता:

यह चिन्ह् संकेत करता है कि बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए सेवाएं उपलब्ध हैं।

दूरभाष टाईपराईटर (टीटीवाई):

यह चिन्ह् बधिर, ऊँचा सुनने वाले, वाक् बाधित और/अथवा श्रवण बाधिता ग्रस्त लोगों के साथ और उनके बीच में सम्प्रेषण के लिए दूरभाष के साथ उपयोग किए जाने वाले उपकरण की उपस्थिति को इंगित करता है।.

व्हील चेयर सुगम्यता :

यह चिन्ह् सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों जिसमें व्हील चेयर उपयोगकर्त्ता भी शामिल है, उनकी पहुँच को इंगित करता है।

सीमित शीर्षक (क्लोज्ड कैपशनिंग) (सीसी):

सीमित शीर्षक (क्लोजड कैपशनिंग) (सामान्यतः उपशीर्षक के रूप में जाना जाता है) उन लोगों को जो बधिर हैं अथवा ऊँचा सुनने वाले हैं, वीडियो, फिल्म प्रदर्शनी अथवा अन्य प्रस्तुतीकरण के श्रव्य भाग की प्रतिलिपि को पढ़ने में सक्षम बनाता है।

कम दृष्टि वालों के लिए पहुँच:

यह चिन्ह् उन लोगों के लिए जो नेत्रहीन हैं अथवा कम दृष्टि वाले हैं, निर्देशित (गाईडेड) टूर, जंगल की पगडंडी (नेचर ट्रेल) अथवा पार्क में महक वाला बगीचा अथवा स्पर्शी भ्रमण स्थल अथवा संग्रहालय की प्रदर्शनी – जिसे स्पर्श किया जा सकता है जैसे स्थानों में उनकी पहुंच को इंगित करता है।

सुगम्य भारत अभियान

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सीआरसी, नेल्लौर का उद्घाटन समारोह

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
पांचवां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003
दूरभाषः 011–24369025
www.disabilityaffairs.gov.in